Page No.1

# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६ ] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का तीसरा दिवस [ संख्या ३





बुधवार, २४ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

———

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[कर एवं आबकारी, कृषि, सिंचाई, पंचायत, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, वन, पशु-पालन, श्रम, सहकारी एवं आयुर्वेद-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

### गत तीन वर्षों में शराब के ठेकों से हुई आय

७०. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मंत्री, आबकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) गत सन् १९५७-५८, ५८-५९ तथा ५९-६० में प्रत्येक जिले के शराब के ठेकों से कुल कितने कितने रुपयों की आमदनी हुई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या सरकार की ओर से शराब बन्दी की नीति पर आचरण करने सम्बन्धी सक्रिय कदम उठाया गया है? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर कहां कहां और क्या क्या अमल हुआ है?

आबकारी मंत्री (श्री रामचंद्र चौधरी) : (१) राजस्थान के प्रत्येक जिले के शराब के ठेकों की आमदनी की सूची संलग्न है।

(२) राजस्थान सरकार ने शराब-बन्दी की नीति का अनुकरण किया है और इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं उनका ब्योरा संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सच है कि आपने तीन सालों की जो तुलनात्मक सूची दी है उसमें हर एक जिले में तीन साल में शराब की बिक्री दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी तक हो गई है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले से बढ़ी है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** गंगानगर के फीगर्स ही देखिये। ८ लाख से १२ लाख, जयपुर में ३ लाख से ६ लाख।

**श्री अध्यक्ष :** कितना गुना बढ़ा, यह तो आप हिसाब लगा लें।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** तो क्या ये आंकड़े शराब बन्दी के प्रतिबन्ध की नीति की सूचना दे रहे हैं ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** शराब बन्दी करने के लिए कुछ तो ऐसे कदम उठाये गये; जैसे कुछ स्थानों पर नाजायज़ शराब बनती थी; जैसे जयपुर, बीकानेर आदि में उनको रोका गया और इससे भी जो जायज़ शराब थी उसकी बिक्री ज्यादा हुई है।

दूसरा शराब बन्दी के लिए यह भी किया जा रहा है कि उसकी कीमत बढ़ाई जावे और इस तरह से ज्यादा कीमत करने से इसकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** क्या आप ऐसा कोई जिला बतायेंगे जिसमें शराब की बिक्री कम हुई है ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** मैंने आपसे निवेदन किया, नाजायज़ शराब पर रोक लगाने से कि शराब पर ज्यादा ड्युटी लगाने से शराब की आमदनी में वृद्धि हुई है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** किस किस अनुपात से बढ़ी है, क्या यह माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** जितनी जितनी रकम जिस जिस जिले की है वह आपको दे दी गई है, उसके अनुसार आप अनुपात लगा लें।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** पहले इतनी ड्युटी लगती थी, अब इतनी लग गई। ५७-५८ में इतनी थी, इसकी तुलना करते हुए बता दीजिये ?

**श्री अध्यक्ष :** आपने पूछा, "क्या शराब की बिक्री बढ़ी है ?" उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दिया कि "बढ़ी है" और जिन कारणों से बढ़ी है वे कारण भी बता दिये।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** यह ड्युटी बढ़ाने से बढ़ी है, तो एक रुपये के तीन रुपये बढ़े हैं क्या ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** मैंने आपको कारण बता दिये, उसके अलावा आबादी भी तो बढ़ी है, लोगों के साधन बढ़े हैं; उसी तरह से पीने वालों की संख्या भी बढ़ी है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** आबादी शराबियों की बढ़ी है या जनता की बढ़ी है ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** जनता के साथ साथ पीने वालों की आबादी भी बढ़ी है।

**श्री रामचन्द्र (डग-सु०) :** आबादी बढ़ने के कारण शराब की बिक्री बढ़ी है तो दो-तीन साल के बच्चे भी शराब पीने लग गये हैं क्या ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** १८ वर्ष के बच्चों की उम्र २० साल हो गई, पन्द्रह वर्ष की उम्र वाले १८ में आ गये, इस तरह से बालिगों की भी तो संख्या बढ़ी है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : क्या सरकार को यह भी मालूम है कि शराब बन्दी रोकने के लिए जो नियम बनाये गये हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : तभी तो बढ़ी है ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : समय इत्यादि का जो नियन्त्रण रखा है और जो ड्राई डेज़ रखे जाते हैं उनको आब्जर्व किया जाता है क्या ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : बराबर पाबन्दी की जाती है ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : नहीं की जाती है ।

**श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर)** : आबादी बढ़ने वालों के रेश्यो में और शराब पीने वालों के रेश्यो में डिसपेरिटी तो नहीं है ?

**श्री अध्यक्ष** : सभी रेश्यो बढ़ रहे हैं ।

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : मैंने आपसे निवेदन किया कि नाजायज शराब पर रोक लगाने से जायज शराब की बिक्री ज्यादा हुई है, ड्यूटी ज्यादा बढ़ने से भी आमदनी बढ़ी है ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : आपने जो दूसरी सूचना दी है उसमें यह बतलाया है कि गांवों और कस्बों के बीच में दूकानें नहीं लगाई जाती हैं, क्या आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जहां भरतपुर आबादी है, दोनों तरफ आवागमन है, वहां दूकानें हैं, मेन रोड पर दूकानें हैं वहां शराब बिकती है ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : मैंने जैसा कि अर्ज किया उन रास्तों में जहां शिक्षण संस्थायें होती हैं, फैक्टरी एरिया होती है, वहां पर दूकानें नहीं हैं यदि कहीं ऐसी दूकानें हैं तो भी नोटिस में आने पर उनको हटा दिया जाता है । आप यह चाहें कि सभी दूकानें जंगल रखी जायं, यह तो हो नहीं सकता ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : Where drinking is visible to the public मेन रोड पर जहां से आदमी गुजरते हैं दोनों तरफ से; वहां शोप्स हैं या नहीं ?

**श्री रामचन्द्र (डूंगरपुर)** : क्या पिपलिया के मोटर स्टेन्ड के पास शराब की दूकान खोली गई है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**प्रश्न संख्या ७१**

श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या ७२**

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या ७३**

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री किशनाराम ।

# Page No.4



**अस्पताल, रतनगढ़**

७४. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) रतनगढ़ के अस्पताल के बजट सन् १६५६-६० में कितने डॉक्टरों, डॉक्टरनियों, नर्सों, कम्पाउन्डर्स, चपरासियों व क्लर्कों की पोस्ट्स मन्जूर हुई थी, व वहां उस वर्ष किस किस माह में कितने कितने इन श्रेणियों के कर्मचारियों ने काम किया ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(ख) क्या यह सही है कि इस हॉस्पिटल में रात के समय कोई डॉक्टर ड्युटी पर नहीं रहता है ? यदि हां तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में आनेवाले रोगियों की संख्या को देखते हुए वहां के डॉक्टर व लेडी डॉक्टर व नर्सों की संख्या कम है ? यदि हां, तो वहां का यह स्टाफ कब तक बढ़ाया जावेगा ?

(घ) क्या यह भी सही है कि रतनगढ़ अस्पताल में समस्त डॉक्टर्स, कम्पाउन्डर्स, नर्सों व चपरासियों व क्लर्कों के रहने के क्वार्टर्स नहीं बने हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक क्वार्टर्स बनाने का विचार रखती है ?

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) रतनगढ़ के अस्पताल के बजट सन् १६५६-६० में निम्नलिखित पोस्टस मन्जूर थीं:-

| | |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी के डॉक्टर | २ |
| द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर | ४ |
| स्टाफ नर्स | ८ |
| मिडवाइफ | २ |
| कम्पाउन्डर्स-द्वितीय श्रेणी | २ |
| ,, -तृतीय श्रेणी | ७ |
| टेक्नीशियन | १ |
| चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी | २५ |

१६५६-६० में कितने कितने उन श्रेणी के कर्मचारियों ने कार्य किया, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, किन्तु द्वितीय श्रेणी के २ डॉक्टर्स व ४ स्टाफ नर्सेज की पोस्ट्स उपरोक्त स्टाफ की कमी के कारण खाली पड़ी है, ऐसा मालूम होता है।

(घ) यह आवश्यक नहीं कि अस्पताल के समस्त कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स हों अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

**श्री किशनाराम** : आवश्यक है, इसी-लिये तो प्रश्न पूछा गया।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : क्वार्टर्स जो बने हुए हैं वे पांच डॉक्टर्स, चार नर्सेज और २० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये हैं, जैसे जैसे प्रावधान होता है हम क्वार्टर्स बनाते रहते हैं। सभी के लिये क्वार्टर्स हों, यह कोई आवश्यक नहीं है।

**श्री किशनाराम** : आवश्यक तो जरूर है, आइन्दा कोशिश होगी क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जैसे जैसे हमारे पास प्रावधान होता जायगा हम वैसे वैसे क्वार्टर्स बनाते जायेंगे।

# Page No.5



**श्री किशनाराम :** रात्रि के समय डॉक्टर लोग उपस्थित नहीं रहते, बीमार लोग चिल्लाया करते हैं। यहां तक कि अस्पताल के कम्पाउन्डर्स भी सो जाते हैं, इस बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचना चाहिए।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** डॉक्टरों की नाइट ड्युटी होती है हरेक अस्पताल में। इस बात की हिदायत है कि बड़े बड़े जितने भी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों की नाइट ड्युटी रहे।

**श्री किशनाराम :** हिदायतें तो हैं, लेकिन उन हिदायतें को मानते नहीं। उसके लिये कुछ न कुछ करना चाहिये।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो इस बारे में दुबारा हिदायतें कर दी जायंगी।

### ग्राम सागड़ा, तहसील भादरा में पीने के पानी का अभाव

७५. श्री **मोहरसिंह** [चुरू–श्री किशनाराम (रतनगढ़) द्वारा पूछा गया]: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम सागड़ा, तहसील भादरा में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि पिछली साल भांसल माइनर (भादरा तहसील) का पानी इस ग्राम में जोहड़े तक ४ महीने चल चुका है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस ग्राम के जोहड़े के पास पानी पहुंचने पर पीछे से कड़ी लगा कर रोक दिया जाता है ?

(घ) क्या भविष्य में इस ग्राम को पानी पहुंचाने का इन्तजाम किया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ?

**सिंचाई मंत्री : ( श्री भीखाभाई ) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) इस ग्राम को जुलाई, सन् १९५८ से अभी तक नहर से बराबर पानी दिया जा रहा है। नवम्बर, सन् १९५९ में नहर बन्द होने से पहले इस ग्राम का जोहड़ भर दिया था। नहरें बारामासी होने के बाद इस ग्राम को पानी की तकलीफ नहीं होगी।

### पंचायत क्षेत्रों के हड्डी के ठेके

७६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) पंचायत क्षेत्रों के हड्डी के ठेके पंचायतें या पंचायत समितियां देती हैं या पंचायत का सरपंच स्वयं ही दे देता है ?

(२) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर ने हड्डी का ठेका सन् १९५९ और १९६० में स्वयं ही दे दिया था ?

(३) अगर हां, तो क्या यह ठेका अन्य पंचायतों को निश्चित तारीख की सूचना

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

देकर दिया गया या बिना सूचना ही के? ऊंची से ऊंची बोली कितने की लगी और अन्त में किसको यह ठेका दिया गया?

**पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय):** (१) २ अक्टूबर, १९५९ के बाद ठेके पंचायत समितियां देती हैं।

(२) नहीं, १९५९-६० का ठेका पंचायत के प्रस्ताव से दिया गया।

(३) जी हां, ठेका अन्य पंचायतों को निश्चित तारीख की सूचना देकर दिया गया था। इस ठेके की ऊंची से ऊंची बोली ३,११) रु० की श्री पांचू पुत्र शंकर श्री हरिजन साकिन नगर की थी और उन्हीं के नाम बोली समाप्त की गई थी।

**श्री श्रीभानसिंह (बयाना):** सुनने में नहीं आया। माइक इधर था और बोल आप उधर से रहे थे। माइक का उपयोग कीजिये तो अच्छा है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय:** दुबारा पढ़ देता हूं।

(१) २ अक्टूबर, १९५९ के बाद ठेके पंचायत समितियां देती हैं।

("सुनाई नहीं दे रहा है" की ध्वनि)

अब तो सुनाई दे रहा है?

**श्री श्रीभानसिंह:** अब भी किसी को सुनाई नहीं देगा तो क्या आप फिर से रिपीट करेंगे?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय:** (२) नहीं, १९५९-६० का ठेका पंचायत के प्रस्ताव से दिया गया।

(३) जी हां, ठेका अन्य पंचायतों को निश्चित तारीख की सूचना देकर दिया गया था। इस ठेके की ऊंची से ऊंची बोली ३,११) रु० की श्री पांचू पुत्र शंकर श्री हरिजन, साकिन नगर की थी और उन्हीं के नाम बोली समाप्त की गई थी।

**रावराजा श्री सरदारसिंह:** आपने यह फरमाया कि ५९ के बाद पंचायत समिति ठेका देगी, तो यह ५९-६० का ठेका पंचायत के प्रस्ताव से दिया गया या पंचायत समिति के प्रस्ताव से?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय:** पंचायत ने दिया है, पंचायत समिति ने नहीं। यह गलती हुई ग्राम पंचायत की। उनको कानून का पता नहीं था।

**रावराजा श्री सरदारसिंह:** कानून का पता नहीं था या डेलीबरेटली किया? सन् १९५८ में ७,००) रु० में यह ठेका था, पर इस बार ले लिया कर कुछ कम पर दे दिया गया। इसकी शिकायत अधिकारियों तक पहुंची। पंचायत समिति में भी इसकी शिकायत है और इस सरपंच के मुताल्लिक आपके पास करप्शन के कई केसेज़ आये हुए हैं। उस पर कार्यवाही करने की इजाजत लेने के लिये, दो वर्ष होने आये, पर आपने क्यों, न जाने, उस पर महरबानी कर रखी है?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय:** महरबानी करने का प्रश्न नहीं है। उस ठेके को मान्य कर दिया है पंचायत समिति ने। तो इसके

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बाद पंचायत समिति के द्वारा दिये जाने के बराबर हो गया है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : अब क्या यह ठेका बहाल रहेगा या पंचायत समिति दुबारा देगी।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : पंचायत समिति ने जब उसे मन्जूर कर लिया तो बहाल के बराबर ही है वह मन्जूरी।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आपको मालूम है।

**श्री अध्यक्ष** : मालूम है तभी तो कह रहे हैं।

प्रश्न संख्या ७७

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे—देखिये)

**पंचायत कांजण, जिला चुरू द्वारा श्री जगमालराम के विरुद्ध मान हानि के दावे की सुनवाई**

श्री मोहरसिंह [चुरू-श्री किशनाराम (रतनगढ़)] द्वारा पूछा गया क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चुरू जिले की कांजण पंचायत ने दिनांक १४-९-५९ को ग्राम भमाडे में मीटिंग करके श्री जगमालराम पुत्र श्री नानूराम जाट सा. भमाड़ा का मुकदमा खारिज किया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि अब डेढ साल बाद नई पंचायत कांजण के समक्ष रामजस पुत्र श्री रेडा जाट ने श्री जगमालराम के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमे के खारिज होने के फलस्वरूप इज्जत-हतक का दावा किया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत कांजण ने उक्त इज्जत-हतक के दावे की सुनवाई शुरू कर दी है ?

(४) यदि हां, तो क्या पंचायतों को ऐसे दावे सुनने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो इस तरह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली पंचायतों के विरुद्ध क्या एक्शन लिया जाता है ?

**पंचायत मन्त्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री किशनाराम** : गवर्नमेंट के पास नहीं आई है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : सुना नहीं, आपने क्या कहा ?

**श्री किशनाराम** : पंच नहीं चुना गया पंचायत में, हरिजन पंच, क्या इसकी सूचना सरकार के पास नहीं आई है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : इसमें तो हरिजन पंच का प्रश्न नहीं है। यह तो दूसरा प्रश्न है।

# Page No.8



**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न संख्या ७८ है । मान-हानि के दावे की सुनवाई का ।

**प्रश्न संख्या ७९**

श्री सतीशचन्द्र ।

( अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या ८०**

श्री भैरोंसिंह ।

( अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या ८१**

श्री दयाकृष्ण विजय ।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या ८२**

श्री लादूराम सुलाणिया ।

( अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या ८३**

श्री रावत राम ।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या ८४**

श्री लक्ष्मीचंद ।

( अनुपस्थित )

**हनुमानगढ़ टाउन के पासवाली नई आबादी को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित करना**

**८५. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु०):** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) हनुमानगढ़ टाउन के पास वाली नई आबादी शहर से कितने फासले पर है ?

(ख) क्या हनुमानगढ़ रेल्वे जंक्शन नगरपालिका के क्षेत्र में है ? यदि हां, तो उक्त नई आबादी नगरपालिका क्षेत्र में किस कारण से नहीं ली गई है ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्री सम्पतराम): (क) बिल्कुल समीप ही है ।

(ख) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री धर्मपाल पंवार** : नगरपालिका क्षेत्र में मिलाने का क्या प्रोवीज़न है ?

**श्री सम्पतराम** : अभी इस प्रकार का कोई विषय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**प्रश्न संख्या ८६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

**ग्राम हलेना ( भरतपुर ) के कन्या विद्यालय की अध्यापिका के साथ सरपंच तथा उप सरपंच द्वारा किया गया अभद्र व्यवहार**

**८७. डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर )** : क्या मन्त्री, पंचायत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम हलेना,

# Page No.9



( डॉ० बहादुरसिंह )

तहसील वैर, जिला भरतपुर, के कन्या विद्यालय की अध्यापिका के साथ दिनांक ४।३।६० को मध्यान्ह काल १२ बजे स्कूल के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि अभद्र व्यवहार करनेवाले व्यक्ति सरपंच व उप सरपंच थे ? यदि हां, तो क्या पंचायत विभाग को उक्त घटना की सूचना दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या उक्त घटना की प्रथम रिपोर्ट पुलिस में की गई ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन में प्रस्तुत करें। क्या पुलिस द्वारा इस विषय की जांच भी की गई ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) पंचायत विभाग द्वारा उक्त सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या इस प्रकार की भी शिकायत है कि उक्त सरपंच व उप सरपंच अपने विरुद्ध गवाह देने वाले व्यक्ति को आतंकित करते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कदम उठाया गया ?

**पंचायत मन्त्री** ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय ) : (१) ऐसी सूचना प्राप्त हुई है।

(२) जी हां। उक्त घटना की सूचना प्राप्त हुई थी।

(३) जी हां। प्रतिलिपि प्रथम रिपोर्ट की सदन में प्रस्तुत है। पुलिस की जांच हुई व पुलिस की जांच से सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध जुर्म जेर दफा ३५४, ३४२, ४५१ ता. हि. पाया गया है। चालान की स्वीकृति हो चुकी है। चालान किया जा रहा है।

(४) सरपंच एवं उप सरपंच को धारा १७ (४) राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र देकर नोटिस दिया गया है कि उनके दुराचरण पूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें अपने पद से पृथक क्यों न कर दिया जावे ? इसके अतिरिक्त उन्हें अपने पदों से निलम्बित भी कर दिया गया है।

(५) सरपंच एवं उप सरपंच द्वारा श्री रमेशचन्द्र गवाह को गवाही देने के कारण धमकी देते हुए श्री रमेशचन्द्र को दूकान में घुसकर मारपीट करना कहा जाता है। इस पर मुकदमा नम्बर १३ दिनांक १०।३।६० धारा ४५२ ताजीरात हिन्द कायम किया गया है और हर दो मुलजिमान का चालान जेर दफा ४५२ ताजीरात हिन्द में दिनांक २२–४–६० को मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी बयाना में पेश किया जा चुका है जहां केस जेर तजवीज़ अदालत है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**डॉ० बहादुरसिंह** : आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि सूचना प्राप्त हुई तो किस तरह की सूचना प्राप्त हुई, घटना से कितने दिन बाद आपको सूचना प्राप्त हुई ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : तारीख तो इस समय नहीं है, भाई।

**श्री अध्यक्ष** : श्री लच्छूराम।

**डॉ० बहादुरसिंह** : अध्यक्ष महोदय,

# Page No.10



( डॉ० बहादुरसिंह )

एक और। चालान, आपने कहा है कि चालान की स्वीकृति हो चुकी है, कृपया यह बताइये कि चालान की स्वीकृति कब हुई थी ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** यह भी तारीख नहीं है इस वक्त।

**डॉ० बहादुरसिंह :** अध्यक्ष महोदय, एक और है। आपने लिखा कि पद से निलम्बित किया गया। कब पद से निलम्बित किया गया ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** तारीख तो नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** फिर तारीख ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** पर यह है कि फौरन स्वीकृति हो गई है। कार्यवाही में डिले नहीं हुई।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ( डीग ) :** घटना के बाद सरपंच, उप सरपंच भाग गये और महीनों के बाद हाजिर हुए; क्या यह सरकार के ध्यान में है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया )

**श्री पी० के० चौधरी ( फुलेरा ) :** निलम्बित कर दिया गया या क्यों नहीं किया जावे, इस प्रकार का नोटिस दिया है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** नोटिस तो यह दिया है कि आपको डिसमिस क्यों नहीं कर दिया जावे और निलम्बित तो हमने कर ही दिया है।

**डॉ० बहादुरसिंह :** यह कार्यवाही असेम्बली के अन्दर प्रश्न पूछे जाने से पूर्व ही हो गई या कब हुई ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** यह तो करीब पच्चीस दिन पहले ही हो गया।

**श्री श्रीभानसिंह ( बयाना ) :** अब साबित हो गया तो was it necessary for the Police to take the permission of the Government to prosecute such a Sarpanch in such a Criminal case of rape ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** It is disputable in the law.

**श्री श्रीभानसिंह :** I think it is quite unsuitable for the Hon'ble Minister to rise and answer.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** जरा अपने प्रश्न को दोहरा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष :** हिन्दी में दोहराइये।

**श्री श्रीभानसिंह :** जो जो ऐसे रेप केसेज़ होते हैं, उनको अगर पंच-सरपंच करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने से पहले क्या सरकार की मन्जूरी लेना अनिवार्य है या कि किसी ऑर्डिनरी सिटीज़न को जिस प्रकार पुलिस प्रोसीक्यूट करती है उसी तरह करती है ? और फिर जब पुलिस ने क्राइम एस्टेब्लिश कर लिया तो पुलिस ने क्यों नहीं जल्दी कार्यवाही की और किस कानून की कौन सी धारा के तहत गवर्नमेंट से सेंक्शन लेने की जरूरत समझी गई ?

# Page No.11



**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : ऑर्डिनरी नागरिक की हैसियत से अगर क्रिमिनल क्राइम ऐसा करता है तो जरूरत नहीं, पर पंच सरपंच की हैसियत से हुआ है इसलिये सरकार से स्वीकृति की जरूरत हुई।

**श्री श्रीभानसिंह** : पंच-सरपंच ने आइ, पी० सी० का क्राइम किया है, रेप केस कमिट किया है और पुलिस ने फाइन्ड कर लिया तो फिर पुलिस ने इमीजिएटली क्यों नहीं प्रोसीक्यूट किया उनको और किस धारा के मातहत उन्होंने सरकार से पर्मिशन लेने की बात की? मेरा ख्याल है कि पंच-सरपंच की हैसियत से ऐसा जुर्म करनेवालों के लिये भी कोई अलग कानून नहीं है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : मेरा ख्याल है कि पंच-सरपंच की हैसियत से उनके लिये पर्मिशन लेना जरूरी था।

**श्री अध्यक्ष** : यह पंच-सरपंच की हैसियत से क्राइम थोड़े ही किया गया था?

**श्री पी० के० चौधरी** : पंच-सरपंच की हैसियत से और ऑर्डिनरी सिटीज़न की हैसियत से ये क्राइम कैसे होते हैं? क्या भेद है इन क्राइम्स में?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : सरपंच और उप सरपंच की हैसियत से ही वे स्कूल में मुआयना करने के लिये गये थे। पंच सरपंच नहीं होते तो अध्यापिका उन्हें स्कूल में आने ही कैसे देती!

**श्री श्रीभानसिंह** : How do you define that the rape was committed in the capacity of a Sarpanch and not in an ordinary capacity?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : वे पंच-सरपंच की कैपेसिटी में घुसे थे।

**श्री श्रीभानसिंह** : But this House would like to know, is there any law which can safeguard a Sarpanch from ordinary course of law and justice, when they commit such a sort of criminal Offence. Under what circumstances the Government safeguards this Sarpanch against the law.

**श्री आबिदअली** ( सवाई माधोपुर ) : क्या यह ऑफिशियल कैपेसिटी में हुआ है ऑफेन्स?

**मेजर श्री फतहसिंह** (भीम) : क्या पंच-सरपंच पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में आते हैं?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : क्यों नहीं? ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया। अगर वह कैपेसिटी नहीं होती तो हैड मिस्ट्रेस नहीं घुसने देती।

**श्री आबिदअली** : पर इसके लिये पर्मिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्रिमिनल केस में जब कि पुलिस साबित कर दे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद साबित हो जावे तो पर्मिशन की जरूरत नहीं है।

**श्री श्रीभानसिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि किस लॉ के अन्तर्गत इस पर्मिशन की जरूरत होती है?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : वे पब्लिक सर्वेन्ट माने जाते हैं, इसलिये उनके लिये जरूरी है।

# Page No.12



**डॉ० बहादुरसिंह** : फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी के देखने से यह भी मालूम होता है कि वे उसके मकान पर भी गये, तो क्या उस वक्त भी वे पंच-सरपंच की हैसियत से गये ?

**श्री अध्यक्ष** : पर्मिशन इसलिये ले ली कि आगे जाकर कहीं वैधानिक आपत्ति तो न हो कि जिसकी बिना पर सारा प्रोसीक्यूशन ही समाप्त हो जावे ।

**श्री आबिदअली** : अध्यक्ष महोदय, लॉ इस प्रकार का है कि अगर जज भी अपनी कुर्सी पर बैठ कर गाली दे देता है तो that is not in an official capacity and this is also an offence. There is no need of any sort of sanction.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : पब्लिक सर्वेन्ट के नाते जरूरी है कि प्रिकॉशनरी-मेजर में भी वैसे पर्मिशन ले लें तो ठीक है । दिक्कत क्या है ?

**श्री पी० के० चौधरी** : Does the rape come in the performance of public duties of a Sarpanch ?

**श्री आबिदअली** : ऑफिशियल कैपेसिटी के अपराध का यह मतलब है कि उस तरह का अपराध और कोई दूसरा ऑर्डि-नरी व्यक्ति न कर सके । तो उस तरह के अपराध के लिये ऑफिशियल कैपेसिटी की बात मानी जाती है ।

### प्रश्न संख्या ८८

**श्री अध्यक्ष** : श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

### नगर विकास मंडल, जयपुर द्वारा भूमि का अलॉटमेंट

८९. **डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जयपुर शहर में नगर विकास मण्डल ( अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ) द्वारा भूमि का अलटॉमेंट रोक रखा है ? यदि हां, तो किस तारीख से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) उक्त आदेश जारी होने के बाद किन किन व्यक्तियों को किस तारीख को, किस योजना में, किस नम्बर का प्लॉट सर-कार द्वारा अलॉट किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ग) बनीपार्क योजना में एच ६२ नम्बर का प्लॉट किस तारीख को किस व्यक्ति को अलॉट किया गया ? इसका आवेदन-पत्र बोर्ड में किस तारीख को आया? क्या यह सच है कि इसके लिए कई साल पुरानी दरख्वास्तें भी थीं ?

(घ) अलॉटमेंट न करने के सरकारी आदेश की उपेक्षा कर बहुत पहले पड़ी हुई दरख्वास्तों की अवहेलना कर अचानक अमुक व्यक्ति को प्लॉट दिये जाने का क्या कारण है ?

**स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम)**: (क) जी हां, दिनांक १७-१-५९ से । आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

( श्री सम्पतराम )

(ग) उक्त प्लॉट श्री दीन मोहम्मद को दिनांक २६-६-६० को अलॉट किया गया है। इनका आवेदन-पत्र मण्डल के कार्यालय में तारीख २३-५-६० को आया। जी हां, यह सच है।

(घ) राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक ८-१०-५६ के अनुसार जो व्यक्ति आय कर से मुक्त हो उन्हीं को जमीन निर्धारित मूल्य पर दी जा सकती है, अन्य को नहीं।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये )

**डॉ० चन्द्रकला** : तो सरकार के ये आदेश जारी होने के बाद कि जयपुर शहर में प्लॉट्स के अलॉटमेंट बन्द कर दिए गये हैं, उसके बाद में जो ये १० प्लॉट्स दिये गये हैं, क्या इन सब के बारे में सरकार की निश्चित मान्यता है कि वे आय कर से मुक्त हैं ?

**श्री सभापति** : जी हां।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो ये आय कर से मुक्त हैं और इस कारण इन १० आदमियों को प्लॉट्स दिये गये तो क्या सरकार को यह अच्छी तरह से जानकारी थी कि उसके पहले के जितने भी आवेदन-पत्र है उनमें से कोई भी आय कर से मुक्त नहीं है इनके अतिरिक्त ?

**श्री सम्पतराम** : सरकार ने जानकारी नहीं की, लेकिन ज्योंही इनके लिए रिकमन्डेशन आई उसके ऊपर विचार हुआ और उनका अलॉटमेंट हो गया। वैसे आमतौर पर अलॉटमेंट आजकल नहीं हो रहा है।

**डॉ० चंद्रकला** : क्या सरकार महसूस नहीं करती है कि जयपुर शहर में ऐसे बहुत से लोग और भी हैं जो कि प्लॉट्स लेने के लिये इच्छुक हैं, लेकिन इन १० आदमियों के लिये ही अपवाद करने का आधार सरकार के पास क्या है ?

**श्री सम्पतराम** : यह ठीक है कि हर एक शहर में प्लॉट्स के लिये बहुत से आदमी उत्सुक होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्तिगत केस के बारे में आप पूछें तो मैं आपको बता सकूंगा कि उसमें किस प्रकार से किया गया ?

**डॉ० चन्द्रकला** : मैं तो यह पूछना चाहती हूं कि इनके विषय में सरकार ने अपवाद करने की क्या आवश्यकता महसूस की, जब कि आज प्लॉट्स की सार्वजनिक आवश्यकता है ? सरकार अपवाद करती है तो उसका कारण क्या है, यह मैं जानना चाहती हूं ? इसमें सरकार की क्या नीति रही है, यही जानना है ?

**श्री सम्पतराम** : सरकार की नीति कुछ नहीं है। सरकार की नीति यह है कि सरकार को जमीन अलॉट करने के पॉवर्स हैं और अर्बन इम्प्रूवमेंट और दूसरी संस्थायें हैं उनकी तरफ से अलॉटमेंट होता है। लेकिन कोई जेनुआइन केस हो या कोई रीज़न्स हों कि जिनको अलॉट करना बहुत जरूरी होता है वह तो सरकार को करना पड़ता है। अगर किसी इन्डीविजुअल केस के बारे में आप पूछें तो अर्ज कर सकता हूं।

**डॉ० चन्द्रकला** : मुझे इन्डीविजुअल

Page No.14



(डॉ० चन्द्रकला)

केस से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो जयपुर शहर की सारी जनता से मतलब है। जब सरकार किसी को अपवाद करती है तो दूसरों को अपवाद क्यों नहीं करती है? यह आय-कर से मुक्त केवल १० ही छोड़े थे कि जिनकी एप्लीकेशन्स हों। इनको तो सरकार अलॉट करती है और बाकी के लिये प्रतिबंध है, इसका क्या कारण है?

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, यदि स्पेसीफिकली अर्ज करें कि जिन जिन को प्लॉट्स अलॉट किये उनके रीज़न्स पूछना चाहते हैं तो स्पेसीफिक क्वेश्चन पुट-अप करें जिससे कि मैं जबाब दूं या कोई जेनु-आइन केस बतायें कि जिसके अन्दर गलत तरीके से अलॉटमेंट किया है।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बता सकते हैं कि जब से उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग संभाला है तब से उन्होंने अपनी सिफारिश से कितने प्लॉट्स अलॉट करवाये हैं?

**श्री सम्पतराम** : मैंने एक भी अलॉट नहीं करवाया। हां, मैंने अपने अधिकार से अलॉट किए हैं।

**प्रश्न संख्या ६०**

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

**प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र**

**६१. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान का आयुर्वेद विभाग कितने प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र चला रहा है? उसमें कितने रोगी हैं और कहां कहां?

(ख) अन्य कितनी ऐसी संस्थायें हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा करती हैं तथा उनको सरकार द्वारा सहायता दी जाती है तथा उनमें रोगी संख्या कितनी है?

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा प्रचार कार्य तथा अन्य आवश्यक कार्यों में सहायता लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई)** : (क) आयुर्वेद विभागान्तर्गत एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र उदयपुर में संचालित है जिसमें १० आतुर शैयाओं की व्यवस्था है।

(ख) निम्नांकित ३ संस्थायें ऐसी हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा करती हैं तथा उनको सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। उनकी रोगी संख्या आदि की तालिका निम्न प्रकार है :—

| क्र० सं० | नाम संस्था | १९५८–५९ संख्या | १९५९–६० संख्या |
|---|---|---|---|
| १. | प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधी नगर, जयपुर | १५२ | ६,००० रु० |
| २. | राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, बीकानेर | २२७ | १,२०० रु० |

# Page No.15



( श्री भीखाभाई )

| | | |
|---|---|---|
| ३. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, जोधपुर | | |
| इनडोर | १४०३ | |
| आउटडोर | २८३१ | १,२०० रु० |

(ग) जी हां। आरोग्य केन्द्र के रूप में आवश्यक सहायता ली जायेगी।

**डॉ० बहादुरसिंह :** उदयपुर में जो प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र है उसमें केवल १० शैयाओं की व्यवस्था है और दूसरे इतने हैं उनको सरकार वहां से हटा कर या वहां पर किसी संस्था को देकर काम चलाना चाहती है। सरकार उसके कारण का पता लगाये कि उसमें मरीज़ कम क्यों आते हैं ?

**श्री भीखाभाई :** उदयपुर का जो चिकित्सा केन्द्र है उसके आंकड़े मैंने नहीं बताये और उसके आंकड़े देखने से यह साफ मालूम होता है कि जो कुछ सालाना खर्च होता है वह न्यायसंगत है और बहुत ही वाजिब है।

**प्रश्न संख्या ६२.**

**श्री अध्यक्ष :** श्री लादूराम मुलाणिया।

( अनुपस्थित )

श्री पी० के० चौधरी।

## सहकारी समितियां

**६३. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** Will the Minister-in-charge of Co-operative be pleased to state :—

1. What was the total number of Co-operative Societies both agricultural, industrial, credit and marketing in the State on 31-3-60 ?

2. The accounts of how many of these Societies have been audited for the years ending 31-3-59 and 31-3-60 ? How many of these Societies are checked and found to maintain correct accounts ?

3. Are there any bogus Co-operative Societies in the State ? If so, how many ?

4. What steps the Government propose to take to prevent the formation and continuance of such bogus Societies ?

**सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :** (१) इसकी सूचना संलग्न परिशिष्ट (क) में दे दी गई है।

(२) इसकी सूचनायें अभी समस्त २६ जिलों से उपलब्ध नहीं हुई है। प्राप्त होने पर दी जा सकेगी। इसके लिए १० दिवस की अवधि बढ़ाई जानी आवश्यक है।

(३) छोटी सहकारी समितियों की संख्या २६५ है जिसका उल्लेख संलग्न परिशिष्ट (क) में कॉलम ६ में दिया हुआ है।

(४) छोटी सहकारी समितियों के निर्माण को रोकने के लिए विभाग पहले से ही जागरूक है और इस सम्बन्ध में समय समय पर निकाले गये आदेश संलग्न हैं। जो भी छोटी समिति पाई जायेगी उसको समाप्त किया जाकर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**श्री पी० के० चौधरी :** आपने छोटी समितियों की संख्या २६५ दी है जब कि कुछ दिन पहले अखबार में आपका एक प्रेस कॉम्युनिक निकला था उसमें १,००० से ऊपर का जिक्र किया गया था, in all the English and Hindi papess.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** प्रेस कॉम्युनिक का जिक्र कर रहे हैं, वह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री पी० के० चौधरी :** ये जो बोगस सोसाइटीज़ हैं उनका पर्सेन्टेज आपने सूची में दिया है अलग से, करीब ६०० में से ६६ समितियां बोगस हैं। सवाई माधोपुर में करीब ६०० में से ५५ बोगस हैं, उदयपुर में करीब ६०० में से ५२ बोगस हैं तो इस प्रकार से यह जो ३–४ जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा बोगस सोसाइटीज़ हैं अलवर में १८ पर्सेन्ट, सवाई माधोपुर में ८ पर्सेन्ट, उदयपुर में ८ पर्सेन्ट और नागोर में ३ पर्सेन्ट। इन चार जिलों में बोगस सोसाइटीज़ होने का क्या कारण है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** कारण तो अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग हैं। टाइम पर रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जनरल एनेलिसिस किया कि किनको बोगस सहकारी समिति कहा है तो वह जो साथ में परिशिष्ट के रूप में दिया है उसको पढ़ने से आपको मालूम हो जायेगा कि ये किस प्रकार की सोसाइटीज़ हैं और किन किन उद्देश्यों को लेकर इनका निर्माण हुआ था। उन्होंने अपने बाईलॉज़ को बदल लिया ....

**श्री पी० के० चौधरी :** मेरा सवाल यह था कि २६ जिलों में से सिर्फ ३–४ जिलों में ही हैं। Why there is a preponderance of Bogus Societies? Whether the Government has enquired into the causes of all this ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मेरे ख्याल से ये सोसाइटीज़ जहां बनती हैं वहां लोग जिस काम को लेकर जिस प्रकार के चरित्र की आवश्यकता है उसमें उसकी कमी रहती है, तो वहां पर ज्यादा शिकायतें होती हैं।

**श्री पी० के० चौधरी :** १० अक्टूबर को एक भाषण ऑल इन्डिया से जारी किया था, वह किसने किया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** रजिस्ट्रार ने।

**श्री पी० के० चौधरी :** रजिस्ट्रार ने अपने भाषण में कहा था कि ऐसा देखने को मिला है कि एक सहकारी समिति को एक ही दिन में रजिस्टर किया गया और कर्जा भी दो–चार दिन में मिल गया, लेकिन जांच से मालूम हुआ है कि ऊपर के दबाव से ऐसा किया गया है तो जहां जहां ऐसा हुआ है उन केसेज़ में एक दिन में दरख्वास्त रजिस्टर होना और दूसरे दिन लोन मिल जाना, तो इसका क्या कारण है ? इसके लिए कोई जांच की है ? अगर की है तो कन्सर्निंग ऑफिसर के अगेन्स्ट क्या एक्शन लिया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** जाच करने से ही आंकड़े दिए हैं कि २६५ सोसाइटीज़ हैं। अब कुछ सोसाइटीज़ के लिए आपने बताया कि एक दिन में रजिस्टर हो गईं, थोड़े दिन बाद में ही लोन मिल गया। तो यह हो

# Page No.17



( श्री नाथूराम मिर्धा )

सकता है कि कई सोसाइटीज़ में ऐसा हुआ हो, लेकिन इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। आप सारे नोट को एक साथ पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि कुछ टार्गेट्स हैं, जो कुछ इलाकों के लिए मुकर्रर किए गए कि हर एक जिले पर पंचायत समिति में उनको पूर्ण रूप से पूरा करना है!

(विद्युत प्रकाश लोप होने के कारण व्यवधान)

और उसकी वजह से कुछ इलाकों में लोगों के दबाव के कारण कहीं कहीं गड़बड़ियें हुई हैं। इस वजह से उन सोसाइटीज़ को बोगस कहा है। उनकी तादाद आपके सामने है।

**प्रश्न संख्या ६२**

**श्री अध्यक्ष :** श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

## ग्राम डाबर तथा सारोला, तहसील दीगोद, के पास पुलिए का निर्माण

६५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि ग्रामडाबर एवं सारोला, तहसील दीगोद (कोटा) की लगभग ३००-४०० बीघा जमीन का एक क्षेत्र चम्बल नहर की शाखा, उपशाखाओं से घिर गया है?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में हकाई, जुताई एंव कटाई के किए जाने को कृषकों के लिए कोई सुविधाजनक पुलिया का सरकार द्वारा निर्माण नहीं करावाया गया?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन कृषकों के लिए सुविधाजनक छोटी पुलिया का निर्माण करवाने का विचार है?

**सिंचाई मंत्री ( श्री भीखाभाई ) :** (क) जी हां।

(ख) यह ठीक नहीं है। दोनों उपशाखाओं परपुल बने हुए हैं।

(ग) जी हां, ग्रामवासियों की सुविधा के लिये गांव के पास ही एक छोटी पुलिया बनवाई जावेगी।

## वन श्रमिक समिति को बांस का ठेका

६६. श्री **हीराभाई** [कुशलगढ़-श्री मोगजी भाई (बांस वाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

१. क्या जिला बांसवाड़ा के तहसील कुशलगढ़, गांव वसूली उदयगढ़ के किसानों ने एक वन श्रमिक समिति बनाई है?

२. यदि हां, तो क्या उक्त समीतियों ने बांस का ठेका सरकार से लिया था? अगर हां, तो किस साल सरकार ने समिति को ठेका दिया था?

३. क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेके की मंजूरी एक साल बाद दी गई और ठेकेदारों को ठेके का जंगल सुपुर्द करने के दो माह बाद बांस काटने की मंजूरी दी गई?

४. यदि हां, तो इतनी देर से मंजूरी देने का क्या कारण था?

# Page No.18



**वन मंत्री (श्री सम्पतराम)** : १. जी हां।

२. जी हां १६५६–६० में।

३. जी नहीं। समिति ने प्रार्थना पत्र अगस्त, १६५८ में वन अधिकारी के यहां पेश किया लेकिन बाद को समिति समय में वांछित सूचना नहीं दे सकी। सन् १६५६–६० के ठेकों में इस समिति को यह ठेका दिया गया परन्तु ठेकेदार को ओर से ठेके के एग्रीमेंट की पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी न होने से बांस काटने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन बाद को समिति की दर्ख्वास्त पर बतौर रियायत पूरी फॉर्मेलिटीज़ न होने पर भी मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी।

४. प्रश्न नहीं उठता।

**श्री भोगजी भाई** : सोसाइटी को जंगल का कब्जा देने में इतनी देरी का क्या कारण है?

**श्री सम्पतराम** : जंगलात विभाग के कुछ अधिकारियों ने कुछ सूचना सोसाइटी से चाही थी, लेकिन वह सूचना सोसाइटी द्वारा नहीं दी गई इसलिये कब्जा नहीं मिल पाया।

**प्रश्न संख्या ६७**

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

**प्राकृतिक चिकित्सा**

६८. **डॉ० चन्द्रकान्त** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सरकार की क्या नीति है?

(ख) क्या चालू बजट में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य के अन्तर्गत एक स्वतंत्र मद रखी गई है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि इसमें खर्च की जायगी?

(ग) प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

(घ) प्राकृतिक चिकित्सा के लिये काम करने वाली प्रान्त में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सरकार की ओर से उनके विकास के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

**आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राकृतिक चिकित्सा को आयुर्वेदिक के समान रूप में प्रश्रय देने की नीति रखी गई है। साथ ही स्वतंत्र प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को उत्तरोत्तर अधिक अनुदान देने की भी सरकार की नीति है।

(ख) जी नहीं, धनराशि खर्च करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार कुछ आरोग्य केन्द्र संचालित करना चाहती है जिसमें प्राकृतिक चिकित्सालय भी होंगे।

(घ) राजस्थान प्रान्त में काम करने-वाली निम्नांकित तीन संस्थाओं को उनके समुचित विकासार्थ सरकार द्वारा राजकीय सहायता दी जाती है। वार्षिक सहायता राशि संस्था के नाम के आगे अंकित है :

(१) प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर। ६,०००)

# Page No.19



{ श्री भीखाभाई

(२) राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, बीकानेर। १,२००)

(३) प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, जोधपुर। १, २००)

**डॉ० चन्द्रकला** : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ आरोग्य केन्द्र चलाए गए और उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक चिकित्सालय को प्रोत्साहन देंगे। यह आरोग्य केन्द्र किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के अन्दर आ गया और प्राकृतिक चिकित्सा में इसे किस प्रकार सहायता दी जाती है?

**श्री भीखाभाई** : माननीय सदस्या ने शायद आयुर्वेद पढ़ा नहीं है और उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान भी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का ही एक अंग है। आयुर्वेद का जो पांचवां कर्म है उसी को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जितना उनको ज्ञान है उससे कहीं अधिक ज्ञान मुझको है। केवल मिनिस्टर हो जाने से ही सारा ज्ञान आ जाता हो, ऐसी बात नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का कोई अंग नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र जीवन पद्धति है। यदि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और अब वे मिनिस्टर हो गये हैं उन्हें सबसे पहले इस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। मैं यह जानना चाहती हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार अपनी स्वतंत्र संस्था भी चलाने का विचार रखती है?

**श्री भीखाभाई** : माननीय अध्यक्ष, मैं इस बारे में कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, केवल जबाब के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जो संस्था हमारे द्वारा चलाई जा रही है वह अच्छे ढंग से चल रही है और जो संस्थाएं दूसरे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं उनमें सरकार द्वारा अच्छा अनुदान दिया जाता है। यदि माननीय सदस्या भी कोई प्राकृतिक चिकित्सालय खोल लें तो उसे सरकार अनुदान देगी।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या प्राकृतिक चिकित्सकों की योग्यता के बारे में भी सरकार द्वारा विचार किया गया है कि जिस संस्था को सरकार अनुदान दे उसके चिकित्सकों को क्या योग्यता हो?

**श्री भीखाभाई** : यह तो मानी हुई बात है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा में ट्रेंड लोग हैं वे ही अपनी संस्थाएं चलाते हैं और उसके बाद में अनुदान देने के जो नियम बने हुए हैं, आयुर्वेद विभाग उसके अनुसार जांच करता है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** ( डीग ): सवाल यह है कि जो चिकित्सक हैं रोगी नहीं, जो चिकित्सक होते हैं उनकी योग्यता के सम्बन्ध में कोई नियम इत्यादि हैं?

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : क्या प्राकृतिक चिकित्सा में न्युडिज्म को ऊंचा स्थान दिया गया है?

**डॉ० चन्द्रकला** : प्राकृतिक चिकित्सकों की ट्रेनिंग कहां पर होती है, उसका क्या कोर्स है?

**गृह मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : उसका ट्रेनिंग सेंटर कलकत्ता में है।

**डॉ० चन्द्रकला** : जो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं वे उक्त संस्था से प्रमाण-पत्र लिए हुए ट्रेंड हैं ?

**श्री भीखाभाई** : सरकार का एक ही केन्द्र है, बाकी संस्थाएं तो ऐसी हैं जिनको सरकार अनुदान देती है।

**डॉ० चन्द्रकला** : जिसको अनुदान देती है वहां काम करने वाले ट्रेन्ड हैं या नहीं ?

**श्री भीखाभाई** : अनुदान देते समय ही यह देखना कि ट्रेन्ड हैं या नहीं, यह देखना कोई खास जरूरी नहीं है। जो संस्थाएं आयुर्वेद पद्धति को बढ़ाने के लिए संस्थाएं चलाती हैं उनके विकास के लिए सरकार सहायता देती है। उसके अन्दर के कौन कर्मचारी हैं और उनकी क्या योग्यताएं हैं, यह एक अलग प्रश्न है।

**डॉ० चन्द्रकला** : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति भी कोई संस्था चला दे, तो भी क्या सरकार उसको अनुदान देती है ?

**श्री भीखाभाई** : जी हां, जो संस्थाएं चलाते हैं उनको उसका ज्ञान होता है तभी वे चलाते हैं। जैसे मैं एक अयोग्य आदमी हूँ और आज मैं एक शिक्षा संस्था चलाता हूं तो आज मैं सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकता हूं। शिक्षा संस्था चलाने के लिए पूर्ण शिक्षित होना जरूरी नहीं है, उसी तरह से ये संस्थाएं भी चलाई जा सकती हैं। यदि आप चाहें तो आप भी आयुर्वेद की संस्था चला सकती हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## पाचेटिया बांध को स्वीकृति

६६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पांचेटिया (खारची तहसील) बांध की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब व कितनी धन राशि की ?

(ख) उक्त बांध का निर्माण कार्य किसको कब दिया गया है ?

(ग) क्या बांध का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**सिंचाई मंत्री** ( श्री भीखाभाई ): (क) जी नहीं।

(ख) निर्माण कार्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्माण कार्य चालू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री बेनाराम गहलोत** : क्या इसका सर्वे कार्य समाप्त हो चुका है ?

**श्री भीखाभाई** : जी हां।

**श्री बेनाराम गहलोत** : कब ?

**श्री भीखाभाई** : इसकी तारीख मेरे पास इस वक्त नहीं है। जो सर्वे हुई है उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि ५०० से ७०० एकड़ तक के एरियां में सिंचाई होगी।

# Page No.21



**बांसवाड़ा जिले में सरकारी अस्पताल**

१००. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में सिर्फ एक ही बड़ा सरकारी अस्पताल बांसवाड़ा में है ? अगर नहीं, तो उक्त जिले की कौन–कौन सी तहसीलों में किस किस श्रेणी के कितने दवाखाने अब तक सरकार द्वारा खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) उक्त जिले की ए.,बी., सी. श्रेणी के दवाखानों में जन संख्या के आधार पर कितने डॉक्टर्स व स्टाफ की व्यवस्था है ?

(ग) सरकार बी. व सी. श्रेणी के दवाखानों में दवाइयों के बजट को कितना कितना किस आधार पर स्वीकार करती है ?

**स्वास्थ्य मन्त्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) जी हां । इसके अतिरिक्त जिले के अन्य अस्पताल व डिस्पेन्सरियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जनसंख्या के आधार पर डॉक्टर व स्टाफ नहीं रखा जाता है ।

(ग) दवाइयों के लिए धन राशि गत वर्ष के वास्तविक व्यय तथा रोगियों की औसत उपस्थिति को दृष्टि में रखते हुए स्वीकृति की जाती है ।

( कृपया परिशिष्ट ५ देखिये )

**श्री मोगजी भाई** : आपने जो सूची दी है उसमें बताया गया है कि रोगियों की संख्या के आधार पर बजट स्वीकार किया जाता है, लेकिन इतने रोगी आते हैं कि बजट में दवाइयां नहीं होने से लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं । दवाइयां नहीं होने से जब रोगी नहीं आते तो फिर रोगियों की संख्या कैसे दर्ज की जाती है ? जैसे खान्दू का है उसमें १७,००० की जन–संख्या है वहां 'बी' श्रेणी की डिस्पेन्सरी है, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है केवल एक कम्पाउन्डर रहता है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैंने निवेदन किया कि जन–संख्या के आधार पर बजट नहीं रखा जाता बल्कि पिछले साल जितने बीमार वहां आते हैं और वहां की जितनी आवश्यकता होती है उस सब को देख कर डिस्ट्रिब्यूशन किया जाता है और फिर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हमारे डी. एम. एच. ओ. के पास दवाइयां रहती हैं, कमी पड़ने पर वहां से ले सकते हैं ।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : क्या आवश्यकता के अनुसार वाकई में दवाइयां हर डिस्पेन्सरी में देते हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जितने हमारे फण्ड्स हैं उसके अनुसार भेजते हैं ।

**श्री जनार्दनराय नागर** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या आप हर डिस्पेन्सरी में आवश्यकतानुसार दवाइयां सप्लाई कर सकते हैं या करते हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जो दवाइयां देते हैं उनकी लिस्ट लगा रखी है । वे दवाइयां हर एक अस्पताल में देने का प्रावधान कर रखा है ।

# Page No.22



**श्री हरिप्रसाद यादव** ( वल्लभनगर—सु० ): मंत्री महोदय यह भी बतायें कि डॉक्टर्स भी पहुँचे हैं जहां पर कि बी क्लॉस डिस्पेन्सरीज़ खोल रखी हैं ?

**श्री जनार्दनराय नागर** : अध्यक्ष महोदय.......

**श्री अध्यक्ष** : आप उनका उत्तर तो आने दें।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जितने डॉक्टर्स एवेलेबल हैं उनको देखते हुए जहां भी आवश्यकता होगी वहां भेज देंगे।

**श्री जनार्दनराय नागर** : अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट की बात बारबार हुकूमत कहती है कि हर डिस्पेन्सरी में लिस्ट लगा रखी है वह भ्रामक इतनी है कि जिसकी हद नहीं। मैं निश्चित रूप से सूचना दे सकता हूं कि वहां पर आवश्यकता के अनुसार दवाइयां नहीं मिलती हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : किसी खास डिस्पेन्सरी के बारे में कहें तो विचार करूंगा। हमने लिस्ट लगा रखी है वह भ्रामक कैसे है ? उसमें लिखा हुआ है कि फलां-फलां दवाइयां मिलती हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो बतला दें ? मैं जहां कहीं भी गया हूं मेरे नोटिस में यह बात नहीं आई है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : किसी खास डिस्पेन्सरी के लिए कहना टैक्निकली रिजोइन्डर होगा। राजस्थान की सारी डिस्पेन्सरीज़ में आवश्यकतानुसार दवाइयां नहीं मिलती हैं, सरकार इस बात को जंचवाने के लिए तैयार हो तो एक कमीशन या कमेटी बैठा दे जो यह देखे कि राजस्थान की डिस्पेन्सरीज़ में आवश्यकतानुसार दवाइयां मिलती हैं या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम सवाल है। मैं मानता हूं कि अस्पताल की सुविधा का बड़ा विकास किया है, मगर विकास करने का मतलब यह है कि वहां पर डॉक्टर्स पहुंचें और दवाइयां मिलनी चाहिए। यह सवाल बराबर इस सदन में आता रहा है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि संतोष नहीं मिलता है उनके जवाब से।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : बाकायदा लिस्ट बना कर रखी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, हर अस्पताल में जो जो दवाइयां डिस्पेन्सरी में मिलनी चाहिए उसकी। वे सब मिलती हैं.......

**श्री अध्यक्ष** : काफी बड़ी लिस्ट है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अगर इन्डिविजुअल की बात कहें तो विचार कर सकते हैं। मैं मौके पर गया, क्योंकि कई बार यहां पर सवाल आया और कहा गया कि दवाइयां नहीं मिलती हैं, लेकिन जहां कहीं मैं विज़ीट करने गया तो मुझे लोकल कम्प्लेन्ट नहीं मिली। अगर अब भी आप निश्चित रूप से बतायेंगे तो जांच करवा लूंगा। आप उदयपुर में रहते हैं और उदयपुर में दवाइयों की कमी नहीं रहती है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : अस्पतालों में कोडो पाइरिन और किसी में विटामिन 'बी' कॉम्प्लेक्स के इन्जेक्शन्स भी नहीं मिलते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह उनकी लिस्ट में है क्या ?

# Page No.23



श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह गलतफहमी भरी हुई है कि हर दवाई हर एक अस्पताल में फ्री मिलनी चाहिए। यह बात नहीं है। जो लिस्ट लगी हुई है वे ही मिलती हैं। विटामिन 'बी' कॉम्प्लेक्स वह दवा नहीं है जिसको लेकर आप मोटे हो सकें।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे मोटे होने का सवाल नहीं है। मोटा होने के लिए मैं काफी दवाइयां ले सकता हूं। सदन में सूची क्यों नहीं रखी जाती है उन दवाइयों की जो अस्पतालों में दी जाती है? अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम सवाल है। यहां सदन के अन्दर पूछ लिया और कह दिया जाय और हम सुन लें। हुकूमत ने जिम्मेदारी से अस्पताल की जनता को फेसिलिटी देने का फैसला किया है। मामूली दवाइयां जो देनी चाहिए वे भी नहीं मिलती हैं। कोडोपाइरिन नहीं मिलती है, विटामिन 'बी' कॉम्प्लेक्स के इन्जेक्शन्स नहीं मिलते हैं, और कैपसूल्स नहीं मिलते है, कहते हैं कि फ्री लिस्ट लगा रखी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हर एक दवा नहीं मिल सकती है। विटामिन 'बी' कॉम्प्लेक्स फूड है, दवा नहीं है; ताकि माननीय सदस्य अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अस्पताल जायं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिफ्लेक्शन को ऑब्जेक्ट करता हूं। मैं राजस्थान की जनता के मेडीकल हित के लिए कह रहा हूं। मेरे मोटे होने या मेरे भूखे होने का सवाल नहीं है। वैसे आपकी कृपा से, कभी मुझे तो आप भी दिखवाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं।

( विराम )

श्री जनार्दनराय नागर : सही बात...

श्री अध्यक्ष : इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न सीधा सादा है। सरकार जो दवाइयां देती है उसकी लिस्ट मौजूद है। उसमें दिक्कत ही क्या आ सकती है? लिस्ट बढ़ाई जाय तो और तरह से कह सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : तो फिर लिस्ट सदन की मेज पर रख क्यों नहीं देते हैं?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा कब है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपके पास लिस्ट भेज दूंगा, आप देख लें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ( डीग ) : पहले विज़ीटर्स की बात होती थी, वे अस्पतालों में जाकर देखते थे कि ऐसी व्यवस्था है ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है।

श्री जनार्दनराय नागर : हम विज़ीटर्स हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य के मकान के नीचे डिस्पेन्सरी है। वहां पर कोई दवा नहीं हो तो कह सकते हैं।

( विराम )

**श्री जनार्दनराय नागर** : वह डिस्पेन्सरी मेरे चाचा की नहीं है, हुजूर की है।

**श्री मोगजी भाई** : उन डिस्पेन्सरियों का बजट जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ता है क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : आप कहें, स्पेश्यली ऐसी जगह हो कि जहां पर दिक्कत हो वहां पर दवा की व्यवस्था कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर हम दवाइयें भेज देते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एन्ड हैल्थ ऑफिसर के ध्यान में लायें तो वे भी प्रबन्ध कर सकते हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सच है कि डिस्पेन्सरियां अधिक हैं और डॉक्टर्स कम हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह बात मैं १० बार कह चुका हूं। आप ही किसी लेडी डॉक्टर को लायें तो मैं रखने को तैयार हूं।

( विराम )

**श्री मोगजी भाई** : बांसवाड़ा जिले में 'सी' क्लास की जो डिस्पेन्सरियां हैं उनके लिए ६००) रु० की दवाइयां होती हैं ...

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

**श्री मोगजी भाई** : दूसरा क्वेश्चन यह है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : आप जल्दी से पूछिये। आप तो दूसरे माननीय सदस्यों को पूछने देते हैं।

**श्री मोगजी भाई** : गढ़ी और कुशलगढ़ में कोई केस नहीं है। इसका क्या कारण है ? क्या साल भर में वहां कोई मरीज़ नहीं आया ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : क्या गढ़ी और कुशलगढ़ में दवाइयां नहीं मिलती हैं ?

**श्री मोगजी भाई** : आवश्यकता के अनुसार दवाइयां नहीं मिलती हैं।

**श्री बद्रीसप्राद गुप्ता** : आपको विटामिन 'बी' की तो आवश्यकता नहीं है।

( विराम )

**श्री जनार्दनराय नागर** : वही है। जरूर मिलना चाहिए।

### प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, बसवा का भवन

**१०४. श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर बसवा में स्थापित हुए करीब डेढ़ साल हो गया लेकिन बिल्डिंग का पूर्ण निर्माण पी. डब्लू. डी द्वारा मंजूर शुदा नकशा न देने की वजह से नहीं हुआ ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि भवन निर्माण के लिए जनता द्वारा इकट्ठे किये हुए ११,०००) रुपये रखे हुए हैं ?

(३) इस कार्य को अब सरकार कब तक पूरा कराने का इरादा रखती है ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** ( श्री हरिश्चन्द्र ) : (१) हैल्थ सेन्टर कब स्थापित हुआ, इसकी सूचना इस विभाग को नहीं है। जो देरी का कारण बताया गया है वह सच नहीं है।

(२) इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(३) आशा है चालू फाइनेन्शियल इयर में।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : जब कि जानकारी नहीं है इस विभाग को किसी बात की तो फिर यह कैसे मालूम हो गया कि कब तक पूरा रखने का इरादा रखते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि आगामी साल में ?

**श्री अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह।

## पंचवर्षीय योजनाओं में खोले गये प्रसूतिगृह

१०२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** ( उनियारा ) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कहां कहां प्रसूतिगृह और हैल्थ सेन्टर्स खोले गये ? इनके खोलने के लिये किन किन बातों का होना आवश्यक समझा गया ?

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे प्रसूति गृह तथा हैल्थ सेन्टर्स खोलने के प्रोपोज़ल्स हैं ? अगर हां, तो कितने कितने, कहां कहां पर और किन किन आधारों को लेकर ?

(ग) क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में हैल्थ सेन्टर व प्रसूतिगृह खोले जावेंगे ? अगर हां, तो कहां कहां पर ?

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कोई हैल्थ सेन्टर नहीं खोले गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो हैल्थ सेन्टर खोले गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई प्रसूतिगृह नहीं खोले गये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोलने का विचार है।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्णय लिया जायगा। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) अगर टोंक डिस्ट्रिक्ट में कोई खंड प्रथम श्रेणी के खण्ड में परिणत होगा तो वहां हैल्थ सेन्टर खोल दिया जायगा तथा प्रसूतिगृह खोलने के आधारों की पूर्ति होगी तो वहां प्रसूतिगृह खोले जाने के बारे में विचार किया जायगा।

( कृपया परिशिष्ट ६ देखिये )

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : प्रसूतिगृह हैल्थ सेन्टर के साथ होता है क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उसके साथ में प्रिवेन्टिव प्रसूतिगृह भी है। सेपरेट प्रसूतिगृह खोलने की कोई योजना नहीं है।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : कितनी पुरानी डिस्पेन्सरीज़ पर हैल्थ सेन्टर का बोर्ड लगा दिया है और हैल्थ सेन्टर

( श्री जनार्दनराय नागर )

मान लिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ?

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : यह जो सूची दी गई है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोल दिये गये हैं और इसका क्राइटेरिया दिया है कि जितने आपने लिये हैं वे ५,००० की पोपुलेशन वाले होने चाहिए और मकान मिलना चाहिए। मकान नहीं हो तो ६०,०००) रु० जमा करने चाहिए। तो मैं यह पूछता हूं कि टौंक डिस्ट्रिक्ट में पीपरा और मंडालिया, टोडा रायसिंह तहसील में और मालपुरा तहसील में मालपुरा में बिल्डिंग प्राप्त हो गई थी क्या, या ६०,०००) रु० प्राप्त हो गये थे क्या, जिससे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां पर यह खोल दिये गये, और जहां पर ५,००० से अधिक ८००० की पोपुलेशन है वहां पर वे मकान को भी देने को तैयार हैं और वहां के लोगों के प्रार्थना-पत्र भी आये हैं लेकिन नहीं खोले गये हैं, इसका क्या कारण है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : आपने गलत समझ लिया। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हरेक ब्लॉक में खोलते हैं जहां कि कन्ट्रिब्युशन १०,०००) का होता है चाहे बिल्डिंग हो या नहीं। जहां पर पंचायत समिति निर्णय करती है वहां पर खोले जाते हैं। ६०,०००) रु० वाली और तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रसूतिगृह की बात है उसके लिए हिदायत जारी की गई है। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर सारे राजस्थान में ब्लॉक्स में खुले हुए हैं।

**श्री जनार्दनराय नागर** : उसके लिए क्राइटेरिया लागू नहीं है क्या कोई ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जो खुलते हैं वे हरेक ब्लॉक में खुलते हैं; पंचायत समिति या ब्लॉक कमेटी की सिफारिश पर खुलते हैं और लोकल कन्ट्रिब्युशन १० हजार का होता है। ६०,०००) वाली बात है वह सिर्फ प्रसूतिगृह के बारे में, मेटरनिटी सेन्टर्स जो आइन्दा खुलेंगे उसके बारे में है। अभी नहीं खोले गये हैं।

१२ म० प०

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मेरा मतलब यह है कि आप ब्लोक में एक खोलते हैं और ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूएन्सी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन जहां १० हजार की आबादी है और बिल्डिंग देने को तैयार हैं वहां के लिये आप कह देते हैं कि नहीं खोलेंगे, इसका क्या कारण है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जितने ब्लॉक्स खुले हैं उसी तरह से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही ब्लॉक खुला और वहां आज ही प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खुल गये। लिस्ट में नम्बर लगे हुए हैं, उसी के अनुसार खोलते हैं और स्थान के बारे में पंचायत समिति जहां के लिये कहती है वहां खोलते हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : जिला परिषद में तय होकर आपके पास सिफारिश आती है तभी खोलते हैं और वे रिकमन्ड करते हैं कि फलां जगह खोलो, वहां न खोल कर मर्जी आवे वहां सरकार खोल देती है ?

# Page No.27



श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा एक भी केस नहीं है। पंचायत समिति जहां के लिये कहती है वहीं खोलते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि जिला परिषद् टौंक ने फाइनल निर्णय लेकर यह सिफारिश की थी कि तहसील उनियारा और देवली में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये पंचायत समिति का प्रस्ताव चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करता हूं कि पंचायत समिति का प्रस्ताव आ चुका है और जिला परिषद् का भी प्रस्ताव आ चुका है। उसके बाद भी आपने ऐसी आड़ लगा रखी है कि कलेक्टर की सिफारिश होनी चाहिये और कलेक्टर की सिफारिश आपके टेलीफोन बिना नहीं हो सकती। तो क्या आप पंचायत समिति की सिफारिश को मानेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति की सिफारिश को मानेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : कितने ऐसे पुराने ब्लॉक्स हैं जिनमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के बोर्ड तो लगा दिये हैं लेकिन वास्तव में फंक्शन नहीं कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं पहले ही बता चुका हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर : प्रश्न यह है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की लिस्ट लगी है, लेकिन वास्तव में वे चल नहीं रहे हैं। पुरानों पर बोर्ड लगाया है. या नये खुले हैं लेकिन एक्चुअली चल नहीं रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कितनों में बोर्ड लग गया है और कितने एक्चुअली फंक्शन कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जो लिस्ट रखी है उसमें बताये गये सभी स्थानों पर चल रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या वहां पर फुल फ्लेज्ड चल रहे हैं ?

( उत्तर नहीं दिया गया )

प्रश्न संख्या १०३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

( अनुपस्थित )

## सिरोही जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरियें

१०४. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Health be pleased to state:—

(1) How many Primary health Centres and Dispensaries are running without doctors in Sirohi District and since when ?

(2) Does the Government contemplate to provide doctors at the places where vacancies are at present existing ? If so, by what time ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) The following Primary Health Centres and Dispen-

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

saries are without doctors from the period noted against each :—

| Name of Institution | Period from which post is vacant |
|---|---|
| (i) Primary Health Centre, Kalandri. | From 2-11-1959. |
| (ii) Primary Health Centre, Sarupganj. | From April, 1960. |
| (iii) Sildar Dispensary. | From April, 1960. |
| (iv) Nadiya Dispensary. | From 24-4-1959. |

(2) One C. A. S. Class II Doctor has been appointed for Kalandari P. H. C. and he is due to join upto the end of August, 1960. One C. A. S. Class II Doctor for Nadiya Dispensary has also been appointed and he is due to join upto September, 1960. Doctors will be posted when available at Sarupganj, P. H. C. and Sildar Dispensary.

**श्री मोहब्बतसिंह** : Is it correct that one class I Compounder is provided at Primary Health Centre ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : That I cannot say off-hand.

**श्री जनार्दनराय नागर (मावली)**: Are these Health Centres functioning ?

**श्री अध्यक्ष** : 'फन्क्शनिंग' की परिभाषा में फर्क है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : His previous reply was that the Primary Health Centres are functioning. But when the Doctors are not available, how can they function ? His reply is not correct.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : My reply was correct. The Primary Health Centres are functioning, but the doctors are not there. They are functioning without a Doctor at certain places.

**श्री दलपतसिंह (आबू)** : सिरोही जिले में ऐसी कितनी डिस्पेन्सरीज़ हैं जिनमें डॉक्टर नहीं हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : यह तो बताया है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : १७ डॉक्टर्स की पोस्टें हैं जिनमें से ४ डॉक्टर नहीं थे। दो को पोस्ट कर दिया है और दो को करना बाकी है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : Sir, the opening of Primary Health Centres is quite different from their functioning. Our point is "Are they functioning ?" and he says that they are functioning, but your subsequent answer clearly betrays that they are not functioning because of lack of Doctors or whatever may be the reasons.

**श्री अध्यक्ष** : He has already replied to your question. He says that Doctors are being posted and at some places they have been posted. फर्क यह है कि आप फंक्शनिंग का मतलब क्या समझते हैं ?

Page No.29



**श्री जनार्दनराय नागर** : हमारा कोन्टेन्शन यह है कि जहां पुरानी हैं वहां पर बोर्ड तो लगा दिया गया है लेकिन एक्चुअली फंक्शन नहीं कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : There is a difference in the definition of "functioning".

**श्री जनार्दनराय नागर** : I will submit, Sir, it is a very important question.

**श्री अध्यक्ष** : चलने की परिभाषा में फर्क है। वे कहते हैं कि आधा स्टाफ चल रहा है, बाकी जा रहा है। आप जो बात कर रहे हैं वह तो बहस का विषय हो गया। यहां पर बहस नहीं होगी। जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : १७ में से १५ स्थानों पर डॉक्टर मौजूद हैं।

**श्री अध्यक्ष** : १७ में से १५ हैं, तो it is a good record.

**श्री दलपतसिंह** : बाकी चार डॉक्टर्स कब तक पहुँच जायेंगे ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैंने अर्ज किया था कि कालन्द्री में पोस्ट किया था, नादिया में डॉक्टर गया भी लेकिन वहां उसको रहने के लिये जगह नहीं मिला। फिर भी वहां पर जल्दी ही भेज रहे हैं तथा बाकी दो जगह भी भेज रहे हैं।

**श्री दलपतसिंह** : अनाद्रा डिस्पेन्सरी में डॉक्टर भेजने के लिये मैं पहले चार साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अब तक नहीं भेजा गया। यह कह देते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँच जायगा। आप यह बता दीजिये कि कितने समय में पहुँच जायगा ? समय का कुछ लिमिट तो होना चाहिये।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : नादिया में अप्रेल, ५६ में ही पोस्ट किया था....

**श्री अध्यक्ष** : अनाद्रा के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अनाद्रा में एड पोस्ट है जहां डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा।

( अनुपस्थित )

श्री दयाकृष्ण विजय।

( अनुपस्थित )

## कस्बा उनियारा में नगरपालिका द्वारा सड़क का निर्माण

**७३. रावराजा श्री सरदारसिंह** ( उनियारा ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कस्बा उनियारा के अन्दर नगरपालिका सड़क बना रही है ?

(ख) अगर हां, तो कब से और अब तक कितनी सड़क बन चुकी है और कितनी बाकी है ?

(ग) क्या यह सही है कि सरकार ने

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

इस सड़क निर्माण के लिये एक निर्माण कमेटी का आयोजन किया है ? अगर हां, तो इसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(घ) इस सड़क पर अब तक कितनी धन-राशि नगरपालिका द्वारा व्यय की गई है और कितनी धनराशि इसके लिये और व्यय करनी बाकी है ? सरकार ने इस कार्य के लिये कितनी अधिक सहायता दी है ?

(ङ) क्या यह सही है कि निर्माण कमेटी और प्रशासक नगरपालिका के बीच में मतभेद होने के कारण सड़क का कार्य अपूर्ण पड़ा है ?

(च) अगर हां, तो सरकार इस गति-रोध को दूर करने का क्या प्रयत्न कर रही है और यह सड़क निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**स्वायत्त शासन मन्त्री** ( श्री सम्पत-राम ) : (क) जी हां।

(ख) सन् १९५६-५७ से। आधी से ज्यादा सड़क बन चुकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस सड़क पर रु० २०,१०६.४२ न. पै. व्यय किये जा चुके हैं और अनुमानतः १५,००० रुपये और खर्च होंगे। सरकार द्वारा इस कार्य के लिये ४॥ हजार रुपयों की आर्थिक सहायता दी गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता। बरसात के बाद प्रायः ६ माह में पूर्ण होने की आशा है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आपने कहा कि प्रश्न नहीं उठता और आधी सड़क बन चुकी है। जो हिस्सा सड़क का अधूरा पड़ा है वह किस कारण से पड़ा है ?

**श्री सम्पतराम** : मैं निश्चित कारण तो अभी नहीं बता सकता। शायद कोई ठेकेदार छोड़ कर चला गया होगा। उसकी जानकारी तो मैं करा ही लूंगा, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वह मैंने आपको बतला दी।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मैं निवेदन करूं कि इस समय वहां न तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और न काम चल रहा है क्योंकि पहले तो तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेटर था उसका तबादला हो गया और नायब तहसीलदार उसकी जगह काम कर रहा है लेकिन उसे आपकी म्युनिसिपैलिटी के एड-मिनिस्ट्रेटर के पॉवर्स नहीं दिये गये हैं इसलिये वह एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं कर रहा है। इसलिए सड़क का काम पड़ा हुआ है। या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा दीजिये या म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करायें, आज उसको तीन वर्ष होने वाले हैं।

**श्री सम्पतराम** : हम किसी नगरपालिका का एडमिनिस्ट्रेटर कायम करते हैं तो तहसीलदार, एस. डी. ओ. को करते हैं। जो कोई ऑफिसियेटिंग करेगा वह एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि तहसीलदार नहीं है, तो मैं राजस्व मन्त्रीजी से कहूँगा कि तहसीलदार भेजने की कृपा करें।

# Page No.31



**रावराजा श्री सरदारसिंह** : राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन कर दूंगा, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तीन साल होते आये, म्युनिसिपैलिटी की अवधि तीन साल की होती है। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है और कभी रहता नहीं है। अभी तो मैं जिन्दा हूँ, इस जगह को इतना लावारिस नहीं करिये। मैं निवेदन करूं कि वहां कोई जाता नहीं, बड़ी मुश्किल से राजस्व मन्त्री की महरबानी से सड़क का काम शुरू हुआ। आपके आते ही सड़क का काम बन्द हो गया।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा।

**श्री सम्पतराम** : सड़क को जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : Thank you.

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा।

## ग्राम हरिपुरा, तहसील लाडपुरा (कोटा) के पशुओं को दरा जंगल में चराने की स्वीकृति

७७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम हरिपुरा, तहसील लाडपुरा (कोटा) दरा के जंगल के निकट होने से यहां के लोगों का कृषि के अतिरिक्त दूसरा धन्धा पशु-पालन है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि हरिपुरा निवासियों के मवेशियों को निकट के जंगल में नहीं चरने दिया जाता ?

(ग) क्या चरनोट के अभाव में इस ग्राम के लोग मवेशियों को बेच रहे हैं ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निकट का जंगल इनके मवेशियों के चरने के लिये खोलने का विचार रखती है ?

**वन मन्त्री (श्री सम्पतराम)** : (क) पूरक (सब्सीडिअरी) धन्धा पशु पालन हो सकता है।

(ख) प्लान्टेशन्स और हाल में कटे हुए वृक्षों को छोड़ कर अन्य जंगलों में चराई की रोक नहीं है।

(ग) कोई सूचना इस प्रकार की नहीं मिली।

(घ) जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

## बूंदी जिले में वर्धा बंध की मछलियों का ठेका

७८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state:—

1. Is it a fact that for Fish Contract of Bandh Wardha in Bundi District, an auction was made and was offered for Rs. 24,000/- by Mr. Kherati ? If so, why possession was not handed over to him ?

# Page No.32



( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

2. Is it a fact that it was re-auctioned again? If so, when and why?

3. Has the Government not been put to financial loss in this affair? If yes, who is responsible for this and what action does the Government propose to take against him?

4. How many total Fish Contracts were given to Mr. Kherati this year in Rajasthan?

5. Is it a fact that this contractor has been given this year contract for the supply of nets?

**पशु पालन मन्त्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा ) : (१) जी हां, अन्तिम बोली श्री खेराती की २४,०००) रु० की नहीं; बल्कि २४,६०५) रु० की थी। श्री खेराती के ठेके की तथा जमानत की रकम नियमानुसार जमा न कराने पर कब्जा नहीं दिया गया।

(२) जी हां; २२, २३ व २४ फरवरी, १९६० को। श्री खेराती ने ठेके की रकम जमा नहीं कराई थी।

(३) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) कोई नहीं।

(५) जी नहीं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह जो रकम जमा कराई, वह अर्नेस्ट मनी की है?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी हां, बोली खत्म करने के बाद एक-चौथाई जमा करानी पड़ती है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: बोली खत्म होने के बाद अनाउन्समेंट कर दिया गया है कि आपके नाम पर ठेका दिया जाता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी, यह भी कहा कि एक-चौथाई डिपोजिट करा दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : प्रश्न संख्या ८०।

## अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा प्लॉट्स का अलॉटमेन्ट

**८०. श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर–श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ( जौहरी बाजार, जयपुर ) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) १७.२.५६ के पश्चात् यू.आई.बी., जयपुर द्वारा जिन जिन को लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया गया तथा उनको पट्टा किस किस तारीख को दिया गया है?

(ख) इन अलॉटीज़ ने प्लॉटों पर कब कब अपना कब्जा कर लिया?

(ग) लैटर ऑफ अलॉटमेंट दिये जाने से पहले किन किन ने पहली किश्त की कितनी कितनी रकम कब अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में जमा कराई?

(घ) प्लॉट्स पर अधिकार करने से पहले किन किन ने कितनी कितनी रकम पहली किश्त की कब कब जमा कराई?

# Page No.33



( श्री भैरोंसिंह )

(ङ) किन किन ने कितनी कितनी पहली किश्त की रकम पट्टा कराने के बाद जमा कराई ?

(च) किन किन ने अभी तक कोई रकम जमा नहीं कराई है ? इनके नाम के प्लॉट्स किसके अधिकार में हैं ? कृपया उपरोक्त प्रश्नों से सम्बन्धित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(छ) किन किन व्यक्तियों ने लैटर ऑफ अलॉटमेंट इश्यू करने के बाद प्लॉट्स पर अधिकार करके कन्सट्रक्शन चालू करवा दिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ? ये व्यक्ति कौन कौन हैं ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

**स्वायत्त शासन मन्त्री** (श्री सम्पत राम) : (क) यह तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) यह सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(ग) नजराने की रकम लैटर ऑफ अलॉटमेंट पत्र जारी होने के बाद जमा कराई जाती है; अतः उससे पहले कोई रकम जमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता :

(घ) यह सूचना भी संलग्न तालिका में दे दी है।

(ङ) सम्भवतः माननीय सदस्य पट्टा दिये जाने सम्बन्धी प्रणाली से परिचित नहीं है। पट्टा केवल उसी अवस्था में दिया जाता है जब कि पूरी रकम जमा करा दी जावे। पट्टा दिये जाने के बाद किश्त के जमा होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(च) यह सूचना संलग्न तालिका परिशिष्ट बी में दे दी गई है। ये भूखंड अभी मण्डल के ही अधिकार में हैं।

(छ) अलॉटमेंट लैटर इश्यू होने से ही किसी के भूखंड पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। भूखंड पर कब्जा पाने के लिए अलॉटी को भूखण्ड का मूल्य अथवा किश्त जमा कराना आवश्यक है। रकम जमा कराने के पश्चात् नगर विकास मण्डल से पजेशन लैटर इश्यू किया जाता है। नियमानुसार कोई भी नगर विकास मण्डल से अपने नकशे स्वीकृत कराये बिना कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में केवल अलॉटमेंट लैटर के आधार पर ही निर्माण चालू कर दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

( कृपया परिशिष्ट ७ देखिये )

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : नजराना क्या चीज है ? इस जनतंत्रीय समय में कौन नजराना देता है ?

**श्री अध्यक्ष** : लीगल टर्म है।

**श्री जनार्दनराय नागर**: लीगल नहीं है, फ्यूडल टर्म है। या तो इसे बदला जाय या बेजरूरत किया जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : १७.२.५६ को जब अलॉटमेंट हुआ और दिसम्बर में यू. आई. बी. को खत्म कर दिया तो अलॉटमेंट लैटर क्यों इश्यू किया गया ?

**श्री सम्पतराम** : जिस तारीख से राजस्थान में अलॉटमेंट बन्द किया है; उससे पहले बोर्ड कोई निश्चय कर चुकी है, उसके सम्बन्ध में लैटर जारी हुआ है। उसके बाद फ्रेश अलॉटमेंट नहीं हुआ है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : जवाब में अंग्रेजी शब्द आये हैं, तो क्या उनके हिन्दी शब्द नहीं मिल सके।

**श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०)** : क्या पट्टा सब को मिल चुका है? जिनको पट्टा जारी हुआ, उनके रुपये जमा हो गये?

**श्री सम्पतराम** : जी हां। जो जमा करा देते हैं उनका कर्त्तव्य है कि वे पट्टा बोर्ड से ले लें।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : जो हरिजन कोलोनी की स्कीम है, उन्होंने १९५४ में रुपया जमा करा दिया था लेकिन उनको पट्टा आज तक नहीं मिला, इसका क्या कारण है?

**श्री सम्पतराम** : मेरे ख्याल से उन्होंने प्रयत्न नहीं किये, अगर प्रयत्न करेंगे तो पट्टा जरूर मिलेगा। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो आप उनको मेरे पास डाइरेक्ट कर दें, मैं उस पर कार्यवाही कर दूंगा।

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : प्रयत्न किस प्रकार से किये जायं, यह बता दें।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : यू.आई.बी के कर्मचारी २५ रुपये पट्टा देने की रिश्वत लेते हैं, इसलिए १९५४ से पट्टा नहीं मिला है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणियां।

**बीलवाड़ी बहुद्देशीय सोसाइटी, बीलवाड़ी को सरकार द्वारा प्रदत्त धन-राशि**

८२. **श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०)** : क्या सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम बीलवाड़ी में बीलवाड़ी बहुद्देशीय सोसाइटी को सरकार द्वारा कोई धन-राशि प्राप्त हुई? यदि हां, तो कितनी और कब?

(२) क्या उक्त सोसाइटी को मिली हुई रकम सोसाइटी के मेम्बरों को बांट दी गई है? यदि हां, तो किस किस को नहीं, तो क्यों नहीं?

(३) क्या उक्त सोसाइटी के समस्त मेम्बर्स उसी क्षेत्र में रहते हैं?

(४) क्या उक्त सोसाइटी का को-ऑपरेटिव इन्सपेक्टर ने कभी निरीक्षण किया और उसकी लिखित रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को दी? यदि हां, तो कब और वह रिपोर्ट क्या थी? उक्त सोसाइटी के मेम्बरों की संख्या क्या है? सूची, मेम्बरों का नाम व पता सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**सरकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :** (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां, दिनांक २८-१-६० को रिपोर्ट की प्रतिलिपि परिशिष्ट (क) संलग्न है । मेम्बरों की संख्या २८ है जिनकी सूची परिशिष्ट (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

( कृपया परिशिष्ट ८ देखिये )

**श्री लादूराम सुलाणियां** : क्या यह सही है कि प्रश्न नम्बर १ में आपने फर्माया, "जी नहीं"; परन्तु इसे सरकारी ऋण नहीं मिला ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : 'हां' कब कहा ! मैंने कहा, "जी नहीं ।"

**श्री लादूराम सुलाणिया** : क्या यह सही है कि उनको ऋण नहीं मिला है जो १३६० हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हां, सरकार से नहीं मिला है ।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : तो क्या यह सही है कि जो सदस्यों की रकम है, इसमें पूंजी हिस्सा १९५९–६० और १९५८-५९ से सोसाइटी चलती है तो सरकार से उनको सहायता और धन–राशि प्रदान क्यों नहीं की गई है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है, न उन्होंने मांगी है और न दिया जा सकता है ।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : क्या उन्होंने प्रार्थना–पत्र सहायता के लिए नहीं दिया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी नहीं ।

**श्री लादूराम सुलाणियां** : क्या यह सही है कि जो उनके सदस्य हैं, वे बाहर नहीं रहते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी नहीं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं, जो हद है उसमें रहते हैं ।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : क्या यह सही है कि जो सदस्य हैं वे सब काश्तकार हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी हां ।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : क्या नं० २८ पर जो जीवालाल है वह काश्तकार है या सेठ है करोड़पति ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री रावतराम आर्य ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह सेठ भी हो सकता है, लेकिन खेती भी कर सकता है । सेठ मेम्बर्स को लोन भी दे सकता है ।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**श्री लादूराम सुलाणिया** : ऐसे कई काश्तकार हैं जिन्हें पूंजी हिस्सा नहीं मिला है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री अध्यक्ष** : श्री रावतराम आर्य ।

(अनुपस्थित)

# Page No.36



## राजस्थान बैंक एम्पलॉईज़ यूनियन के सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की मांग से सम्बन्धित प्रस्ताव

८६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या राजस्थान बैंक एम्प्लाईज़ यूनियन ने १६५६ में सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में सरकार को प्रस्ताव भेजे थे ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्रम मन्त्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) समझौता अधिकारी राजस्थान के समक्ष समझौता-वार्ता में हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : को-ऑपरेटिव बैंक के बारे में रूल्स वगैरह लागू नहीं होते ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : को-ऑपरेटिव बैंक के कन्सीलियेशन ऑफिसर कन्सल्ट कर रहे हैं दोनों पार्टियों को।

**श्री अध्यक्ष** : श्री लच्छूराम।

## कैटल ब्रीडिंग फार्म्स

८८. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कुल कितने कैटल ब्रीडिंग फार्म्स कहां कहां पर चल रहे हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इन कैटल ब्रीडिंग फार्म्स में कौन कौन सी ब्रीड की मवेशी रखी जाती हैं ?

**पशुपालन मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान में निम्न स्थानों पर कैटल ब्रीडिंग फार्म चल रहे हैं :—

१. बस्सी, जिला जयपुर, हरियाना नस्ल

२. नागोर, नागोर, नागोरी नस्ल

३. अलवर, जिला अलवर, मेवात नस्ल

(ख) इन तीनों फार्मों में :—

१. बस्सी में हरियाना ब्रीड के पशु

२. नागोर में नागोरी ब्रीड के पशु

३. अलवर में मेवात ब्रीड के पशु रखे जाते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

**श्री मनरूपराम परिहार** : प्रश्न संख्या ६०।

## सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों को सर्दी को ऋतु में गर्म कपड़ों की वर्दी की व्यवस्था

६०. **श्री शंकरलाल** [रायपुर श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु०) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान के

( श्री शंकरलाल )

सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों को सर्दी की ऋतु में भी अनिवार्य रूप से सूती कपड़ों की वर्दी में रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार सर्दी की ऋतु में गर्म कपड़ों की वर्दी की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

**स्वास्थ्य मन्त्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। वर्दियां कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों को ही दी जाती हैं। नर्सिंग स्टाफ को समानता रखने के लिये केवल ठंडी वर्दी दी जाती है।

## दूकान निरीक्षकों के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों की नियुक्ति

६२. **श्री लादूराम सुलाणिया** ( दूदू-सु० ) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में कुल कितने दूकान निरीक्षक (Shop Inspectors ) कार्य कर रहे हैं ? उनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की क्या संख्या है ?

(ख) उनकी नियुक्ति के समय कुल कितने उम्मीदवार थे और उनमें से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने थे ?

(ग) क्या सभी सुरक्षित स्थानों की पूर्ति कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने उम्मीदवारों के नाम भेजे गये ? ऐसे उम्मीदवारों की मय योग्यता के नामों की सूची सदन में प्रस्तुत की जाय।

**श्रम मन्त्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राज्य में कुल ६५ दूकान निरीक्षक कार्य कर रहे हैं, जिनमें से अनुसूचित एवं जन-जाति का एक व्यक्ति कार्य कर रहा है।

(ख) नियुक्ति के लिये कुल १,२०४ उम्मीदवारों के नाम आये थे जिनमें से १५ व्यक्ति अनुसूचित एवं जन जाति के थे।

(ग) सुरक्षित स्थानों के लिये अनुसूचित एवं जन-जाति के सात व्यक्तियों का चुनाव कर लिया गया था। मगर उनमें से ६ ने जोइन नहीं किया।

(घ) जयपुर, अजमेर व उदयपुर के एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेज़ से क्रमशः ११,१ व १ अनुसूचित एवं जन जाति के व्यक्तियों के नाम भेजे गये थे, जिनके नाम मय योग्यता सहित निम्नलिखित हैं :—

(१) श्री घासीराम, बी. ए.
(२) श्री हनुमानप्रसाद, बी. कॉम.
(३) श्री प्रभातीलाल, बी. ए.
(४) श्री गणपतलाल, बी. ए.
(५) श्री भोमराज, एम. कॉम. (प्रो०)
(६) श्री केशरदेव, बी. कॉम.
(७) श्री मूलचन्द, बी. कॉम.

# Page No.38



( श्री बद्रीप्रसाद )

(८) श्री हरिसिंह, बी. ए.

(९) श्री मनोरचन्द, बी. ए.

(१०) श्री नारसिंह, बी. ए.

(११) श्री कालीचरण, एम. ए.

(१२) श्री हरिराम, बी. ए.

(१३) श्री जमनाप्रसाद बांगोलियां, बी. ए.

इनके अतिरिक्त निम्न के प्रार्थनापत्र सीधे प्राप्त हुए थे :—

(१) श्री मिट्ठालाल मीणा, बी. ए.

(२) जगदीशप्रसाद हरिजन, बी. ए.

**श्री लादूराम सुलाणिय :** ये एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज ने जिन जिन के नाम भेजे क्या सब को सर्विस में ले लिया ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** जिनके नाम भेजे उनमें से ७ आदमियों को सिलेक्ट किया और उनको एपोइन्टमेंट ऑर्डर्स भेजे। उनमें से एक ने जोइन किया, बाकी ने जोइन नहीं किया।

**श्री लादूराम सुलाणिया :** क्या कारण था ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** यह तो वे जानें।

**श्री लादूराम सुलाणिया :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके पास कोई एपोइन्टमेंट ऑर्डर नहीं पहुंचे हैं जब कि माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि उनमें से ६ ने जोइन नहीं किया।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मन्त्री कहते हैं कि उनका सिलेक्शन करके उनको एपोइन्टमेंट ऑर्डर्स भेज दिये हैं।

**श्री लादूराम सुलाणिया :** अगर वे कहते हैं कि उनको एपोइन्टमेंट ऑर्डर्स भेज दिये हैं तो वे कृपा कर एपोइन्टमेंट ऑर्डर बतावें, एपोइन्टमेंट ऑर्डर की कॉपी उनके पास होगी।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** पहले ७ आदमियों का सिलेक्शन किया गया। इनमें से ६ व्यक्तियों ने जोइन नहीं किया। आप वेरीफाई कर लें।

**श्री लादूराम सुलाणिया :** मैं निवेदन करूंगा कि उनको कोई ऑर्डर नहीं मिले।

**श्री अध्यक्ष :** अब आप उनको इत्तला कर दें कि आपकी नियुक्ति कर दी गई है।

नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ९७.

## संचालक, पशुपालन विभाग की नियुक्ति

९७. **श्री भैरोंसिंह :** [श्री माधोपुर–श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) डाइरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेन्डरी की नियुक्ति कब और कितने समय के लिये हुई थी ?

(ख) इस नियुक्ति की Concurrence जनसेवा आयोग से ली गई थी अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

# Page No.39



( श्री भैरोंसिंह )

(ग) क्या यह सही है कि नियुक्ति की अवधि में वृद्धि किये जाने के लिये सरकार की ओर से जनसेवा आयोग को लिखा गया ? यदि हां, तो कब २ और उस पर जनसेवा आयोग की क्या २ सम्मति रही ?

(घ) जुलाई, सन् १६५६ के पश्चात् डाइरेक्टर को अब तक किस किस हुक्म के द्वारा तनख्वाह मिलती रही और किस प्रकार से ? ऐसे प्रत्येक हुक्म की प्रतिलिपि सदन की मेज रखने की कृपा करें ।

**कृषि मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) संचालक, पशु-पालन विभाग, श्री बी० एन. झान्डा की नियुक्ति राजस्थान सरकार के अधीन दिनांक ६. ७. ५७ को २ वर्ष के लिये हुई थी लेकिन उन्होंने इस पद का कार्य भार दिनांक १५. ७. ५७ को संभाला था ।

(ख) जी नहीं, इनकी नियुक्ति की कॉन्करेन्स जन सेवा आयोग से नहीं ली गई थी क्योंकि यह राज्य सरकार स्वयं के अधिकार क्षेत्र में है कि रिटायर्ड व्यक्तियों की नियुक्ति विभाग की सम्मति से किसी भी पद पर २ वर्ष के लिये बगैर जनसेवा आयोग की कॉन्करेन्स प्राप्त किये की जा सकती है ।

(ग) जी हां, जन सेवा आयोग को संचालक, पशु-पालन के कार्य काल में वृद्धि किये जाने के लिये प्रथम बार ८ अगस्त, १६५६ को, द्वितीय बार ३ नवम्बर, ५६ को एवं तृतीय बार २३. २. ६० को लिखा गया । जन सेवा आयोग ने एक साल यानी १४ जुलाई, सन् ६० तक की वृद्धि करने की सहमति दिनांक २. ५. ६० को दी ।

(घ) संचालक, पशु पालन विभाग को जुलाई, ५६ के पश्चात् तनख्वाह वित्त विभाग की सम्मति प्राप्त कर प्रोवीज़नल पेमेन्ट के द्वारा तनख्वाह दी जाती रही है । प्रोवीज़नल पेमेन्ट ऑर्डर्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या इस पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नहीं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जब पोस्ट को एडवटाइज़ नहीं किया गया तो इनका एपोइन्टमेंट किस प्रकार से किया गया और इनकी एप्लीकेशन किस प्रकार से आई ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनको पता चला कि वहां का डाइरेक्टर नहीं है और उन्होंने अर्जी दे दी । हमको कोई दूसरा आदमी एवेलेबल नहीं था इसलिये हमने उनको एपोइन्ट कर लिया ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अगर सरकार एडवर्टाइज़मेंट निकालती तो ज्यादा एप्लीकेशन्स आती और उससे योग्य व्यक्ति को एपॉइन्ट करती । एडवर्टाइज़मेंट होता तो लोगों को जानकारी होती ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं जानकारी करके ही कहता हूं कि और आदमी कोई एवेलेबल नहीं था ।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : आपने बगैर एडवर्टाइज़ किये यह कैसे जाना कि

( श्री श्रीमानसिंह )

इन्डिया भर में दूसरा कोई आदमी एवेलेबल नहीं था। What steps were taken by the Government in order to know that people of suitable qualifications were not available in the country ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** हिन्दुस्तान में जितने भी डाइरेक्टर्स, एनिमल हस्बेन्ड्री हैं उन सबकी जानकारी हमारे पास आज दिन भी है और उस दिन भी थी और मैं यह कहूंगा कि एनिमल हस्बेन्ड्री के अलावा और भी बहुत से हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट की जानकारी है। सब जानकारी के बाद ही आपको मैं कहता हूं कि कोई दूसरा आदमी एवेलेबल नहीं था।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आपने पी. एस.सी. को पहले ८ अगस्त, १९५९ को कार्य-काल की वृद्धि के लिये लिखा; उसका पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या जवाब दिया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** एक, दो दफे वहां से चिट्ठियें आई और उन्होंने यही लिखा कि जो जूनियर व्यक्ति हैं उनका रेकॉर्ड ऑफ सर्विसेज़ हमारे पास भेजा जावे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** क्या यह सही है कि उन्होंने उनके एक्सटेन्शन के केस को रिजेक्ट किया और एक्सटेन्शन के लिये अपनी कॉन्करेन्स नहीं दी ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** उन्होंने अपनी कॉन्करेन्स दी है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** यह तो उन्होंने २.५.६० को दी है। आपने उनको ८ अगस्त को लिखा, उस समय उन्होंने उनको एक्सटेन्शन देने के लिये मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** पहले गवर्नमेंट ने ८ अगस्त, ५९ को लिखा, फिर दूसरी बार १ नवम्बर ५९ को लैटर लिखा और फिर तीसरा लैटर २३.२.६० को उन्होंने देखा कि फरवरी तो समाप्त हुआ। मार्च, अप्रेल और मई का महीना बाकी है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** यह बात नहीं है। पहले उन्होंने लिखा था कि दूसरे जूनियर ऑफिसर्स जो next chance में आते हों उनके नाम भेजें। हमने ५-६ आदमियों के Service Rolls भेजे। कुछ के पहले भेज दिये और कुछ के बाद में आने पर।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आपने जो ८ अगस्त को लैटर भेजा फर्स्ट लैटर, उसका क्या जवाब दिया।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मेरे पास लैटर की कॉपी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

( अनुपस्थित )

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न समाप्त हुए।

# Page No.41



( १२.२८ मध्यान्ह पश्चात् )

## सरदारशहर पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा श्री रामजस की पिटाई सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष :** श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दिनांक ६ अगस्त, १९६० को सरदारशहर पुलिस थाने में श्री रामजस, तार बाबू को स्थानीय पुलिस थानेदार सरदार चन्दसिंह व अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा पीटने एवं उससे उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी गई जानकारी से विदित होता है कि श्री रामजस को काफी चोटें आई हैं तथा पुलिस थानेदार सरदार चन्दसिंह को भी चोटें आई हैं। इस घटना की तफतीश सर्कल इन्सपेक्टर रतनगढ़ एवं सी. आई. डी. ऑफिसर द्वारा की जा रही है। जहां तक पुलिस द्वारा श्री रामजस को की गई कथित पिटाई का सम्बन्ध है उसकी जांच डी. आई. जी. पुलिस, बीकानेर रेन्ज द्वारा की जा रही है।

ऐसी स्थिति में यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं रह जाता कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाय। मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य दें।

**गृह मन्त्री ( श्री रामकिशोर व्यास ) :** अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे अब तक प्राप्त हुई है मैं उसके आधार पर कहता हूँ कि रामजस नाम का व्यक्ति सरदारशहर के पोस्ट ऑफिस में नौकर था। उसके खिलाफ पोस्ट ऑफिस में अमानत में खयानत की शिकायत वहां के पोस्ट मास्टर ने की और जब बड़े ऑफिस को शिकायत की और उस वकुए की पोस्ट ऑफिस के इन्सपेक्टर ने इन्कवायरी की और यह तय किया कि गबन किया गया है, तो उसके आधार पर जो नतीजा निकला उसकी पोस्ट मास्टर ने ५ तारीख को थाने में रिपोर्ट की कि इस तरह से गबन किया गया है। इस पर ६ अगस्त को कॉन्सटेबल रामजस को गिरफ्तार करने के लिये गया। उन्होंने अपने आपको सरेन्डर नहीं किया और रेज़िस्ट किया। सिपाही ने थानेदार को जाकर कहा। थानेदार मौके पर गया और पोस्ट मास्टर से कहा कि हम उनको पकड़ेंगे। पोस्ट मास्टर ने कहा कि हमने तो उसको पहले ही सस्पेन्ड कर दिया है। वह स्कूल में बैठा था। उनमें आपस में स्ट्रगल हुआ। एक कॉन्सटेबल गया, नहीं आया तो और आदमियों को भेजा। काफी झगड़ा रहा और उसको एरेस्ट करके थाने पर ले गये। इस पर शहर में यह गलत अफवाह फैलाई गई कि वह मर गया है। बहुत से लोग थाने पर आये और थाने में घुसना चाहा। इस पर थाने का दरवाजा बन्द किया गया और फिर भी लोग दीवारों पर चढ़ गये और दीवार पर चढ़ कर अन्दर घुसना चाहा। कई लोगों ने, एक गर्डर पड़ा था उसकी मदद से दरवाजा खोल दिया। लोग अन्दर घुसने लगे और ईंट-पत्थर आदि फैंके और मुल्जिम को छुड़ा कर ले जाना चाहा। इस पर सब-इन्सपेक्टर ने कहा कि अगर आप लोग वहां से नहीं निकलेंगे तो फायर कर दिया जावेगा। यह उनका मुल्जिम है, यह

( श्री रामकिशोर व्यास )

इसके वाकयात हैं ।

चोटों के बारे में यह है कि चोटें उसके आई हैं । सब इन्सपेक्टर के भी आई हैं और उसके भी आयी हैं । किस प्रकार से आई हैं, इसकी जांच के लिए एक स्पेशल सी. आई. डी. के सर्कल इन्स्पेक्टर को भेजा गया है ताकि वह इन्क्वायरी करे और बताये । साथ ही डी. आई. जी. को भी कहा कि इसकी जांच करें कि किस प्रकार से ये चोटें आई हैं । मुकम्मिल रिपोर्ट आने पर नेसेसरी कार्यवाही की जायगी ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार, जयपुर ) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया कि सर्कल इन्स्पेक्टर को जांच के लिए भेजा गया है । मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में ही यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां के ए. एस. पी., इन्सपेक्टर एवं अन्यान्य थानेदार वगैरह सारे लोग मिले हुए हैं, उनका एक गुट है इसलिए उनको जांच में एसोसियेट करना न्यायोचित नहीं होगा और न ही जांच ठीक तरह से हो सकेगी । यदि माननीय गृह मंत्रीजी इसकी सही जानकारी और जांच कराना चाहते हैं और सही तथ्यों को सामने लाना चाहते हैं तो डी. आई.जी. और आई. जी. को इसकी जांच के लिए मुकर्रर करना चाहिये । जितने भी वहां के पुलिस के ए.एस.-पी., इन्सपेक्टर, थानेदार आदि हैं वे सब फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उनके कारण सारे जिले में एक बड़ा भारी आतंक छाया हुआ है और सही तथ्यों की जांच के लिए यह आवश्यक है कि पहले वहां से उन-का ट्रान्सफर कर दिया जाय, नहीं तो इन्क्वायरी में फुल फैक्ट्स नहीं आ सकेंगे ।

जहां तक मारपीट करने का सवाल है और आपने कहा कि लोगों ने थाने पर हमला कर दिया, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि लोगों को, भले नागरिकों को जबर-दस्ती येन-केन प्रकारेण झूठे मामले लगा कर फंसाया जा रहा है । लोगों में इतना आतंक छाया हुआ है कि लोग चूरू इलाके को छोड़ २ कर भाग रहे हैं । ऐसे मामलों में माननीय गृह मंत्रीजी ने कुछ भी नहीं कहा । ३१ चोटें उस व्यक्ति के शरीर पर आई हैं, सीरियस चोटें हैं, फोटो स्टेट कॉपियां मेरे पास मौजूद हैं । यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको पेश कर सकता हूं । डॉक्टरी मुआयने की रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है । उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी गहरी चोटें आई हैं । सारे इलाके में आतंक छाया हुआ है पुलिस के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण से । अभी तक किसी का भी कोर्ट में चालान नहीं किया गया । लोगों को हर तरह से झूठे मुकदमें लगा कर फंसाया जाय, यह कार्यवाही चल रही है । जो कोई भी हमारे खिलाफ है, जो कोई हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, प्रतिनिधि भेजेंगे, डेलिगेशन भेजेंगे उनको फंसाया जायगा, अभी तक मामले को ओपन कर रखा है । यदि कोर्ट में चालान भी हो जाय तो ठीक था कि ऐसी कार्यवाही नहीं हो सकेगी । लेकिन अभी तक मामला ओपन है और लोगों पर झूठे मुकदमे लगा कर उनको फंसाया जा रहा है । इन सारी बातों को लेकर लोग इलाका छोड़ कर भाग रहे हैं, पुलिस का एक आतंक सारे इलाके में छाया हुआ है । उनको न तो मैं डिफेन्ड करने वाला हूं और न ही आपको करना चाहिये । जालि-

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

माना कार्यवाही पुलिस के लोगों की न हो, इसके लिए आपको कार्यवाही करनी चाहिये। इसकी सही जांच आपको करवानी चाहिये।

**श्री रामकिशोर व्यास** : जहां तक मेरा ताल्लुक है केस के पूरे वाकयात देखने के बाद मैंने यह महसूस किया है। आपके एडजोर्नमेंट मोशन में तो एक तरफा वाकयात हैं। सी. आई. डी. सर्कल इन्सपेक्टर को इसीलिए डेप्यूट किया है कि वह ही उस इलाके का नेक्स्ट अफसर है। यहां से भी भेजे हैं। खास तौर से ही डी. आई. जी. को कहा है कि इसकी इन्क्वायरी करें। डी. आई. जी. उस इलाके के हाइएस्ट अधिकारी हैं और वे उसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि उस इलाके में बहुत ही बदअमनी फैली हुई है, लोग इलाके को छोड़ कर भाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप स्वयं जाकर देख लें। लोगों ने थाने में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, रॉयटिंग की कोशिश की। जो लोग इस प्रकार की हरकतें करने में आते हैं और मुकदमे में आते हैं तो उनकी नाराज़गी यह हो सकती है, वर्ना वैसी कोई बात नहीं है। बेजा कोई कार्यवाही नहीं होगी। जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये वह तो बाजाब्ता कार्यवाही होगी। गलत रूप से नहीं फंसाया जायगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

## सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

**श्री अध्यक्ष** : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए, जो उनके नाम के आगे निर्दिष्ट है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

श्रीमती कमला श्रोत्रिय—२२ अगस्त से १० सितम्बर तक।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा—२२ अगस्त से ३१ अगस्त तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

## राजस्थान स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन को सदन की मेज़ पर रखना

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास उद्योग मंत्री की ओर से ) : मैं राजस्थान स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ।

## राजस्थान लैंड रेवेन्यु एण्ड पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी ( संशोधन ) विधेयक, १९५९

( प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन )

**श्री अध्यक्ष** : प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय)** : वित्त मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू

Page No.44



( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

—एण्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूँ।

**राजस्थान भिक्षा-वृत्ति निवारण विधेयक, १९५८**

( प्रवर समिति को )

**श्री अध्यक्ष** : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ बेगिंग बिल, १९५८।

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ बेगिंग बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : Motion moved. Shri, Mool Chand Daga.

( अनुपस्थित )

Dr. Chandrakala.

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भिक्षा-वृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ सदन में विचार के लिए प्रस्तुत है। उसके सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है "इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

सरकार, जनता और हम सब यह महसूस करते हैं कि भिक्षुकों की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहां है और इस समस्या के कई एक पहलू हैं। यह केवल भिखारियों और उनके बच्चों के नैतिक जीवन के विकास की दृष्टि से ही नहीं और न केवल इसलिए कि भिखारियों में कुछ छूत के रोगी होते हैं और उनसे समाज में रोग फैलता है, बल्कि इसलिए भी कि भिक्षा-वृत्ति के पीछे हमारी सभ्यता, संस्कृति की पृष्ठभूमि में एक परम्परा भी रही है। भिक्षावृत्ति हमारे यहां एक त्यागवृत्ति की सूचक रही है। जहां एक ओर गरीबी के कारण लोग भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं और दूसरे रोजगार न मिलने के कारण जीविकोपार्जन के लिए भिक्षावृत्ति अपनाते हैं वहां आध्यात्म भाव से, त्याग भावना से भिक्षावृत्ति अपनाना एक प्रणाली के रूप में इस देश में रहा है। आज जो भिक्षा वृत्ति का रूप है, हमारे यहां भिखारियों की स्थिति है, आज भिखारियों से जिस तरह से जनता और समाज प्रति दिन तंग आ गये हैं और जिस तरह से भिखारियों की भिक्षा वृत्ति का रूप जनता के सामने आ रहा है, उसको देख कर हम सब महसूस कर रहे हैं कि भिक्षा-वृत्ति पर नियन्त्रण होना चाहिये। सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर तरह तरह के लोग भिक्षा वृत्ति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। निश्चय ही इस प्रथा को बन्द करना चाहिये, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। इसके लिए एक विधेयक होना उपयुक्त है जिससे कि समाज जल्दी से जल्दी भिक्षा वृत्ति को बन्द करने के लिए कानूनी मदद ले सके। हमें इस विधेयक से बहुत मदद मिल सकती है।

लेकिन जिस रूप में आज यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसको इसी रूप में पारित

( डॉ० चन्द्रकला )

कर देते हैं और लागू कर देते हैं तो हमारा वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, सदन में अभी कुछ दिनों पहले बताया गया था कि हमारी सरकार हमारे यहां भिक्षा वृत्ति की क्या स्थिति है, उसका सर्वेक्षण कर पूरी जानकारी नहीं कर पाई है कि भिखारियों की सही स्थिति क्या है, किस तरह की समस्या है। जब तक रोग का निदान नहीं कर लिया जाता तब तक उपचार करना भी संभव नहीं। अच्छा तो यह होता कि सरकार हमारे प्रान्त में भिखारियों की जो स्थिति है उसका सर्वेक्षण कराती और किसी नतीजे पर पहुंचती जिससे कि भिखारियों की वास्तविक स्थिति के तथ्य हमारे सामने आते। उसको देखते हुए इस भिक्षावृत्ति निवारण के लिए सरकार कानून बनाती तो वह कानून बहुत ही उपयोगी हो सकता था।

जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ भिक्षा-वृत्ति केवल आर्थिक दीनता का आधार नहीं है, किन्तु इसके पीछे एक धार्मिक भावना और त्याग वृत्ति भी है। जिस प्रकार से इस बिल में परिभाषायें दी हुई हैं उनको यदि लागू कर देते हैं तो इसकी लपेट में केवल बहुत से भिखारी धर्म स्थानों में घूमते फिरते साधु, सन्यासी वेषधारी ही नहीं आवेंगे लेकिन जो साधना में लगे हुए आत्मार्थी लोग हैं वे भी इसमें आ जावेंगे। इसके साथ ही हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ता भी उस श्रेणी में आ जावेंगे और उनको भी इस कानून की लपेट में आना पड़ सकता है।

भिक्षा-वृत्ति को सरकार बुरा ही माने, यह जरूरी नहीं लेकिन विधेयक के क्लॉज़ २ में जो परिभाषा दी गई है उसको देखते हुए लगता है कि इस परिभाषा में कुछ प्रतिष्ठित जनता भी इस भिखारी की परिभाषा में आ जायेगी। एक छोटी सी लड़की जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके दिल्ली से महापंडित की उपाधि पा चुकी है अगर वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती है तो वह भी भिखारी की संज्ञा में आ सकती है। इसमें संगीत, नाटक आदि का जो प्रदर्शन करके पैसा कमाता है वह भी भिक्षुक की संज्ञा में आ जायगा और वह भी दंड का भागी होगा। इस बिल के क्लॉज़ २, सब क्लॉजिज़ (१),(२), (३) व (४) में इसी प्रकार के प्रावधान हैं। जैन भिक्षु होते हैं, भिक्षुणियां होती हैं वे कहीं खाना नहीं बनाते हैं, उनके घर नहीं होता है, वे तो दूसरों के घरों में जाकर जो कुछ भी उनको मिल जाता है उसी को लाकर खाते हैं। वे जहां समाज का कल्याण करते हैं वहां अपनी आत्मा का कल्याण भी करते हैं और अपने तथा समाज के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। वे मोक्ष की साधना के साथ साथ जनता और समाज का भी कल्याण करते हैं। अगर हम इस प्रकार की परिभाषा को लागू करते हैं तो ये भिक्षु-भिक्षुणियां भी जो बाजार और घरों में जाते हुए दिखाई देंगे उनको भी हमारी सरकार भिक्षुक गृह में भेजने के लिये तैयार हो सकती है। यह जो परिभाषा हमने दी है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है जिससे भिक्षा-वृत्ति के पीछे जो बुराई हमारे समाज में पैदा हो गई है, जिससे जनता पीड़ित हो रही है उस बुराई को हम दूर कर सकें। लेकिन जो परम्परा चली जा रही है, जो अच्छे रूप में चली आ रही है, जिसका चालू रहना हम सभी स्वीकार करते हैं, जो हम सब के लिये आदर और श्रद्धा की वस्तु

# Page No.46



( डॉ० चन्द्रकला )

हो सकती है उसकी रक्षा करते हुए इस बुराई को निर्मूल कर सकें, इसको हमें देखना पड़ेगा। एक बुराई को दूर करने के साथ साथ अगर हम दस अच्छाइयों को भी खत्म कर देते हैं, जिसकी सख्त आवश्यकता है तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि हम सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेज कर इसकी परिभाषा को इस तरह से संशोधित करें जिससे विधेयक में जो उद्देश्य बताया गया है वह पूरा हो सके।

इसके साथ साथ यह भिक्षा वृत्ति हमारे प्रान्त की ही नहीं, बल्कि सारे देश की एक समस्या बन गई है और सारे देश के लोग इस प्रयत्न में हैं कि भिक्षा वृत्ति का निर्मूलन किस प्रकार से किया जाय। अन्य प्रान्तों में भी इस सम्बन्ध में कानून बने हैं और उन प्रान्तों ने इस भिक्षावृत्ति को दूर करने का प्रयत्न किया है। मैं बड़ी नम्रता के साथ अपनी सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस समस्या का समाधान केवल कानून बना कर नहीं हो सकता, इस बारे में हमें कुछ और भी बातों को सोचना पड़ेगा, रचनात्मक दिशा में भी हमें सोचना पड़ेगा। कानून बना कर हम इसका निषेध कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ रचनात्मक सुझाव भी देने चाहिये। इसमें निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं की बात सोची गई है जिनको सरकार बनायेगी या जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होंगी। ऐसी संस्थाओं में भिक्षुकों को रखने की व्यवस्था होगी। कुछ स्वास्थ्य-गृह होंगे जिनमें रोगी भिक्षुकों को रख कर उनका इलाज किया जायगा। दूसरी सरकारों ने भी इस प्रकार की योजना बनाई है। मुझे मद्रास सरकार द्वारा बनाये हुए दया-सदन की याद है और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि उसका संचालन हमारे राजस्थानी भाइयों के द्वारा होता है। वहां एक-दो नहीं, हजारों की संख्या में भिखारी औरतें, बच्चे, पुरुष, लूले-लंगड़े, अपाहिज, बीमार सभी तरह के लोग वहां पर हैं। वास्तव में वह एक बहुत आदर्श संस्था है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वहां हमने देखा कि जिन भिखारियों की स्थिति बहुत खराब है उनमें भी आखिर स्वावलम्बन और स्वाभिमान की भावना आती है, हाथ के काम के प्रति उनमें विश्वास पैदा होता है और वे बहुत अच्छे नागरिक बन कर वहां से जाते हैं। हमारी सरकार का भी निश्चय ही यही उद्देश्य है और इस कानून द्वारा हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उन लोगों को ऐसे स्थान पर ले जाकर रखा जाय जहां से वे सुयोग्य नागरिक बन कर अपना जीवन-यापन कर सकें। आज हम देखते हैं जो रोगी भिक्षावृत्ति करने वाला है, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति उसका शोषण करके अपना जीविकोपार्जन करता है। एक अपाहिज का फायदा दूसरा उसका साथी उठाता है और वह उसके बहाने से जीविकोपार्जन करता है। लेकिन सरकार जिन स्थानों पर उनको रखेगी उनके चिकित्सा की व्यवस्था होगी। यह जो विधेयक का उद्देश्य है इसका जो ऑब्जेक्ट है वह बहुत सुन्दर है, इसका हर व्यक्ति समर्थन करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि वह उद्देश्य, जिस रूप में हमारे सामने यह विधेयक आया है उससे क्या वह पूरा हो सकेगा? कानून द्वारा हम किसी चीज़ का निषेध कर सकते हैं किन्तु कानून के साथ साथ जब तक रचनात्मक कार्य के द्वारा ऐसी संस्थाओं का निर्माण नहीं करेंगे व इस प्रकार

( डॉ० चन्द्रकला )

का काम करनेवाली संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। जो प्रामाणिक आश्रम होंगे उनमें उनको रखा जायगा, वहां पर उनको इस तरह की शिक्षा दी जायगी आदि सब बातें ऐसी हैं जिनका होना अत्यन्त आवश्यक है।

सदन में यह बताया गया है कि जयपुर में भिक्षुक-गृह चल रहा है। मैं नहीं सोचती कि वास्तव में चल भी रहा है या नहीं। मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है लेकिन अगर हम इस तरह के भिक्षुक-गृहों को अच्छी तरह से चलायेंगे और सचमुच में कार्य करेंगे तो इससे हमारा सवाल हल हो सकता है। जहां तक इस भिक्षावृत्ति के निर्मूलन का सवाल है हमें इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिये। लेकिन प्रस्तुत विधेयक द्वारा यह हो सकेगा, इसमें मुझे सन्देह है। इसीलिये मैंने सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो इसको अच्छी तरह से इस पृष्ठभूमि में सोचें कि यह केवल बुराई के रूप में ही नहीं, लेकिन भिक्षावृत्ति जो परम्परा से चली आ रही है, जिसके पीछे हमारी भावना है, श्रद्धा है, धार्मिक संस्कार हैं, एक ओर तो हमें धार्मिक संस्कारों की रक्षा करनी है और दूसरी ओर जो बुराई के रूप में जो चीज़ जड़ जमा चुकी है उसका निर्मूलन करना है, ये सब बातें देखी जा सकें। इस रूप में विचार करके विधेयक को रखा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आशा करती हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, यह जो प्रस्ताव राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक विचारार्थ लिया गया है इस पर मेरा संशोधन इस प्रकार से है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, या फिर इसका समर्थन कर दूँ। तो यह जो प्रस्ताव प्रवर समिति वाला है इसका मैं समर्थन करता हूं।

जो यह विधेयक माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। जब कभी भी कोई सभ्य नागरिक सार्वजनिक स्थान पर या धार्मिक स्थान पर जाता है तो वहां बच्चे, स्त्रियां, बुड्ढे, लूले, अपाहिज इस प्रकार के मिलते हैं और इस तरह से मांग-मांग कर तंग करते हैं कि उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि यहां से फौरन ही चल देना चाहिये। अगर वह व्यक्ति विदेशी नागरिक हुआ तो उसको इससे हिंदुस्तान की बहुत बुरी दशा नजर आती है और वह समझता है कि हिंदुस्तान की क्या हालत है।

पर साथ ही इसका एक दूसरा धार्मिक पहलू भी है। यह तो है आर्थिक और दूसरा है धार्मिक।

हमारे इस प्रकार के संस्कार हैं कि जो संसार से त्यागी पुरुष हैं व भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन-यापन करते हैं। हमारा इतिहास, हमारी आज तक की परम्परा इस बात की साक्षी है इस देश में राजा भर्तृहरि हुआ। उसने संसार त्याग के बाद पहला कार्य अपनी पत्नी से भिक्षावृत्ति लेने का किया और इसके बाद ही वह बड़ा योगी कहलाया। हमारे यहां यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसमें ब्रह्मचारी को भी एक बार भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है। इस तरह से जो हिन्दू है वह प्रत्येक हिन्दू

( डॉ० बहादुरसिंह )

अपने जीवन में कम से कम एक बार इस भिक्षावृत्ति को अपनाता है। अब अगर हम इन दो प्रकार की भिक्षावृत्तियों में अन्तर को नहीं समझ कर इन दोनों प्रकार की भिक्षा-वृत्तियों को रोकते हैं, तो इससे खराबी पैदा होती है और विरोध पैदा होता है।

इसी तरह इस देश में और समाज भी है। जैसे जैन समाज है। उनमें उनको कई उप-शाखाएं हैं। उनमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि उनके संसार त्यागी साधु-साध्वियां भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन-यापन करना धर्म का एक अंग समझते हैं। वे मुक्ति प्राप्त करने में इस भिक्षावृत्ति को भी एक साधन मानते हैं। इसी तरह से सिक्खों के अन्दर भी निहंग लोग हैं और दूसरे हिन्दू धर्म में भी साधु समाज में अखाड़े वगैरह हैं।

तो इस तरह से इस बिल की जो परि-भाषा है इसमें इनका समावेश नहीं है। यह खामी है। इस खामी को दूर करना चाहिये और यह परिवर्तन हम प्रवर समित में बैठकर ही अच्छी तरह कर सकेंगे।

इसी तरह से इस परिभाषा में ज्योतिषी भी आवेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि एक व्यक्ति जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ लेने बैठा है तो वह इसकी परिधि में कैसे जावेगा ? वह तो इसका एक आजीविका का साधन है, वह ज्योतिषी शास्त्र के अपने ज्ञान के बल पर ही तो कुछ लेता है, भीख नहीं मांगता। मान लीजिये एक ज्योतिषी फुटपाथ पर ही बैठा है और अपने ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर लोगों को कुछ बताकर पैसा या और कोई वस्तु लेता है तो वह भिक्षावृत्ति में कैसे आया ? अगर भीख मांगता है और इस तरह से और अपने ज्योतिष का ज्ञान काम में नहीं लेता तो अलग बात है।

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री) : डॉक्टरों का भी ख्याल कर लीजिये।

**डॉ० बहादुरसिंह :** हां। दूसरे इसमें प्रमाण-पत्र की व्यवस्था रखी है। जो स्वा-भिमानी योगी महात्मा हैं, जिन्होंने संसार छोड़ कर सन्यास ले लिया वे संसार के इन प्रपंचों के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाकर प्रमाण-पत्र की भीख मांगना भी पसन्द नहीं करेंगे। इसके लिए आप यह व्यवस्था कर सकते हैं कि जो जिस सम्प्रदाय का हो वहीं से प्रमाण-पत्र ले।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : यह तो प्रोविज़न है।

**डॉ० बहादुरसिंह :** नहीं है। तो संसार त्यागियों, साधुओं के लिये इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। फिर हिन्दू समाज में गृहस्थी भी इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि जब तक कोई साधु को वे कुछ दे न दें तब तक अपनी कमाई को शुभ नहीं गिनते और कुछ तो यह इच्छा रखते हैं कि जब तक साधु को दे न दें या कुछ दान न कर दें तब तक खाना नहीं खाते या अपनी आमदनी को अच्छी आमदनी नहीं मानते। तो इसलिये इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा बहस न करके केवल मन्त्री महोदय से इतना कहूंगा कि इन सब बातों का समावेश इसमें करने के लिए इसका प्रवर समिति में जाना निहायत जरूरी है। नहीं तो जो प्रोविजन इसमें इस समय हैं इनसे ऐसे त्यागी-महात्मा परेशानी में

( डॉ० बहादुरसिंह )

पड़ेंगे और धार्मिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को इससे काफी ठेस पहुंचेगी और सरकार को भी आगे जाकर काफी तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा।

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति को सौंप दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र में पेश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पढ़ने के बाद मेरे पास सिवाय इन शब्दों के और दूसरे शब्द नहीं हैं कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए बधाई के पात्र हैं। यह सचमुच में सराहनीय कदम है और समझता हूं कि हम इससे समाज का बहुत बड़ा हित करने जा रहे हैं इसको पास करके। अगर केवल भिक्षावृत्ति को रोकने का प्रश्न होता तो मैं समझता हूं कि यह कदम काफी होता। पर इसको रोकने के साथ साथ उनको आजीविका में लगाना, दूसरे कामों में लगाना आदि का जो प्रोविजन भी इसमें हैं यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए सचमुच में मन्त्री महोदय को बधाई देनी चाहिये।

इसके साथ साथ पूरी तरह सोच लेना चाहिये कि हम किस तरह से इस कदम को उठाना चाहते हैं। ऐसा न हो कि हम बुराई को तो दूर करने जावें और दूसरी तरफ समाज में धार्मिक प्रवृत्ति के कारण जो भलाई हो रही है वह रुक जावे, खत्म हो जावे। यह तो फिर एक बुराई को मिटाने के साथ साथ अच्छाई को मिटाना भी हो जावेगा।

सब जानते हैं कि हमारे जैन समाज में और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा अन्य समाजों में भी कुछ ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियां हैं जिनमें इन धर्मों के संसार-त्यागी सन्त, महापुरुष सिवाय भिक्षावृत्ति से खाना और वस्त्र लेने के दूसरे तरीके से नहीं ग्रहण करते। अगर इनको पाबन्दी में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से यह मानना होगा कि हम इन दो तरह की भिक्षा वृत्तियों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों तरह की भिक्षावृत्तियों को एक ही लाठी से हांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

इस कानून में हम इन दोनों को डिफ़रेन्शियेट नहीं कर सके हैं। भिक्षावृत्ति को, धार्मिक दृष्टि से मांगना और एक असहाय एवं जुर्म की वृत्ति से मांगना, इन दोनों में भेद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ): No Quorum.

**श्री अध्यक्ष**: Better you may not insist in lunch hours.

**श्री चन्दनमल वैद**: तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि धार्मिक वृत्ति से भिक्षा मांगने और असहाय, बेबसी या जुर्म करने की नीयत से भिक्षा मांगने की वृत्ति में हमें भेद करना होगा।

फिर जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि आपने ज्योतिषियों को भी इसमें ले लिया है। एक तरफ तो बहुत से ज्योतिषी को देखते हैं कि उनके पास बड़े बड़े नेताओं के प्रशंसापत्र

( श्री चन्दनमल वैद )

और प्रमाणपत्र हैं जिनको वे बहुत अच्छे ज्योतिषी बताते हैं और दूसरी तरफ आप उनके इस काम को इस तरह की भिक्षावृत्ति में शामिल करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमारे दिमाग साफ होने चाहिये।

किस तरह के लोगों को हम मानते हैं कि जिसमें भिक्षावृत्ति जुर्म की परिभाषा में आ सकती है ? इसमें मैं समझता हूँ कि कई तरह के हो सकते हैं। बच्चे हैं, असहाय हैं, जिनको कोई दूसरी आजीविका का सहारा नहीं है, बीमार हैं, अपंग हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कोढ़ी हैं; कुछ ऐसे हैं जो बच्चे उड़ाते हैं और उनकी टांग तोड़ कर या आंख फोड़ कर जुर्म करने की दृष्टि से भिक्षा मंगवाते हैं और फिर खुद अपनी आजीविका चलाते हैं। यह भी तरीका हो सकता है।

( १ म. प. )

तीसरा तरीका यह भी हो सकता है कि एक कोई धर्म या त्याग के कारण भिक्षावृत्ति को अपना रहा है तो इन सारी चीजों को डिफ्रे-न्शियेट करना पड़ेगा और एक जो असहाय है या बीमार है या उसको बुढ़ापा है, लूला है, लंगड़ा है और इन कारणों से भिक्षा मांगता है तो एक वैलफेयर स्टेट के अन्दर यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ इन्तजाम करे। जैसा कि इस बिल में भी प्रावधान है कि सेफ्टी होम या सिक्योरिटी होम खोले जायें जिउमें उनका इन्तजाम किया जाये, सरकार की तरफ से उनका इन्तजाम किया जाये और उसके लिए पूरी तरह से इन्तजाम हो। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो बच्चों को उड़ा ले जाते हैं और दूसरे लोगों के हाथ पैर तोड़कर उनसे भिक्षा मंगवाते हैं और अपनी जीविका का पालन करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तीसरे लोग वे हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन वे देश के बहुत ही नैतिक उत्थान का काम करते हैं। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि तेरापंथी एक समाज है वह भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन-यापन करते हैं। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वे नैतिक प्रगति का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां तीन तरह के भिखमंगे हैं और नउमें हमें डिफ्रेन्शियेट करना पड़ेगा और उनको एक ही तरीके से हांकना युक्तिसंगत नहीं होगा। एक जो असहाय है, लूला है, लंगड़ा है या बीमार है उनकी तो सरकार को सहायता करनी पड़ेगी और दूसरे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को लंगड़ा बनाकर भिक्षा मंग-वाते हैं उनके साथ कड़ा व्यवहार करना पड़ेगा और जो तीसरे दर्जे के लोग हैं उनके साथ दूसरी तरह का व्यवहार करना होगा। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनके लिये समय चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर यह बिल प्रवर समिति को सौंप दिया जाये तो इसकी सारी चीजों के ऊपर विचार किया जा सकता है। वैसे यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको जरूर ही स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके इसको प्रवर समिति को सौंपेंगे जिससे कि जो हम अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं वह अच्छी तरह से उठा सकें। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि

( श्री चन्दनमल वैद )

यदि इस बिल को हम आज ही पास कर देते हैं तो जिस तरह के प्रावधान इसमें किये गये हैं वे कल लागू नहीं हो सकते क्योंकि जो इसमें होम्स बनाने का प्रावधान है उसके बनाने के लिए तो अभी हमारी सरकार के पास कोई तैयारी ही नहीं है और उसके बनाने में तीन-चार महीने लग सकते हैं। इसलिए इन तीन-चार महीनों के अन्दर हम प्रवर समिति को सौंप कर इस बिल को और भी ज्यादा उचित और सामयिक बना सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक जो सदन के समक्ष है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव मैंने रखा है। इस प्रस्ताव को रखने की मेरी मन्शा यह नहीं है कि मैं इसका कोई विरोध करना चाहता हूं या इसको कुछ विलंबित करना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि यह कानून जिसको कि मैं देश के अच्छे कानूनों में से मानता हूं और भी अच्छे ढंग से आता। मैं अपने देश के लिए इसको एक कलंक मानता हूं, एक अभिशाप मानता हूं कि हमारे देश के अन्दर भिक्षा जैसी प्रथा भी रहे। आज से नहीं, मुझे ध्यान है कि जब कभी हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक अंग्रेजी का वाक्य हम लोगों के सामने कभी कभी सुनने को मिलता था, "England is a country where poverty is sin and India is a country where begging is a profession.,' मैं नहीं जानता कि आज के बच्चे सुनते हैं या नहीं लेकिन उस, समय यह चीज सुनने को मिलती थी तो हमारा सिर लज्जा से नीचे हो जाता था। हम समझते थे कि हमारे देश में वह दिन कब आयेगा जब हम इस देश से इस भिखारीपन की प्रथा को खत्म कर देंगे ? इसलिए मैं समझता हूं कि आज सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश से इस भिक्षावृत्ति को खत्म किया जाये। लेकिन जिस रूप में यह विधेयक आया है और जो जो प्रावधान इसमें रखे हैं उनको देखने से मुझे ऐसा भय प्रतीत होता है कि शायद हम जिस भिक्षावृत्ति को खत्म करना चाहते हैं उसके द्वारा कहीं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन न मिले, जो दुर्भाग्य से आज हमारे हर एक काम में चला गया है और इन भिखारियों के रूप में कहीं हम वास्तव में, धार्मिक दृष्टि से जिनका जीवन भिक्षावृत्ति पर आश्रित रहना चाहिए कहीं उन लोगों को भी प्रतिबंधित न कर दें। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने यहां पर बतलाया कि हमारे देश की परम्परा रही है और इतिहास रहा है कि धार्मिक दृष्टि से भी भिक्षावृत्ति एक आवश्यक चीज रही है। आज के भिखमंगेपने से नहीं, बल्कि वह भिक्षावृत्ति जो विनोबाजी के शब्दों में भिक्षा की परिभाषा है कि भिक्षा उसको कहते हैं कि अधिक कमाने योग्य होते हुए भी निर्वाह के लिए उस से कुछ कम ले। आजकल के जो हट्टे कट्टे लोग रास्ते चलते लोगों की गाड़ी से कपड़ा छीनते हैं, मन्दिरों में लोग पड़े रहते हैं, इनको भिक्षुक नहीं माना है। इन लोगों को तो लूट करने वाले लोग कहा जा सकता है, भिक्षुक नहीं कहा

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

जा सकता है । विनोबाजी के शब्दों में भिक्षुक उसको कहते हैं जो अधिक कमाने योग्य होते हुए भी निर्वाह के लिए कम लेता है। उदाहरण के तौर पर एक आदमी इस योग्य है कि वह ५००, रुपये कमा सकता है लेकिन जिस प्रकार से सर्वे ऑफ इन्डिया सोसाइटी, सर्वेन्ट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी में लोग अच्छा कमाने वाले होते हुए भी थोड़ा थोड़ा निर्वाह के लिए लेते हैं । उसी को हमारे देश में भिक्षावृत्ति माना था । उसके अन्दर लोगों का अटूट विश्वास होता था । उन भिक्षुकों के लिए लोगों के दिलों में अटूट श्रद्धा रहती थी । खास तौर से आर्य जाति के अन्दर चौथा आश्रम माना जाता था सन्यास आश्रम; उसमें तो भिक्षा पर ही निर्भर रहने का विधान शास्त्र में लिखा हुआ था । तो इस तरह से हमारे देश में यह धार्मिक परम्परा थी, उसी का आज हमारे यहां विकृत रूप हो गया है । उस रूप को ही मिटाने के लिए इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है । लेकिन उसके बनाने के लिए इस बात की जरूरत है कि हम सारी परम्पराओं को, हम उन सारे सम्प्रदायों को, सारी संस्थाओं के रीति-रिवाजों को अच्छी तरह से देखें और उनका अध्ययन करें कि उनमें किस किस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कौन लोग भिक्षुक हो सकते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन निर्वाह हो सकता है ? हमारे यहां पर गुरुकुलों में भी जितने विद्यार्थी रहते थे वे भी भिक्षा पर ही निर्भर करते थे । सन्यासी लोग भी भिक्षा से अपना निर्वाह करते थे । कितने ही ऐसे समाज आज भी हैं जिनमें कि उस प्रकार के भिक्षुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है; जैसे जैन सम्प्रदायों के अन्दर हैं । बौद्धों के अन्दर तो उनके नाम ही भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे और वे आदर के पात्र समझे जाते थे । लेकिन आज जिस रूप में यह भिखमंगों की समस्या हमारे सामने है वह वास्तव में जैसा मैंने बतलाया कि हमारे देश के लिए कलंक है । यह भिक्षावृत्ति जो कि आज हमारे सामने है उसको मिटाना आवश्यक है । लेकिन जो विधेयक हम ला रहे हैं उसमें इस प्रकार का प्रावधान करना पड़ेगा कि जिसमें कि हम सच्चे अर्थों में जो प्राचीन परम्पराओं से भिक्षावृत्ति कहलाती थी उसमें और आजकल के जो लुटेरे हैं इनमें कुछ अन्तर किया जा सके और खास तौर से सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा । यद्यपि उन्होंने अपने उद्देश्यों में यह लिखा है कि जो सक्षम लोग हैं उनको काम दिलाने के बारे में इसमें व्यवस्था होगी । लेकिन सारे विधेयक को पढ़ने के बाद ऐसी कोई बात मालूम नहीं होती । मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जब कभी बाहर जाते होंगे और जब भिखारी उनसे पैसे मांगते होंगे तो आम तौर पर वे भी उनसे कह देते हैं कि तुम हट्टे कट्टे होकर क्यों लोगों को तंग करते हो ? तो मैं समझता हूं कि मेरा यह अनुभव है कि मुझे कई लोगों ने कहा है कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई काम ही नहीं है । तो आज सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है । जब तक हम पूअर हाउसिंग वगैरह दूसरे मुल्कों की तरह नहीं बनाते हैं, इंग्लैंड वगैरह की तरह, तब तक काम नहीं चल सकता । कुछ लोग जो वास्तव में असमर्थ हैं, अंगहीन हैं जो किसी तरह से मेहनत नहीं कर सकते उन लोगों के लिए एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह अवश्य करना ही पड़ेगा । चाहे उसको धार्मिक

# Page No.53



(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रूप से कहें या आर्थिक रूप से कहें या दया के काम के रूप से कहें, कुछ संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा। इस कानून के बनने से पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा स्त्रियों के लिए अलग, पुरूषों के लिए अलग हों, जिनको वहां पर किसी तरह प्रोवाइड कर सकें, ऐसे हाउसेज़ बनाने होंगे।

इसी तरह से जो हट्टेकट्टे लोग हैं और जो भिक्षावृत्ति पर हैं मैं कहता हूं कि आप लाजिमी तौर पर उन पर दण्ड निर्धारित कर दीजिए कि वे भिक्षावृत्ति न कर सकें। मैंने अभी कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा था कि जयपुर के अन्दर भिखारियों में एक बी. ए. पास है। कोई यहां सर्वेक्षण हुआ बतलाया और उसके बारे में अखबारों में पढ़ा था कि भिखारियों में एक बी. ए. था। यदि राजस्थान सरकार एक बी. ए. पास व्यक्ति को उचित काम नहीं दे सकती तो फिर पढ़े-लिखों को लाजिमी तौर पर भिखारियों की श्रेणी में आना पड़ेगा। आखिर जीवन निर्वाह के लिये कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। कहा भी है कि "निकृष्ट वृत्ति भिक्षा निदानम्"। जब आदमी के सामने कोई अन्य रास्ता नहीं रह जाता तो वह अन्त में भीख मांगता है। यदि उसको काम नहीं मिलेगा तो अन्त में वह भी भीख ही मांगेगा। आज कितने ही लोग बेकार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। भिक्षावृत्ति बढ़ने का कुछ और भी कारण है। जो कुछ इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन हुआ है इससे भी भिक्षावृत्ति बढ़ी है। एक काम को जो बहुत से आदमी मिल कर करते थे आज उसको एक-दो आदमी करते हैं और इससे भी बहुत ज्यादा बेकारी बढ़ी है। उदाहरण के तौर पर पहले लोग तांगा, इक्का चलाया करते थे अब रेलगाड़ी और बसों के निकलने से उनकी जितनी भी सवारियां हैं एक ही सवार सबको ले जाती है। आज इक्के वालों के, तांगेवालों के सब धन्धे छूट गये हैं। इसी प्रकार जो आदमी चर्खा चला कर काम चला लिया करते थे आज बड़ी बड़ी मीलों के बन जाने से सब का काम छूट गया है। यह जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है उससे भिक्षावृत्ति को, बेकारी को जन्म मिला है। तो राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा काम यह होगा कि इस भिक्षावृत्ति के निवारणार्थ इस विधेयक को लाने से पहले इसमें भले ही छः माह या साल भर और लग जायं लेकिन पहले सब जगहों का सर्वेक्षण कराकर, हर जगह की जांच करा कर कि वहां पर कितने कितने भिखारी हैं और इस प्रकार से सर्वे करवा कर कि एबल बॉडीड कितने हैं, अपाहिज कितने हैं और यह भी जांच कर लें कि उनमें काम करने वाले कितने हैं और फिर उनके हिसाब के लिये काम की अलग २ व्यवस्था कर लें। इतना सब करने के बाद ही इस विधेयक को लाया जाय तो ही ठीक होगा। इतना काम करने के पहले अभी इसी वक्त इस विधेयक को पास कराना वे जरूरी न समझें। यद्यपि मैंने अपने संशोधन में १५ दिन का ही समय लिखा है, मैंने लिखा है कि प्रवर समिति जो बने वह पन्द्रह दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन को तैयार करने में, इस प्रकार के संशोधनों को लाने में कुछ समय ज्यादा भी लग जाता है तो उसके लिये हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये।

# Page No.54



( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

यदि प्रवर समिति का प्रतिवेदन अगले सत्र में भी आ जाय तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। इस बिल के अन्दर जो खामियां हैं, जो कमियां रह गई हों उन सब को अच्छी तरह से देख कर, जांच पड़ताल करके प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन दे और वह पन्द्रह दिन में अपना प्रतिवेदन न दे सके तो अगले सत्र में वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे; तो भी कोई बात नहीं है। यह समस्या देखने में छोटी लग सकती है लेकिन जैसा मैंने बतलाया देश की सबसे ज्यादा बुरी प्रथा, सबसे बुरी व्यवस्था और सबसे बुरी संस्था जो हमारे देश में चल रही है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना जरूरी है और इसके लिये जो यह विधेयक आया है वह स्वागत करने योग्य जरूर है। लेकिन जिस वक्त आप इस पर अमल करने लगेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी सरकार को कि यह उसके लिये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जायेगी। वह शरणार्थियों को आज तक नहीं बसा सकी है। आज बारह-तेरह साल का समय हो गया लेकिन अभी तक यह समस्या हल नहीं हुई है। जितने शरणार्थी थे उनसे कम संख्या इन लोगों की नहीं होगी। जिस वक्त इनके पुर्नसंस्थापन का प्रश्न सामने आयेगा, एक बड़ी भारी समस्या सरकार के सामने होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस विधेयक को पास कराने के लिए ज्यादा आतुर न हो। मैं कहता हूँ कि इस विधेयक को हमारा पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इस सदन का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसका विरोध करे। सदन का कोई सदस्य यह नहीं चाहेगा कि देश का यह कलंक कायम रहे। यहां पर बाहर से लोग आते हैं वे देश के इन भिखारियों का, नंगे लोगों का फोटो ले जाते हैं; तो यह एक बहुत बुरी चीज़ है जिसको मिटाना चाहिये, लेकिन उसको मिटाने के लिये जो विधेयक बनाया जाय उस विधेयक को इतना व्यवस्थित बनाना चाहिये, इतना सर्वांगपूर्ण बनाना चाहिये कि इसमें कोई ऐसी खामी न रह जाय कि किन्हीं लोगों के धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचे, देश की जो पुरानी परम्पराएं हैं उनको ठेस पहुंचे। साथ ही साथ मुझे यह भी खतरा है, मैं तो पढ़ता हूँ शायद आप भी सुनते होंगे कि इन भिखमंगों के पास हजारों, हजारों रुपयों की पूंजी होती है। कहीं ऐसा न हो जाय कि इनके अन्दर भी रिश्वतखोरी चल जाय। तो इन सब, तमाम बातों पर विचार करने के बाद ही इसको पास किया जाय। तो यह ठीक होगा कि प्रवर समिति को इसे सुपुर्द कर दिया जाय। इस तरह से मैं कहूं कि इस कानून को बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये लेकिन इस कानून को डिफेक्टिव रूप में, एक दोषपूर्ण रूप में पास नहीं करना चाहिये बल्कि सुन्दर रूप में ही इसे पास करना चाहिये। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय जो एक बड़ी उदारता के साथ इस बिल को लाये हैं, एक बड़ा ही समाज के हित का कानून ला रहे हैं, इसमें संशोधनों का समावेश करने के बाद ही प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान प्रवेन्शन ऑफ बेगिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मेरा प्रस्ताव है। प्रिवेन्शन ऑफ बेगिंग बिल एक अच्छी चीज़ है, कल्पना

( श्री पी. के. चौधरी )

भी ठीक है, ख्याल अच्छा है कि हिन्दुस्तान में भिक्षावृत्ति न रहे, लेकिन इस बिल को पास करने से पहले इसके इम्प्लीकेशन्स क्या हो सकते हैं, आया इस बिल को पास करने के बाद हम भिक्षावृत्ति को रोक सकेंगे या नहीं और इसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना होगा। अगर हम इसमें कामयाब न हों तो इसके क्या रिपरकशन्स होंगे तो इन दो-तीन चीजों को ख्याल में रखना चाहिये। मेरे एक मित्र ने कहा कि भिक्षावृत्ति को, भिक्षा को वे कलंक मानते हैं ? मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा है, 'बेगिंग इज़ ए कलंक'। कलंक है। लेकिन जैसा उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम लिया तो मैं कहूं कि इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ही हिन्दुस्तान में चार वृत्ति मानी जाती थी। जब ये फैक्ट्रीज़, इण्डस्ट्रीज़ वगैरह नहीं थीं, उससे पहले भी चार प्रकार की वृत्ति मानी जाती थी। कहा जाता है :

वाणिज्य बसते लक्ष्मी....

यानि चार प्रकार की वृत्ति मानी जाती थी। जिसमें ज्यादा आमदनी होती है उस व्यवस्था में, उससे आधी कृषि में होती है और उससे आधी आमदनी जो नौकरी करते हैं उनको होती है यानि काश्तकार के फसल उठा ले जाने के बाद जो बचे उसको उठा कर जो ले जाते हैं उस वृत्ति को उंछ कहते हैं और चौथी वृत्ति मानी गई है भिक्षावृत्ति। जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से जब सिविलाइज्ड समाज की रचना हुई है तब से यह भिक्षावृत्ति चली आ रही है। इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से भिक्षावृत्ति पैदा हुई हो, यह नहीं है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** ( डीग ) : यह बढ़ी है, पैदा नहीं हुई।

**श्री पी० के० चौधरी** : यह कलंक नहीं है। कलंक तो ब्लैक मार्केटिंग है। आज कई बार हम लोग ऐसी बात कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करने से तो भीख मांग कर खाना अच्छा है। किसी को रोकने के लिये समाज के अन्दर कोई कानून नहीं है तो उसको रोकने के लिये हम कहते हैं कि भीख मांग कर खाना अच्छा है। हम सोचते हैं कि बुरा काम करने से तो भीख मांग कर खाना ज्यादा अच्छा है। लेकिन वे सोशियल एक्ट्स जो कि समाज के लिए निन्दनीय हैं, जैसा कि ब्लैक मार्केट, मैं मानता हूँ कि ब्लैक मार्केट के लिए कोई कानून हमने नहीं बनाया है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन भिक्षा को रोकने के लिए कानून बनाना चाहते हैं। ठीक है, कानून बना दिया जाय। लेकिन आपने एक वृत्ति, एक प्रोफेसन के लिए जिसको हम देखते हैं कि जब से सिविलाइज्ड समाज का निर्माण हुआ है तब से चली आई है उसको रोकने से पहले उसका क्या रिफलेक्शन समाज के ऊपर पड़ सकता है, इसकी तरफ जरूर देखना चाहिये। आज आप भिक्षावृत्ति को रोकना चाहते हैं। जो आदमी भिक्षावृत्ति करेगा आपने कानून बना दिया कि उसको जेल में डाल सकते हैं, उसको वर्क होम में डालेंगे, स्पेशल होम में डालेंगे, नर्सिंग होम में डालेंगे। अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके पास इन सारे लोगों को वर्क होम में डालने के या स्पेशल होम में डालने या नर्सिंग

( श्री पी. के. चौधरी )

होम में डालने का कोई प्रबन्ध है ? आपके पास रिसोर्सेज़ हैं क्या ? मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको थर्ड फाइव इअर प्लान के कुछ फीगर्स अनएम्प्लायमेंट के देकर बताऊंगा। सेकिन्ड प्लान के समय में हिन्दुस्तान में १५ मिलियन अनएम्प्लायमेंट था यानी डेढ़ करोड़ अनएम्प्लायमेंट था। उसमें लगभग ५० लाख तो सेकिन्ड फाइव इअर प्लान के पहले के और एक करोड़ सेकिन्ड फाइव इअर प्लान के दरम्यान में अनएम्प्लायमेंट हिन्दुस्तान में पैदा हुआ था, और योजना में प्रावधान था कि कम से कम उसमें से ८० लाख को रोजी देंगे, काम धन्धा देंगे, रोजगार देंगे। अब जो ड्राफ्ट थर्ड फाइवइयर प्लान आउट हुआ है उसमें बताया है कि थर्ड प्लान में एस्टीमेट लगाया था उससे भी दो मिलियन पीपल कम रहेंगे यानी ६० लाख आदमियों को रोजी रोजगार नई पैदा करनी पड़ेगी। आप बेरोज़गारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। बेरोजगारों में जो लोग भिक्षा-कार्य नहीं करना चाहते हैं जिनके पास किसी प्रकार से डिपेन्ड करने का, कुछ न कुछ खाना मिलने का रिलेटिव्ज़ या फ्रेन्ड्स या दोस्तों के साथ प्रबन्ध है, वह भिक्षा नहीं करता है। लेकिन जिनके पास कोई प्रम्बन्ध नहीं है, जिनको रोजी नहीं मिलती है, वे क्या करते हैं ? सबसे पहले कुछ लोग भिक्षा-कार्य करते हैं, बाकी लोग चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, गुण्डागिरी करते हैं दादागिरी करते हैं,....

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : What is difference between 'Gundgiri' and 'Dadagiri' ?

**श्री पी० के० चौधरी** : तो जो अनएम्प्लायमेंट हिन्दुस्तान में है उसको एम्प्लायमेंट देने का हमने इन्तज़ाम किया नहीं, लेकिन भिक्षावृत्ति पर रोक लगा दी। तो इसका मतलब यह होगा कि भिक्षा-कार्य नहीं करने देंगे। उनके पास दूसरा तरीका यही रह जायगा कि चोरी करें तो ज्यादा अच्छा हो।

खास तौर से इसमें दिया गया है कि पब्लिक प्लेसेज़ में भिक्षा-कार्य नहीं करें, बस रेल्वे स्टेशन पर भिक्षा कार्य नहीं करें, स्टेन्ड पर भिक्षा-कार्य नहीं करें, गार्डन में भिक्षा-कार्य नहीं करें। मैं समझता हूँ कि यह जो भिक्षा-कार्य करते हैं, अक्सर देखता हूँ कि जो लोग पब्लिक प्लेसेज़ पर भिक्षा कार्य करते हैं उसको पैसे वाले लोग भिक्षा नहीं देते हैं। मेरे साथ में चलें बाजार में तो बता दूँगा कि जो भिक्षा देते हैं वे गरीब लोग भिक्षा देते हैं। आपके साथ में रिक्शे वाला जायगा तो वह अपनी जेब से निकाल कर दो पैसे देगा, लेकिन रिक्शे में बैठ कर जो जायगा वह पैसा कम देगा। आप देख सकते हैं कि उनको ज्यादातर कन्ट्रीब्यूशन पैसे वालों से नहीं मिलता है, बल्कि पुअरर क्लासेज़ से मिलता है। उनकी उनके साथ में फेलो फीलिंग्स, जो समझते हैं कि इसमें से कि इसमें से एक थोड़ा सा उनको दे दें। पैसे वाले लोग जो मनीड पीपल हैं, रिच पीपल हैं, जिनको यह बात महसूस होती है, रेलवे स्टेशन पर वह भिक्षा मांगता है इसकी जिनको तकलीफ होती है, गाड़ी पर बैठते हैं तो फर्स्ट क्लास के कम्पार्टमेंट में आकर भिक्षा मांग लेता है, इसलिए वे पब्लिक प्लेसेज़ पर भिक्षा को रोकना चाहते हैं। लेकिन इस व्हाइट वाश से क्या ? किस वजह से भिक्षा-कार्य करते हैं, वह हमें देखना चाहिये। इस प्रकार का कानून बना दिया, लेकिन भिक्षा

( श्री पी. के. चौधरी )

क्यों मांगते हैं, इस पर सोचना होगा। जैसा कि आपने कहा कि बेरोज़गारी को रोकने से भिक्षा अपने आप रुक जायगी। भिक्षा क्यों मांगते हैं, उनकी साइकॉलोजी को देखना चाहिये, उसकी सामाजिक परिस्थितियों को देखना चाहिये। मुझे जब आसानी से रोटी मिल जाय, मुझे आसानी से खाना मिल जाय, रहने को मकान मिल जाय, पहिनने को कपड़े मिल जायं तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि भीख मांगू। भिक्षा क्यों मांगता है, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूर करने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं, लेकिन ताकत नहीं है हमारे पास, साधन नहीं हैं हमारे पास या हम आज समर्थ नहीं हैं। जिस वजह से भीख मांगता है उन कारणों को दूर करने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब कि हम समर्थ नहीं हैं तो भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए क्यों प्रावधान बनाया जाय, मेरी समझ में यह बात बिल्कुल बैठती नहीं है। आज, उसको बनाने की ज़रूरत क्या है ? आप उसको बनायेंगे तो भिक्षा मांगने को चोरी करने के बराबर क़ाइम बना देते हैं। it becomes an offence before law. जो कि आज तक नहीं था।

दूसरी बात यह है कि भिक्षावृत्ति का नया कन्सेप्शन है सोशल सिक्योरिटी। सरकार की तरफ से जैसा कि आजकल सिकनैस इन्श्योरेन्स हो गया। हिन्दुस्तान में इन्डस्ट्रियल लेबर के लिए कन्ट्रब्यूटरी सिकनैस, इन्श्योरेन्स है आज एक लेबर बीमार पड़ जाता है तो कुछ तनख्वाह मिलती है इश्योरेन्स से उसका इलाज होता है। इन्श्योरेन्स के मारफत इस प्रकार की जो सोशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनमें अनएम्प्लोयमेंट इन्श्योरेन्स भी हो ताकि उसमें कोई बेकार हो तो उसको बाकायदा तनख्वाह मिलती रहे, उसको भत्ता मिलता रहे। तो हमारे हिन्दुस्तान में बेकार लोग जो हैं, जो बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लायड हैं उनके लिए किसी प्रकार का अनएम्प्लायमेंट असिस्टेन्स का या उसके भत्ते का या तनख्वाह का कोई प्रावधान हमने नहीं किया है। लेकिन जब तक इस प्रकार की वैलफेयर स्टेट नहीं बने तब तक यह स्टेट दावा नहीं करे कि वह वैलफेयर स्टेट है। समाज पर छोड़ दिया था अनएम्प्लायमेंट इन्श्योरेन्स का काम। वह इस प्रकार से छोड़ दिया था कि हिन्दुस्तान में दो इन्स्टीट्यूशन्स थे जो कि अनएम्प्लायमेंट की सिक्योरिटी देते हैं। एक तो था जोइन्ट फैमिली और दूसरा था भिक्षा का प्रोफेशन। जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया है उस ज़माने से जब कि सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी पैदा हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि ४ प्रोफेशन माने जा सकते हैं, एक व्यवसाय, कृषि, उन्ज वृत्ति और चौथी भिक्षा। ये चार वृत्तियां पहले मानी जाती थी। ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन थे। उसका वेल्युएशन इस ख्याल से था कि सोशियल सिक्योरिटी हो। कोई व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, किसी व्यक्ति को काम धन्धा नहीं मिले तो उसका गुजारा कैसे हो ? आया वह चोरी करे, डाका मारे या और कुछ करे। सोशियली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन्स जब उसको नहीं मिलते थे तो दो ही सहारे थे। जिसकी जोइन्ट फैमिली थी जिसमें कि एक आदमी कमाता है और १० आदमी खाते हैं, चाहे भाई हो, काका हो, मामा हो, कोई भी हो जोइन्ट फैमिली थी। आज इन्डस्ट्रियल वेल्युशन की वजह

# Page No.58



( श्री पी. के. चौधरी )

से जोइन्ट फैमिली हिन्दुस्तान से खत्म होने जा रही है। लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए हमने कोई अनएम्प्लायमेंट की सिक्योरिटी के लिए अनएम्प्लायमेंट इन्श्योरेन्स नहीं किया है।

१. २६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी सोशियल सिक्योरिटी, जिसको मैं मानता हूं भिक्षा का था। चोरी करने के बजाय भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। उसके लिए भी आप कानून बनाते हैं। जब आप कानून बनाते हैं तो एक सोशियल सिस्टम को बन्द करते हैं. एक तरीके को, एक वे ऑफ लाइफ को रोक देते हैं तो उसका सब्स्टीट्यूट चाहिए, you must provide alternatives. लेकिन ऑल्टरनेटिव कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। आपने कह दिया कि होम्स में भेज देंगे, स्पेशल होम्स में भेजेंगे, तो क्या सिर्फ राजस्थान में ही जिनका जन्म हुआ है उनको ही भेजेंगे या बाहर से भिक्षा करने आयेगा उसको भी भेजेंगे ? सबको यदि आप भेजेंगे तो मैं आपको बताऊं कि १॥ करोड़ जो अनएम्प्लॉयड हैं वे सारे राजस्थान में आयेंगे। वे भीख मांगेंगे आपके सेक्रेटेरियेट के सामने और आप उनको होम्स में भेजेंगे। क्या आप यह कर सकते हैं ? मैं कहता हूं कि नहीं कर सकेंगे। आप यह प्रावधान नहीं कर सकते हैं। जब यह नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि शारदा एक्ट आपने बनाया इसी प्रकार का यह एक्ट बनाने से कोई मतलब नहीं रहता है। शारदा एक्ट पास हो गया, लेकिन जयपुर में असेम्बली से जाते वक्त मैं देखता हूं कि जुलूस में नन्हे २ ब्राइड ग्रूम्स जा रहे हैं। १०-१० साल के ब्राइड ग्रूम्स चौड़े रास्ते पर घोड़े पर जाते हैं ....

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदार शहर) : वे तो इतने छोटे होते हैं कि संकड़ी गली में से भी आ सकते हैं

(विराम)

**श्री पी० के० चौधरी** : ( जारी ) मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने शारदा एक्ट तो बना दिया लेकिन होम मिनिस्टर साहब जाते हैं तो उनके सामने इस प्रकार के जुलूस आते हैं। तो क्या भिक्षा-वृत्ति कानून भी शारदा एक्ट के माफिक ही बनाना चाहते हैं, लोगों को बताने के लिये कि राजस्थान में एक भी भिक्षुक नहीं है ? उनके लिये जोइन्ट फैमिली का सहारा भी नहीं है और न स्टेट की तरफ से उनके रोजगार का कोई इन्तजाम है। फिर उनके लिये क्या रोजगार है ? आप जिस पेशे को रिकॉग्नाइज़ करते हैं उसी को करना पड़ेगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि यह जो कानून है वह केवल वाह-वाही लेने के खातिर है या बाहर के लोगों को बताने के लिये है। इसको पास करके आप यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहां भिक्षुक नहीं हैं। मैं इसको इतना ही इम्पोर्टेन्स देता हूं जितना कि सोशियल मामलों को। जो लोग जोइन्ट फैमिली में रहते हैं वे उनको भिक्षा देते हैं। उसका फंक्शन किस हद तक होगा ? इसको यदि आप खत्म करते हैं तो रिप्लेसमेंट करना चाहिये।

( श्री पी. के. चौधरी )

दूसरी बात रिवीज़न की है । १३ पंथी और १४ पंथी के बारे में जो बात बताई वह सही है ! आज हिन्दुस्तान में करीब १३–१४ लाख साधु-सन्यासी या प्रचारक होंगे जिनका धन्धा यही है । आज स्कूल और कॉलेजों में लड़कों को रिलिजियन की शिक्षा नहीं मिलती है, इस तरह की इन्स्ट्रक्शन्स उनको देते नहीं हैं । लेकिन ये साधु–सन्यासी राख वगैरह मल कर जैसा भी उनका नियम है आते हैं, चाहे उनमें से कम लोग ही सच्चे साधु हों लेकिन वे जब घरों में आते हैं तो घर वाले उनका आदर करते हैं और उसका असर बच्चों के दिमाग पर भी पड़ता है, चाहे वे कितने ही झूठे–सच्चे हों, लेकिन उनको कहते हैं कि सच बोलिये, चोरी मत करिये, भगवान् की पूजा करिये, भगवान् में विश्वास रखिये । ये सब बातें वे सुनाते हैं । लेकिन आज आप जो कानून बना रहे हैं उसका असर उन सब पर पड़ेगा क्योंकि वे भीख नहीं मांग सकेंगे । जैनियों के अलावा और भी कई सम्प्रदाय ऐसे हैं जो भीख मांग कर अपना काम चलाते हैं, रिलीजियस सेक्ट्स में प्रीस्ट वगैरह की तरह ; उन पर भी इसका असर पड़ेगा ।

तीसरी बात यह है कि एस्ट्रोलोजी के पेशे को भी भीख मांगने में शुमार कर लिया । एस्ट्रोलोजी एक फलित विद्या है । It may not be a Physical Science but it is proved Science. इस पर भी इस कानून का असर पड़ता है । After all it is a Science. और जब यह साइन्स है तो उसका लोग उपयोग करते हैं, चाहे वे फुट-पाथ पर बैठ कर ही करें । उनको भी भिक्षुओं में शुमार कर लिया । दूसरे ढंग के जो लोग बैठते हैं रंगीन कैमरा लेकर, जो आगरे का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला दिखाते हैं, पांच रुपये की चीज़ खरीद कर एक-एक आना लेकर अपना गुजर करते हैं वे भिक्षा वृत्ति में नहीं आते ....

**श्री सोहनलाल भटनागर** : आप तो नहीं दिखाते हैं ?

**श्री पी. के. चौधरी** : मैंने भी देखा है । वे लोग तो भिक्षा वृत्ति के दायरे में नहीं आते लेकिन जो ज्योतिष का काम करता है वह भिक्षा वृत्ति में आता है । मैं नहीं समझ पाया कि आप किस तरह का कानून पास कराना चाहते हैं ? और जिन लोगों ने इसका ड्राफ्ट बनाया है वे शायद यह नहीं जानते कि यह किस तरह की प्रथा है और किस तरह का साइन्स है । इसकी जानकारी उनको नहीं है और यदि जानकारी उनको है तो उस पर उनको विश्वास नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : I think it will be more desirable to be a little brief.

**श्री पी. के. चौधरी** : Yes, Sir, I will just finish.

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी मुझ से सहमत हैं । मैं कहना चाहता हूं कि भिक्षा नहीं लें, इसका ख्याल रखें लेकिन जो भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिये कानून ला रहे हैं उसको मैं उम्दा नहीं मानता हूं । उसके लिये आज का समय नहीं है । जिस दिन आप यह इन्तजाम कर देंगे कि लोगों को रोटी–रोजी मिलने लगेगी तो इसकी आवश्यकता ही

( श्री पी. के. चौधरी )

नहीं पड़ेगी। तब तक के लिये मैं इसको अनअपोचून और अनटाइमली समझता हूं। इसको लाने की जरूरत नहीं है और यदि लाना है तो जो इन्फेक्श्यस डिज़ीज़ेज़ हैं, लेपरर्स वगैरह हैं उनके लिये आप प्रावधान रखिये, उनके लिये नर्सिंग होम का प्रावधान करिये....

**श्री चन्दनमल वैद** : आप प्रवर समिति का प्रस्ताव रख रहे हैं या....

**श्री उपाध्यक्ष** : It goes very difficult to fix up the identity when the Members change the seats.

**श्री पी. के. चौधरी** : मैं समझता हूँ, इसको प्रवर समिति के समक्ष रख दिया जाय और इसमें लेपरर्स के लिये प्रोविज़न रखा जाय और बाकी सबको केन्सिल कर दिया जाय और यदि ज्यादा से ज्यादा रिकमन्डेशन करना चाहते हैं तो इस बिल को लाने से पहले अनएम्पलोयमेंट इन्श्योरेन्स का इन्तजाम किया जाय।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष, मैंने भी यह संशोधन रखा है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस बिल पर व्यक्त किये हैं। भिक्षा वृत्ति हमारे देश में एक विषम समस्या बन गई है, जो सच है और इसी दृष्टि से इस सदन में भी कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया है और राज्य सरकार ने इस बारे में यह विधेयक प्रस्तुत किया है लेकिन जिस रूप में यह विधेयक आया है उससे हमारी आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है क्योंकि हालांकि यह एक अच्छा मेजर है; जिस प्रकार से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शारदा एक्ट या मृत्यु भोज निवारण वगैरह के लिये जो सामाजिक कानून है जिनका पूरी तरह से पालन नहीं होता है उसी तरह से यह कानून भी स्टेचूट बुक में शोभा देगा। इसके कारणों की जानकारी करनी चाहिये कि किस कारण से ऐसा है। जिस तरह से पंचवर्षीय योजना के कारण खर्चा बढ़ा है उसी तरह से भिक्षा वृत्ति भी बढ़ती जा रही है। इन कारणों को देखें तो यह सही है कि इसका सबसे मुख्य कारण अनएम्पलॉयमेंट प्रोब्लम है और इसी कारण से करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी इस समस्या को हम मूल रूप से समाप्त नहीं कर सके हैं।

जैसा कि पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होगी उस समय हमारे प्रान्त में ७० लाख बेरोजगार होंगे और उन अर्ध बेरोजगारों की संख्या के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता जिनको न तो पूरा खाना ही मिलता है और न पूरा कपड़ा ही। उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षा वृत्ति मूलत: अनएम्पलॉयमेंट के कारण है और जो रिलीजियन के कारण है वह दूसरी बात है। फिर भी भिक्षा-वृत्ति की जो डेफिनिशन दी है यदि उसको देखेंगे तो जितना भी असर एस्ट्रोनोमी वगैरह से जीवन-यापन करनेवालों पर पड़ता है उनको हम उचित एम्पलॉयमेंट से महरूम कर देंगे। ऐसे आदमी हजारों लाखों की संख्या में हो सकते हैं, क्या हम उनको ऑल्टरनेट एम्पलॉयमेंट दे सकते हैं? यदि नहीं, तो उनके लिये क्या उपाय होगा?

( श्री सोहनलाल भटनागर )

दूसरी बात, यदि आप डेफिनिशन देखेंगे तो जो एग्ज़ेम्प्शन क्लॉज़ ५ (ए) में है उसके लिये राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में पॉवर रखी है और कलेक्टर्स को भी पॉवर दी है। भिक्षावृत्ति एक फंडामेन्टल चीज़ है; उसके बारे में एग्ज़ेम्प्शन पॉवर कलेक्टर को देना ठीक नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो होम्स वगैरह रखे हैं, वे होम्स तीन तरह के हैं। एक है स्पेशल होम, दूसरे सर्टीफाइड होम व तीसरे वर्क होम। लेकिन इनकी डेफीनिशन्स देखने से विदित होगा कि सारे अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं ! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों डेफीनिशन्स का क्लेरीफिकेशन होना आवश्यक है, जिससे कि लोगों को मालूम हो सके कि किनको वर्क होम में भेजना है, किनको सर्टीफाइड होम में भेजना है और किनको स्पेशल होम में भेजना है। दूसरी बात और भी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सजायें रखी हैं वे सजायें बहुत ज्यादा हैं। जैसे किसी को बैगर ( begger ) डिक्लेअर कर दिया तो एक वर्ष के लिए रखा जायगा और ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ष के लिए रखा जा सकता है। एक बार होम में रखने के बाद दूसरी बार अगर वह पकड़ा जाता है तो कम से कम तीन वर्ष तक रखा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा सात वर्ष रखा जा सकता है। उसके बाद भी अगर पकड़ा जाता है तो १० वर्ष तक रखा जा सकता है .......

**श्री चन्दनमल वैद** ( सरदारशहर ) : फिर तो वह चोरी करेगा, क्योंकि सजा कम मिलेगी।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : इस प्रकार यह डिटेन्शन का पीरियड काफी है। तीसरी बात जो मुख्य है वह यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उनको वर्क होम में रख दिया या स्पेशल होम में रख दिया और उसके बाद वहां से रिलीज़ कर दिया तो उनके पास साधन क्या होंगे जीवनयापन के ? जब तक उसके पास कोई ऑल्टरनेट जरिया नहीं जीवन-यापन करने का तब तक वापिस वह उसी रास्ते को अख्तियार करेगा। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि इसे सारे दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा, केवल हाफ हर्टेड से तरीके इसको पास करना ठीक नहीं होगा।

इसके साथ ही कुछ ऐसे आदमी हैं, जो धार्मिक गुरू हैं, जो भिक्षु हैं ऐसे आदमियों को मुस्तसना करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह चीज़ मान ली गई तो जितने भिक्षु हैं, वे किसी न किसी धर्म का सहारा लेंगे, चाहे वे जैन हों, चाहे मुसलमान हों, चाहें वैष्णव हों, किसी न किसी धर्म का सहारा लेंगे, क्योंकि उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से, जिस भावना से इस विधेयक को पास करना चाहते हैं वह समाप्त हो जायगी, क्योंकि सारे एग्जेम्प्ट हो जायेंगे। इस दृष्टि से भी यह जरूरी है कि जो जिनाइन हैं, जिन्हें जिनाइन साधु कह सकते हैं, उनको जरूर मुस्तसना करना है लेकिन जो साधु बाहरी रूप से और धर्म का आडम्बर रच कर एग्जेम्प्शन में आना चाहें, उनको रोकना पड़ेगा।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी चीज़ लगी, वह लगी कि प्राइवेट प्लेस पर भिक्षा मांगने की इजाज़त दी है। अगर यह मान लिया तो पब्लिक

( श्री सोहनलाल भटनागर )

प्लेस और प्राइवेट प्लेस का झगड़ा होगा। वे घर में घुस जायेंगे और जब तक भिक्षा नहीं देंगे तब तक नहीं हटेंगे। अगर वे स्ट्रीट और रेल में भिक्षा मांगेंगे तो पकड़ कर सजा दे दी जायगी। मेरे ख्याल से यह जो रखा गया है, यह ठीक नहीं है।

इन सब दृष्टिकोणों से और मूलत: आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह बहुत विषम समस्या है और सिर्फ एक नज़र से नहीं देख सकते हैं, बल्कि सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। राज्य की स्थिति, देश की परिस्थिति और नेबरिंग स्टेट में क्या कानून लागू कर रहे हैं, इस सबको देख कर कानून लागू करेंगे और ऑल इन्डिया बेसिस पर इसको देख कर सुधार करेंगे तभी इसमें आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव प्रवर समिति को सौंपने के लिए रखा गया है उसे माननीय मंत्रीजी स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं, यह एक बहुत दिलचस्प सामाजिक समस्या को हल करने की दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जब से मानव सभ्यता का प्रारम्भ हुआ है इस प्रकार के सामाजिक सुधार करने के प्रयत्न भी बराबर होते चले आये हैं, किसी न किसी रूप में। दो-तीन जो संक्रामक मानव समाज की समस्यायें हैं उनको हल करने के लिए हमारे समाज के चिन्तकों और समाज के प्रशासकों ने बराबर प्रयत्न किये हैं। इन कई समस्याओं में दो मुख्य समस्यायें हैं। एक वेश्या वृत्ति और दूसरी भिक्षावृत्ति की। इन दो समस्याओं को हल करने के लिए, मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, समाज के श्रेष्ठतम व्यक्तियों ने निरन्तर प्रयास किये हैं और सदियां गुजरने के बाद भी कुछ ऐसा मालूम होता है कि जो सफलता की मात्रा है वह कम से कम रही है। भिक्षा वृत्ति का जहां तक सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई राजस्थान के अन्दर ही प्रचलित संस्था हो, ऐसी बात नहीं है लेकिन सारी दुनिया में भिक्षा वृत्ति का उतना ही जबरदस्त संगठन है जितना मैं समझता हूं, डाकुओं का, चोरों का और दूसरे यहां जो काला बाज़ारी है, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, उनका संगठन है, उतना ही व्यापक, उतनी ही परम्पराओं के साथ, उतने ही पूर्वाग्रहों के साथ, उतनी ही रीति-नीतियों के साथ में भिक्षावृत्ति का संगठन हमारे देश में है। यह एक ऐसी उलझी हुई हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की समस्या है जिस पर मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमको बड़ी सावधानी से विचार करना होगा। दो-तीन इसमें प्रारम्भ से जटिलताएं सामने आती हैं। पहली, इस बिल का नाम भिक्षावृत्ति रखा गया है। मैं समझता हूँ कि चलते हुए शब्दार्थ के रूप में इस नाम को ले लिया गया है। यह हमारा सांस्कृतिक सत्य है कि भिक्षा मांगना, भिक्षा से जीवन-यापन करना कोई बुरी बात हमारी संस्कृति में नहीं मानी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आचार्य विनोबा-भावे ने तीन तरह के नागरिक माने हैं। एक वे हैं, जो चोर नागरिक हैं। आचार्य भावे यह कहते हैं कि जो समाज की कीमत पर रोज खाना खाते हैं वे चोर नागरिक हैं। वे समाज

# Page No.63



( श्री जनार्दनराय नागर )

को कुछ देते नहीं हैं, केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए वे समाज की सम्पत्ति, समाज की सामग्री का उपयोग करते हैं। इसलिए उन्हें हम चोर नागरिक कहेंगे। दूसरे नागरिक वे हैं जो समाज का काम करते हैं, उसके एवजाने में वे रोटी प्राप्त करते हैं, उसको विनोबा भावे एक व्यवहारिक नागरिक या व्यापारिक नागरिक कहते हैं। तीसरे नागरिक वे हैं जो समाज की दानवृत्ति पर जीते हैं, समाज की करुणा पर जीते हैं....

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : चोर नागरिक कौनसे हैं ?

**श्री जनार्दनराय नागर :** वे तीसरे नागरिक हैं। वे समाज के लिए सब कुछ देते हैं, शरीर का श्रम देते हैं, मन की उत्तम भावनायें देते हैं, प्रतिभा की शक्तियां देते हैं और उसकी एवज में समाज उनके जीवन-यापन के लिए दान देता है और इस प्रकार के दान पर जीने वाले व्यक्ति को भिख्खु कहते हैं, भिक्षुक कहते हैं और इसकी वृत्ति करना भिक्षावृत्ति नहीं होता है। वृत्ति शब्द सम्मान सूचक है, उपाध्यक्ष महोदय, और आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, समाज में भिक्षावृत्ति पर जीते हैं, वे उत्तम नागरिक हैं। इसलिए हम विनोबा भावे के दृष्टिकोण से विचार करें तो मौजूदा भारतवर्ष में और खास करके राजस्थान में जो भिक्षावृत्ति पर रहने वाले लोग हैं उनका विश्लेषण, मैं समझता हूं, इस प्रकार होता है। मैं यदि अविनय न करता होऊं तो सार्वजनिक कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे राजनैतिक क्षेत्र में, चाहे और किसी सामाजिक क्षेत्र में, मेरे ख्याल से वे सब के सब भिक्षुक हैं। मैं समझता हूं, सदन के हम सब सदस्य हैं, 'हमको' भिक्षुक की श्रेणी में ले लूं, तो एतराज की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे सैकड़ों कार्यकर्त्ता, जो सार्वजनिक संस्थाओं में काम करते हैं, वे समाज के और सरकार के दान पर जीते हैं, उनको भी हम भिक्खु कह सकते हैं। तो आप जब समाज की दान वृत्ति पर अपना जीवन-यापन करने वाले नागरिकों का लेखा-जोखा लगाने बैठें, तो हमें मानना पड़ेगा कि जो समाज का उत्तम वर्ग है उसकी अपेक्षा, कोई भी वर्ग हो, वह भिक्षावृत्ति पर जीवन बिता रहा है। लेकिन यह बिल हमारे सामने लाया गया है; मैं समझता हूं उन वर्गों के लिए शायद नहीं लाया गया है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो हमारे यह मंत्री पर उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनसे बढ़ कर भिक्षुक किसी को नहीं मानता हूं; हमारे सामने प्रश्न यह है कि बिल की सीमा हम कहां करें, उसकी परिभाषा क्या करें कि समाज की स्थिति को देखते हुए ठीक हो जाय और जो भीख मांगने की वृत्ति को धारण किये हुए हैं, सशक्तशील होते हुए, समाज को देने की योग्यता होते हुए जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो कोई नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जो उद्योग नहीं करना चाहते हैं और केवल सड़कों, गलियों में, इधर और उधर आपसे मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं और आपको देना पड़ता है। एक परिपाटी समाज के कुछ लोगों ने बना रखी है, उसको दूर करने के दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है। अगर उसको व्यापक अर्थ में लें तो १,८०० सम्प्रदाय हिन्दुस्तान में हैं। अलग अलग हिन्दू धर्म के, मैं समझता हूँ, १,८०० सम्प्रदाय भारतवर्ष में हैं।

( श्री जनार्दनराय नागर )

इनका विश्लेषण करें तो जितने भी सम्प्रदाय हैं, जो सामाजिक आधार पर स्थित हैं या केवल धार्मिक भावनाओं पर स्थित हैं, जो सम्प्रदाय हैं वे १,८०० सम्प्रदाय हैं। एक सम्प्रदाय के अनुयायियों को आप लें और कुल सम्प्रदाय के अनुयायियों को लें तो केवल हिन्दुस्तान में साधु हैं उनकी संख्या ८० लाख से ऊपर जाती है। तो करीब करीब एक करोड़ भारतवर्ष के नागरिकों की यह समस्या है। मुझे मालूम नहीं राजस्थान में कितने धार्मिक सम्प्रदाय हैं। मेरी मान्यता है कि भारतवर्ष के प्रसिद्ध सम्प्रदायों में राजस्थान में मैं समझता हूँ, ऐसे प्रमुख सम्प्रदाय हैं जो भारतवर्ष के अन्दर फैले हुए हैं। ऐसे सम्प्रदाय में आने वाले लोगों का हम आखिर इस बिल की दृष्टि में क्या करेंगे? लेकिन जब आप स्वयं इस बिल को लाते हैं तो इसको लाने का यही अर्थ निकलता है कि इस बिल में हेय वृत्ति वाले भिक्षुकों को ही इसमें आधारभूत बनाया गया है। इसमें वे व्यक्ति जो समाज में नौकरी नहीं करते, किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, संक्षेप में इसका अर्थ यह कहें कि जो व्यक्ति कमाता नहीं, कुछ भी उत्पादन नहीं करता, कोई काम नहीं करता और केवल भीख मांग कर खाना खाता है हम उसको गलत समझते हैं और उसी को रोकने के लिये यह बिल लाते हैं। हिन्दुस्तान में १,८०० सम्प्रदाय हैं,जिनमें ८० लाख साधु हैं। आप उनको आखिर कहां रखेंगे? इसके अलावा, घूमने-फिरने वाले और भिक्षुक लोग बहुत तादाद में हैं, आखिर उनको आप कहां रखेंगे? ये हमारे पेरासाइट हैं, इनको हम क्या करेंगे? आज हमारे देश में सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान का विकास हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में ये सम्प्रदाय के छोटे-मोटे घेरे हैं ये बेकार होते चले जा रहे हैं। उन लोगों के लिये क्या करेंगे, इसको हमें पहले देखना होगा।

इसके अतिरिक्त वे लोग जो रमते साधु हैं, अंग-भभूत लगाये और वेष-भूषा बदले हुए हमारे राजस्थान के गांवों में, जंगलों में, खेतों में और घरों में जाते हैं और उनसे कुछ खाने के लिये मांगते हैं और खाने के लिये लेकर चलते रहते हैं उनका हम क्या करें?

दूसरे वे लोग हैं जो निश्चित रूप से समाज को दे सकते हैं और देने की स्थिति में होते हुए भी देना नहीं चाहते और केवल भीख मांगते हैं, इनमें से किन किन को सरकार रोकेगी, अगर यह प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर यही होगा कि आपके सामने आकर जो भीख मांगते हैं उनको सरकार रोकेगी और उनको रेस्क्यू होम में भेजेगी, जहां उनको ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग देकर उनको बाहर भेजेगी। अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि सरकार का प्रयास उचित नहीं है और इस प्रकार की स्पिरिट बोगस है। क्योंकि जो साम्प्रदायिक साधु हैं या अखाड़े वाले हैं उनके तो महन्त होते हैं और मैं समझता हूं कि वे लोग भिक्षावृत्ति वाले लोगों की श्रेणी में नहीं आवेंगे। जो लोग गलियों में भीख मांगते हैं और जो भिखमंगे हैं वे लोग ही इस बिल के अंतर्गत आवेंगे और उन्हीं को रोकने की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि उनकी भी संख्या कम नहीं है। हम सब इस बात को मानते हैं कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है और वह उसी प्रकार

( श्री जनार्दनराय नागर )

की सामाजिक बुराई है जिस प्रकार कि वैश्या-वृत्ति। इसलिये इसको मिटाना आवश्यक है : मगर आप यह निश्चित मानें कि जो गली में भिखमंगे भीख मांगने के लिये आते हैं उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा संगठन है। उनके अन्दर भी बड़े बड़े लीडर्स और उनके बड़े बड़े बोसेज़ हैं जो इन लोगों को व इनके बच्चों को साधन बना कर निश्चित रूप से पैसा अर्जन करते हैं। इस सारे संगठन को आप किस प्रकार से तोड़ेंगे! वैश्यावृत्ति निरोध के लिये हमने जहां तक हुआ है किया है और जो कुछ किया है वह अच्छा किया है मगर हमको उसमें कितनी सफलता मिली है, यह तो हम सभी जानते हैं। मगर हमको इसमें कितनी कम या ज्यादा सफलता मिली, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन इतनी सफलता तो अवश्य मिली है कि हमने उनके कोठे बन्द करा दिये। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है और मैं समझता हूं कि मेरा ख्याल ठीक है यह तमाम सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, अन्डरवर्ल्ड यह चल रहा है उस पर हम कुछ भी प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। हमारे संतोष के लिये हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमने इस सम्बन्ध में किया वह ठीक है। उसी प्रकार यहां पर इस बिल के द्वारा भिक्षावृत्ति में भिखमगों की संख्या को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह केवल हमारे आत्म संतोष के लिये ही है और इस पर अगर हम गर्व करें, ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रभावशाली मांगने वालों की समस्या को फिर भी हम हल नहीं कर पावेंगे। वह तो ज्यों की त्यों रहेगी। दूसरे संगठन और दल हैं वे भिक्षावृत्ति नहीं करते और उनके पोषण का भार उनके कंधों पर नहीं है, वह समाज पर है। इसकी जड़ हमारी सामाजिक परिपाटी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस हिन्दू समाज पर सनातनिष्ट गौरव करते आ रहे हैं आज इस वैज्ञानिक और सामाजिक युग में सारे आधार और अन्धविश्वास खोखले हो गये हैं और उनका आमूलचूल परिवर्तन करना हमारे लिये बहुत जरूरी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे घरों में भी पेरासाइट होते हैं। आप देखेंगे कि हर तीन भाइयों की फेमिली में एक भाई फेमिली पर पेरासाइट होता है और वह सामाजिक परिपाटी का उपभोग करता है। माता-पिताओं का फर्ज बच्चे की शादी करना भी होता है और जब शादी होती है तो कुटुम्ब भी प्रारम्भ होता है। उसके बाल-बच्चों का भी पालन करना आवश्यक होता है और वह भाई पेरासाइट बना रहता है। संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का यह बड़ा भारी अवलंबन है। इसका असर समाज के आर्थिक ढांचे पर पड़ता है। समाज की गतिविधियों पर और स्वयं व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये भिक्षुक भी इसी तरह के पेरासाइट हैं। वे हमारे घरों से निकल कर बाज़ार में आ गये हैं क्योंकि जब एक आदमी घर से निकलेगा तो फिर कहां जाएगा? मगर हमें इसके लिये यह देखना है कि एक आदमी घर से चल कर क्यों निकल जाता है? वह क्यों भीख मांगता है? इसका जवाब सांस्कृतिक भावुकता में नहीं है। इसका जवाब इन्कारी में हो या स्वीकारी में हो, मगर यह मानना होगा कि यह सब सामाजिक कुरीतियों के कारण है और समाज की जो आज आर्थिक स्थिति है उसको बदलने के लिये हम तैयार नहीं हैं। वैश्यावृत्ति के लिये हम चाहते हैं कि उसका

( श्री जनार्दनराय नागर )

उन्मूलन हो लेकिन यदि हम छाती पर हाथ धर कर देखें तो हमें इस विषय में अपनी असफलता को मानना होगा। हमें यह देखना होगा कि जिन कारणों से वेश्यायें बनती हैं वे कारण क्या हैं ! जिन कारणों से पुरुष पर-स्त्रीगामी बनते हैं उन कारणों को जानने की आवश्यकता है। उन कारणों को जानने का समाज ने कभी प्रयास नहीं किया। इसी तरह से जब आप भिक्षा-वृत्ति को फैलने से रोकना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि एक आदमी भिक्षा मांगने वाला क्यों बनता है ? क्या आपने कभी उन कारणों को जानने की कोशिश की है ? क्या आप उसके कारणों को दूर करने के लिये तैयार हैं ? इन सभी के लिये आपको अपनी सामाजिक परिस्थितियों को बदलना होगा। आज आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी संयुक्त फेमिलीज़ हैं और संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली पर हमको नाज़ है, उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वही आज भिक्षावृत्ति और मांगने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने की चीज़ है और भिक्षा मांगने वाले इसी में से पैदा होते हैं और उनके लिये यह सहायक होती है। इसके अतिरिक्त हमारी रोज की परिस्थितियें सामाजिक हैं वे भी इसमें सहायक होती हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मैं यह कहूंगा कि हमारे मानव जीवन के आधारभूत कर्त्तव्य हैं उनको ठीक तरह से नेता न संभाल पाये। मैं मानता हूँ कि सामन्तवादी राजाओं के समय में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कुरीतियों को राजाओं ने अंगीकार किया। बहुत से उनके ऐसे कर्त्तव्य थे जिनको राजाओं को करना चाहिये था, उन्होंने अपने सम्पूर्ण कर्त्तव्य को अपने व्यक्तिगत हित के लिये नहीं संभाला। राज्य देश की पार्टी के बहुमत पर चलते हैं। जिन पार्टीज़ के बहुमत से समाज और राज्य चलता है, मेरी ऐसी मान्यता है कि वे अपने आधारभूत कर्त्तव्यों का पालन परिपूर्ण रूप से नहीं कर सके। यदि राज्य इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हो कि जब से बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से निकलता है तब से उसके विकास को अपने कन्ट्रोल में लेने को तैयार हो, सर्वान्त में सम-सामयिक समानान्तर परिवर्तन लाने को तैयार हो तो मेरी ऐसी मान्यता है, मेरा ऐसा दावा है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। मेरा ऐसा दावा है कि वैश्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति दोनों सामानान्तर हैं। इनको रोकने के लिये आज हम जितना कर सकते हैं उतना करने के लिये तैयार हैं लेकिन इसके लिये हमें एक संक्रान्तिजनक परिवर्तन अपने दृष्टिकोण में लाना होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हम और आप इसके लिये कितने जिम्मेदार हैं। क्या हमने कभी इनकी जड़ तक पहुँचने का प्रयत्न किया है ? इसके लिये जन्म से मृत्यु पर्यन्त राज्य को उसकी भलाई और विकास की जिम्मेदारी लेनी होगी और हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति तन, मन और धन सब कुछ देने का जो अपना कर्त्तव्य है उसको पूरा करना होगा। यदि हम अपने कर्त्तव्यों को करने के लिये तैयार नहीं हैं तो इन थोड़े बहुत भिखमंगों को रेस्क्यू होम में भेज सकेंगे, इस बिल के द्वारा। मगर फिर भी भीख मांगने वालों का जो संगठन है, जो दबा हुआ है, वह तो बराबर चलता रहेगा। इसके लिये मैं समझता हूं कि इस समस्या को बड़े बड़े समाज शास्त्रियों की राय से और मदद से हल करना होगा और उनकी राय लेनी होगी। मगर जो यह चाहते हैं कि इसको जनमत के लिये दे दिया जावे तो इसका मत-

( श्री जनार्दनराय नागर )

लब यह होगा कि जनमत तो इस मामले में स्पष्टत: कुछ नहीं कह सकता। जहां तक इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है, यह समझ में आती है कि यह एक इतना उलझा हुआ और जटिल प्रश्न है और सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षा वृत्ति को मिटाने के लिए आपको और हमको आर्थिक शक्ति और क्रान्ति के लिए तैयार रहना चाहिये, समाज परिवर्त्तन के लिए तैयार रखना चाहिये और इन बातों के लिए दृढ़ होना चाहिये कि उस प्रकार के जो व्यक्ति बिना समाज को कुछ दिये, बिना समाज को पुष्ट किये, बिना समाज के लिए अपनी प्रतिभा और योग्यता का त्याग किये यदि इस देश में भोजन करते हैं, कपड़ा पहिनते हैं तो वे भिख-मंगे हैं, ऐसे भिखमंगे मंगते, नागरिकता के पात्र नहीं है। यदि इतनी दृढ़ता के लिए तैयार हैं तो आप भले हो बिल लाईये और कानून बनाइये। लेकिन यदि आप अपने केवल मानसिक संतोष के लिए बिल बनाना चाहते हैं तो जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि इसकी भी वही स्थिति न हो जाय जैसी कि शारदा एक्ट की हुई। हमने बिना इस पर सर्वांगीण रूप से विचार किये, संकीर्ण कदम लिये हुए ऐसा प्रावधान किया, ऐसा विधेयक बना दिया तो हम कहीं भिखमंगों की और संख्या हमारे देश में न बढ़ा दें, वे भिखमंगे कहीं अपनी और शक्ल सूरतें न बदल लें। सदियों से इनमें हमारे समाज को विशृंखलित किया है, उन पर छाये हुए हैं, हमारे समाज के ये पैरासाइट हैं। आपने कॉमर्शियल प्रोस्टिट्युशन को बदलने की कोशिश की। वे कला मंडल में बदल गये। इस प्रकार से इनकी शक्लें, सूरतें हमारे देश में बदलने लगेंगी। अपनी सारी बातें छिपाने के लिए वे अन्डरग्राउन्ड चले जायं, नई नई संस्थायें खड़ी करके बैठ जायं। उनको आराम से चन्दा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। आज सार्वजनिक संस्थाओं को चलाने वाले कार्यकर्त्ता लोगों की चन्दा मांगने की शक्ति नहीं रहा है, लेकिन वे कर लेते हैं। हमारे लिए भी आप एक नई समस्या उत्पन्न कर देंगे, एक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में वे संस्थायें खड़ी हो जावेंगी जो समाज के मानस से कहीं दूर होंगी। हमारे गृह मंत्री जी ने हिम्मत की, साहस किया। मैं उनके इस हिम्मत और साहस की दाद देता हूँ। लेकिन वह साहस ऐसा होना चाहिये कि जिससे कि अच्छा परिणाम निकले, उसके लिए यथोचित शक्ति पैदा हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को विदित कराना चाहता हूं, नम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान् के लिए सामाजिक मेजर न लाइये। आपकी यदि मानसिक तैयारी उसको पूरी तरह से चलाने के लिए नहीं है, आप समाज का अधिक नुकसान करेंगे हार्ट हार्टेज़ मेजर लाकर। आप कोई भी मेजर लाइयें, सामाजिक क्रान्ति के लिए कोई मेजर लाइये लेकिन पूरी तैयारी के साथ लाइये; नहीं तो उस समस्या को हल करने के बजाय उस समाज की समस्या को और उलझा देंगे। अभी मरी मरी समस्यायें रहती हैं उनको वापिस पुनर्जीवन दे देंगे। आर्थिक समस्या के उनमें मेजर लेकुनाज़ हैं, सामाजिक सुधार का मेजर तो पूरी तैयारी के साथ लाना चाहिये। हमारे मनीषियों ने राजनैतिक चेतना बताई, राजनैतिक चेतना राष्ट्रीय समस्या

( श्री जनार्दनराय नागर )

और सामाजिक और राष्ट्रीय समस्यायें हैं। राजनैतिक समस्या से दस हजार गुना अधिक समस्या राष्ट्रीय समस्यायें हैं और हजार गुना कठिन उनको हल करने का काम है समाज की समस्याओं को। हम और आप राज्य व्यवस्था को बदल सकते थे, हमने बदला है। दो हजार वर्षों के इतिहास में कई साम्राज्य हिन्दुस्तान में आये और चले गये। कई तन्त्र आये और यहीं लप गये, इसकी संस्कृति में मिल गये। आपने एक बात अवश्य देखी होगी हिन्दुस्तान की सदियों की इस परम्परा में भिखमंगे भी चले आये हैं। भीख मांगने वाले लोग चिरन्तन से हरएक समाज में पनपते आये हैं और पनप रहे हैं, गृह मंत्रीजी के द्वार पर भी खड़े होंगे। समाज में एक खून आ गया है। उसके सुधार की दृष्टि से कई चीजें लगेंगी, अच्छे इरादे होते हुए भी उन इरादों को पूरा नहीं कर सकेंगे। सरकार यह सोच लेती है कि इस जटिल समस्या के लिए बिल लाना जरूरी है। इससे कोई भिखमंगों को समस्या हल नहीं होती है। रूस और चीन में वैश्या वृत्ति को ही बन्द कर दिया गया। आप किसी भी रूसी से बात करिये और उसे पूछिये कि आपके यहां प्रोस्टि-ट्युशन है तो उसको आश्चर्य होगा और आपक मालूम होगा कि वह प्रोस्टिट्युशन शब्द ही नहीं जानता। क्योंकि वहां इस प्रकार की कोई समस्या है नहीं। वहां उन्होंने नोर्मेलाइज़ किया। उन्होंने एक वैज्ञानिक विश्लेषण करके समाजिक केडर को बदला हैं। हम-आप करने के लिए तैयार है, व्यक्ति की बात करते हैं लेकिन जो सनतन सत्य है, सामाजिक क्रान्ति की जहां विशेष आवश्यकता है उसके लिए समाज को यथाशक्ति तैयार करने की आवश्यकता है उसको तैयार करने के लिए आज तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं प्रोस्टिट्युशन की समस्या को हल किया। एक डेयरिंग मेजर था, लेकिन एक सामाजिक दृष्टि थी। लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। सैकड़ों रेस्क्यु घर बना लीजिये, कितने ही घर और बना लीजिये लेकिन वैश्यावृत्ति दूर नहीं हो सकती। जब तक समाज का मानस नहीं बदलेगा, उसके लिये आपका डेयरिंग कदम न होगा, आप और हमनें उसको बदलने की शक्ति नहीं होगी। आपके घर का दृष्टिकोण है, संतान उत्पन्न करने की दृष्टि मूल में रहती है। यह दूषित वृत्ति है। आज के समाज में यह संगत नहीं लगता। इसी तरह से भिक्षावृत्ति का दृष्टि-कोण लेना चाहिये। लाखों कोशिश करिये, जहां भिक्षावृत्ति दान और पुण्य की बातों पर समाज का आधार स्तम्भ टिका हुआ है बन्द नहीं हो सकती। दान और पुण्य पर खड़ा किया गया यह सामाजिक स्तम्भ है। हमारे विनोबाजी भी दान की बात करते हैं। आज नैतिक शक्ति पर, मानव के पुरुषार्थ पर हमारा समाज संगठित नहीं है। हमारे समाज का लक्ष्य केवल दान और पुण्य है। आप कहते हैं यह भिक्षावृत्ति नहीं है, यह एक अजीबो गरीब बात करते हैं! आपको हर आदमी के लिए खना-पीना उसके विकास के लिए आपको देना पड़ेगा। हर नागरिक की जिम्मे-दारी सरकार को लेनी पड़ेगी, तब ही जाकर सामाजिक क्रान्ति की बात सोच सकते है। जिनकी जिम्मेदारी राज्य नहीं लेता है वे भिक्षुक हैं। सभी महिलायें भिक्षुक हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है। वोट के अधिकार जरूर दे दिये हैं!

**श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा)** : कमाने का अधिकार है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : नहीं है। आपने उनको रूढ़ीग्रस्त बना रखा है। आपने अधिकार दे रखा है कि कमायें। सौ में से ५ कमाना चाहती हैं। ६५ आपके हमारे घरों को चलायें, आपकी हमारी चेलियां-दासियां हैं, हिन्दू पुरुष की चेरियां हैं, आपकी सेवा के लिए रात-दिन तैयार रहें, आपका भरण पोषण करें और घरों में रहें। आप उनको भिक्षुक नहीं मानते। कोई ज्योतिषी ज्योतिष का पत्रा लेकर बैठता है तो उसको भी भिक्षुक मान लिया गया। आखिर थोड़ी बहुत ही सही विज्ञान की बात वह जानता है।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : And he has predicted a very bright future for you.

**श्री जनार्दनराय नागर** : ब्राइट तो मैं समझा सकता हूं। यह विश्वव्यापी संगठन है और किसी समय एक उत्तम संगठन था। यहां बैठ कर इस निष्णान्त की बातें करते हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** : I think the Hon'ble Member means himself alone.

**श्री जनार्दनराय नागर** : Yes, myself.

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes. He cannot be expected to include other Hon'ble Members.

**श्री जनार्दनराय नागर** : अनुभव के बिना विज्ञान का विचार करने वाले हैं उनको मैं क्वेक कहता हूं। मैं भी सबसे बड़ा क्वेक हूँ। फुट पाथ पर यदि कोई ज्योतिषी पर बैठ कर, पत्रा लेकर ज्योतिष देखता है, हाथ देखता है, दो चार पैसे लेकर हाथ देखता है, भीख मांग कर नहीं करता है, पुरुषार्थ से करता है। आखिर हमारे सैकड़ों लेक्चरार्स हैं, टीचर्स हैं, वे कौन से ज्ञानी हैं, कौनसे निष्णांत हैं, मनीषी हैं? किताबें रट-रटा कर पढ़ाते हैं, उनको भी क्यों नहीं भिख मंगा मानते? वे स्वयम् अपने ज्ञान का उत्पादन नहीं करते, घिसी पिटी बातें रट रटा कर पढ़ाते हैं, अपने ज्ञान का कहां वे उत्पादन करते हैं, सृजन करते हैं, ? यह मंत्रीजी के बिल की दृष्टि से वे क्वेक हैं। यदि यह मंत्रीजी का लोजिक समाज में स्पर्श करता जावे तो मेरा अंदेशा है कि हम सब ही उस श्रेणी में आने वाले हैं। हम समाज के लिए क्या उत्पादन करते हैं, हम क्या सृजन करते हैं? न हम उत्पादन करते हैं और न ही हम सृजन करते हैं। यदि हम सृजन और उत्पादन करते होते, अपने कर्त्तव्य का पालन करते होते तो समाज में एक क्रान्ति करते, एक शक्ति पैदा करते और भीख मांगने वालों को रोकते।

यह ठीक बात है कि जो भिक्षा मांगते हैं जो समाज में उत्पादन या सृजन नहीं करते उनको रोकना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको यह सोच लेना है कि आप इतने विशाल काम को करने जा रहे हैं क्या इतनी क्षमता आप में है। मैं यह चाहता हूं कि समस्त हिन्दू समाज जिसमें धर्म और सम्प्रदायों के नाम पर भिक्षावृत्ति चलती आ रही है इस प्रकार के संक्रामक रोग को, जो आज समाज में घर किये हुये हैं उनको दूर करने के लिए बड़ी क्रान्ति करनी पड़ेगी। यह हुकूमत खुद सोच ले कि क्या उसमें इतनी क्रान्ति करने की शक्ति है, वह अपनी ताकत को पहले समझ ले। पुराने सदियों से जो मोर्चा चला आ रहा है क्या वे उस मोर्चे का भूमिसात् कर सकेंगे? संस्कृति की सेवा का आडंबर करते हुए जो

(श्री जनार्दनराय नागर)

लोग इस तरह के हिन्दुस्तान में घूम रहे, हैं जो एक मात्र आडंबर है क्या आप उसको रोक सकेगें ? सच बात तो यह है कि कि मन से, इरादों से, समझ से, अनुभव से, ज्ञान से इस जर्जरित समाज को आप जितना बदलना चाहते हैं उतनी ही इस समस्या का हल हो सकेगा । आप कानून बना कर किसी चीज को रोक सकते हैं लेकिन कानून उसको जड़ मूल से दूर नहीं कर सकता । मनुष्य समाज में जो इस प्रकार की वृत्ति आ गई है वह केवल एक, दो इन्जेक्शन से दूर होने वाली नहीं है। इसके लिए पूर्ण रूप से सन्नद्ध होकर मजबूती के साथ कदम उठाने की जरूरत है। हम आपका इसमें सहयोग करेंगे, मदद करेंगे । इसलिए इस बिल को एक प्रभावशाली प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये जो बड़े इत्मिनान से संकल्प से राजस्थान में जो मांगने वाले लोग हैं उन लोगों में इस प्रकार की वृत्ति को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव दें और प्रवर समिति को यह भी चाहिये वे हिन्दुस्तान के विचारकों की भी इसमें राय ले । इस भिक्षावृत्ति को दूर करना चाहिये इसमें संपूर्ण रूप से मैं हुकूमत के साथ हूँ ।

**श्री श्रीभानसिंह (बयाना) :** Mr. Deputy Speaker, Sir, I had no mind to participate in the debate but when I found my learned × × × × predecessor speaking in the House...

**श्री उपाध्यक्ष :** I think that phrase has lost its sense as the Hon'ble Member has concluded his speech.

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** I object to this expression. The Hon'ble Member may call himself a × × × × but another Member cannot be called as such.

**श्री श्रीभानसिंह :** He has admitted it in the House himself. I asked him and he clarified it.

**श्री जनार्दनराय नागर (मावली) :** I think the Hon'ble Member himself is a superfine × × × ×

**श्री श्रीभानसिंह :** He has admitted himself that he is a × × × × and since the Hon'ble Member is also the Chairman of the Sahitya Academy, the House can well understand that it is in the hands of XXXX

I was at a loss to understand whether the Hon'ble Member was speaking for or against the Bill. He started for the Bill and ended against it.

We must admit one thing that the problem of Beggars is undoubtedly acute and a complex one. But to mix this problem with our traditions or with Hindu Society of Hindu civilisation or, I may call it, Indian civilisation and culture is probably not understanding the Hindu civilisation and culture. As for as I can understand and my humble khowledge goes, in Hindu civilisation or in Indian civilisation and culture the beggars were never there. Only at a certain stage, ascetism was provided at old age-an age at which the man becomes infirm and incapable of

---

XXXX अध्यक्ष पद के आदेशानुसार निकाले गये

( श्री श्रीमानसिंह )

being useful to the society or of any utility to the society. But those who were ascetics in the society, in Indian civilisation and culture, they represented some lines of philosophy. You may take Shankaracharya or any man in Indian culture, they represent a certain type, a certain line of philosophy which originated either from Vedas or Upanishadas or other religious works; but they were not beggars. Therefore, to support the problem of beggars by citing Indian culture or traditions is a mis-conception. It is a wrong understanding of Indian civilisation.

In this country, it was only when Lord Buddha started preaching him message of peace and non-violence and the philosophy of 'Nirvan', that the ranks of so-called beggars swelled, and they swelled because in that era of our History, a repulsion against Vedas and Upanishadas took place, and because of that repulsion the people took to Buddhism; people became Sadhus. But later, there was again a reaction against Buddhism and those people who were sitting in the Matths or thrown out of society and out of work, and Buddhism no longer existed as religion of this country and, therefore, they became the destitutes of our society. This was the era in our society when our beggars of today can claim a place in the Indian society or culture. From then onwards the economic prosperity of the country decreased and the population increased, and the ranks of never-do-wells and lazy and pathotic people continued to swell, and today in this century it has become a very complex social proplem.

An argument was given in this House that the State Government is incompetent to tackle, and should not tackle social problems. My idea is quite different. In an under-developed society, when we are progressing economically, if the State Government does not assume leadership of social, economic and political reforms, then let me assure the House that there is no individual in an under-developed society or country who can assume the leadership of changing the social institutions. In an under-developed society like ours, with mass illiteracy and paucity of leadership, it is the State Government that has to assume the role of leadership; and since in our economic planning the State Government has assumed the role of leadership through Five Year Plans to develop this country, it is very essential that our Society and social institutions must change with the economic reforms and progress. If on the one hand we continue to increase our wealth, to progress economically, and on the other hand our social institutions remain backward and continue to rear that type of hierarchical society which promotes a philanthropic and humanitarian approach to these people who do not contribute towards

( श्री श्रीमानसिंह )

the productivity of the country or the National wealth, then our progress will be hampered. In that society and in such circumstancss, where there is illiteracy and poverty, the State Government has to assume the leadership for econmic and social reforms. However, Sir, in social reforms, a complex problem comes before the society and that problem is thal some people have a religious bias towards the beggars, what some may call in broad terms a 'humanitarian' approach to the problem.

As a student of Anthropology, I had to go into this beggar problem. It has assumed such inhuman dimensions in the society that a child born normal is maimed in order to elicit or draw the sympathies of passers-by, its arms are maimed, legs are broken, tongues are cut and ears and noses are cut, and then such maimed and crippled children are produced before the society in order to draw money from them. It is gross cruelty to the children and extraction of money through exploitation of human sentiments. It is that cruelty which is to be stopped in the society. This problem must be checked and it can be checked if the State Government assumes the leadership.

We have adopted a socialist pattern of Society as our aim, which means diverting the wealth from a few rich people to the masses. When our point of view is socialism and diversion of wealth from rich to the masses, then those masses who claim to be poor have no right to beg. In socialism, while it has no place for the rich, at the same time it has no place for the idle. What is happening is that in our Five Year Plans we have not been able to create the requisite type of work or employment that was needed. We have to see whether it is actually the people who are un-employed and cannot find an employment who are begging, or is it that begging has become in this country a sort of employment in itself ?

There are Sadhus. If they want to practise some religion, some philosophy, they have a place outside the cities and towns, away from the society, they have no claims upon the Society. Only if they contribute to the intellectual devlopment of the society, they can claim their share in the society. Those who are neither contributing to the upliftment of the society nor towards the productiveness of the society, they have no claim on the society and if they think that they have a claim on the society, they must change their mental outlook. The economic development in this country is today being hampered because there are stillout worn social institutions, and my grievance against the State Government is that we have not advanced so much towards reform in social institutions as we have advanced in economic progress.

( श्री श्रीमानसिंह )

We are lagging behind in social reforms and in that case, let me assure this House, we will not succeed in Economic Planning. Today there is on the one side a demand from the society for more and more things and on the other hand there is this demand from an idle section of the society that they should be preserved and maintained, because it is religious and humanitarian duty of every man of this country to maintain them even though they do not contribute anything to the society. This is not logical. This is contradictory. It goes against our policy also. So I am glad that the State Government has assumed the leadership in social reforms; and very stringent measures must be taken to prevent beggary and to prevent any maiming or disfiguring of human beings. Those who are able-bodied, whether they are intellectually of a high standard or of the average standard, and those who are capable of contributing to the betterment of the society they must be forced to feed themselves, and in the words of a philosopher, they must be forced to free themselves from the shackles of idleness. Only when they are free, they will contribute to the society. One million people, or whatever their number may be, should not remain idle and feed themselves like parasites. This parasitism is a contagious disease and it is such a contagious disease that if we continue to preserve one million people today, then during the next Five Year Plan there will be five million parasites to serve. They will spread. Therefore, in order to check this contagious disease, it must be nipped in the bud immediately.

There may be some shortcomings in the Bill and, as the Hon'ble Member has suggested, it may go to the Select Committee, but I would like the Select Committee to make the penalty clauses more stringent if they are not already so, so that this legislation may not become infructuous and we may not have to compare it with such legislations as the 'Sharda' Act. It must be more strict, so that in our society certain elements which are useless, those elements must be rounded up and placed in proper places.

There is a healthy provision in this Bill that those who are able-bodied will be taught work and how to earn and contribute to the society, and they will be taught how to live like human beings. If this principle is taught to everybody in the society, then, let me assure you, the future of this State is bright. But if they are taught to remain idle and to feed themselves on the labour of others and then to seek protection of traditions, then that way we shall not progress economically. If the State Government does not enter the social arena and eradicate such institutions or change them to suit our economic changes, then we cannot achieve

# Page No.74



( श्री श्रीमानसिंह )

prosperity and the fulfilment of our economic plans. This is my only submission to the House.

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोटूसिंह ।

श्री छोटूसिंह ( अलवर ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रगतिशील बिल लाने के लिये राजस्थान सरकार को मुबारिकवाद देना चाहता हूं । अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कह कर कि हाफ हार्टेड मेजर है, प्रीमेच्योर्ड है और अगर इस स्थिति में यह कानून बनेगा भी तो जनमत साथ नहीं है और इसलिये इसका पालन नहीं होगा ; मैं समझता हूं कि इन दलीलों को देकर इस प्रगतिशील कदम से समाज को दूर रखने की कोशिश की गई है ।

हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा लान्छन है जब कि मेरे कुछ माननीय साथी यह कहते हैं कि भरतवर्ष के इतिहास में हमेशा से यह जो मांगने की प्रथा है वह चली आती थी । अगर हम इतिहास को उठा कर देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल हमारे यहां पर वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली प्रचलित थी । जिसमें आप यह देखेंगे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम थे । हमारे यहां पर भी सन्यासी लोग हुआ करते थे । उनका मुख्य कार्य यह होता था कि जो अपनी आजीविका समाज से भिक्षावृत्ति द्वारा चलाते थे पर इसके बदले में वे काफी देते थे । उनका मुख्य कार्य उनका प्रतिदान इस रूप में होता था कि वे अपना सारा जीवन समाज के निर्माण में, उनके बच्चों को सद्गृहस्थ बनाने में, उनको सच्चा नागरिक बनाने में, उनको पक्का ब्रह्मचारी बनाने में बिताते थे । इस परम्परा को देखकर हमें आश्चर्य भी होता है और आनन्द भी । पर मुझे खेद होता है जब मैं यह सुनता हूं कि भारतवर्ष में हमेशा से भिक्षा-वृत्ति चली आ रही थी । इसे वे भिक्षावृत्ति में शुमार करते हैं; यह वस्तुस्थिति को नहीं समझने से ही है ।

फिर एक दलील बड़ी अजीब दी गई है कुछ लोगों की ओर से कि अगर हम कानून बना देते हैं ऐसा और इसका पालन अगर नहीं होता है तो ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा ? मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रजातन्त्र के युग में और क्या तरीका हो सकता है सामाजिक सुधार का जो बगैर कानून बनाये ही समाज का सुधार हो सके ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रजातन्त्र में जो यहां की विधान सभा है, जो यहां के सदस्य हैं उनको हर कार्य में लीड देना है चाहे वह फिर आर्थिक क्रान्ति हो चाहे सामाजिक क्रान्ति हो । अगर आर्थिक क्रान्ति हो जाती है और सामाजिक क्रान्ति में पिछड़ जाते हैं तो वहां आर्थिक क्रान्ति कोई माने नहीं रखती । एक अजीब दलील दी गई और कहा जाता है कि इसका अनएम्प्लॉयमेंट से सम्बन्ध है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारे सामने अनएम्प्लॉयड लोगों के फिगर्स आते हैं अगर वे फिगर्स घट कर कतई कम हो जायें या अगर हमारी राजस्थान सरकार या भारत सरकार ऐसे कोई फिगर्स दे कि भारतवर्ष के अन्दर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर अगर एक भी अनएम्प्लॉयड नहीं

( श्री छोटूसिंह )

होगा तो भी जो भिक्षावृत्ति के लोग हैं उनकी संख्या कम होने वाली नहीं है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मांगने वाले लोग जो कि समाज के शोषक लोग हैं इनका और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोब्लम नहीं है । आज अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उन लोगों में है जो कि मांग नहीं सकते; उन शिक्षित और सफेद पोशों में है जो कि मेनुअल लेबर नहीं कर सकते । आप देखेंगे कि जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है आज भी मजदूरों की इतनी कमी है कि मजदूर दो रुपये के बगैर नहीं मिल सकते । खेतों पर रखने के लिए अगर आदमी चाहिए तो १॥ या २ रुपये के बगैर आदमी नहीं मिल सकता । एम्प्लॉयमेंट का सवाल भिक्षुओं के लिए कतई नहीं है । यह तो मनोवृत्ति का प्रतीक है और यह तो उनको समाज का शोषण करने की आदत पड़ गई है और मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर कितनी ही जातियां ऐसी हैं कि जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती हैं कि जिनका पेशा ही मांगने का है । ऐसे लोग जिनकी कि आदत जन्म से ही मांगने की पड़ जाती है आप उन्हें ट्रेन्ड करने की कोशिश करें तो उसमें आपको काफी दिक्कत आने वाली है । कुछ लोग जो दूसरों की कमाई पर जिन्दा रहना चाहते हैं, जो दूसरों की कमाई को मुफ्तखोरी में खर्च करना चाहते हैं तो यह समाज कैसे आगे बढ़ सकता है ? जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है मैं कहना चाहता हूं कि यह अजीब दलील है कि अगर हम जो कानून बनाते हैं उसकी पाबन्दी नहीं होती है तो यह कुसूर किस का है ? या तो सरकार का है या हमारा है जो कि हम आज समाज के अगुआ बनते हैं । शारदा एक्ट पास हुआ । चाईल्ड मेरेजेज़ रेस्ट्रेन्ट एक्ट के नाम से आया । अगर आज भी इस प्रकार की शादियां होती हैं कि जहां लड़के और लड़कियों की कम उम्र होती है तो क्या कानून में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर शिकायत हो और उम्र कम हो तो इस प्रकार की शादियां नहीं हो सकती ? मैं एक वकील के नाते कहता हूं कि कितनी शादियां हुई हैं जिनमें कि उम्र कम थी तो मैंने उन्हें इंजंक्शन दिलवाया है कोर्ट से । जब कि शादी प्रथा के खिलाफ हिन्दुस्तान में कानून बना तो उसकी खिलाफत हुई और लोगों ने बगावत की । पहले स्त्रियां जिन्दी चिता में जल जाती थीं, उसके लिए कानून बना तो लोगों ने खिलाफत की । हिन्दू सक्सेशन एक्ट आया और उसमें बहिन और भाई के समान अधिकार आये तो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई । शराबबन्दी का कानून आया तो उसकी खिलाफत हुई । प्रिवेन्शन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट आया तो उसकी भी खिलाफत की । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के कानून नहीं बनते तो क्या जो आज समाज से हमारी अनटचेबिलेटी दूर हुई है वह किसी प्रकार से दूर हो सकती थी ? उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रगतिशील कानून है जिसको कि जल्दी से जल्दी बनाने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए । जहां तक इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का ताल्लुक है; मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये । लेकिन जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए और सिलेक्ट कमेटी या जनता की राय के नाम पर इस

Page No.76



( श्री छोटूसिंह )

प्रकार के प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हैं उनमें डिले नहीं करनी चाहिए। जो कानून बनते हैं उनमें कुछ खामियां रह जाया करती हैं और वे खामियां अमेंडमेन्ट्स के रूप में समय समय पर ठीक होती रहती हैं। तो यह कहना कि इस स्टेज पर कुछ खामियां रह जायेंगी और एक परिपक्व कानून नहीं बन सकेगा तो क्या इसका मतलब यह होगा कि जो कानून हम लाना चाहते हैं वह न लायें? बड़ी बड़ी दलीलें दीं कि जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ वह हम क्या कर पायेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि राजा राम के जमाने में दशरथ के तीन रानियां थीं और अगर हम आज कानून बनायें तो कोई फिक्र की बात नहीं है। हिन्दुस्तान दरअसल में कभी आजाद नहीं हुआ। यहां अंग्रेज आये, मुसलमान आये, मुगल-पठान आये, मुहम्मद कासिम आया, एलेग्जेंडर आया। जो आया और पीट गया। पहले छोटे छोटे राज्य थे और वह थे राजपूत राजाओं के जिनका काम था कि आपस में लड़ें। जब हम आज पृथ्वीराज को याद करते हैं तो संयोगिता की भी याद आ जाती है। हिन्दुस्तान जो कभी आजाद नहीं हुआ, १५ अगस्त, १६४७ के बाद इतिहास का वर्क पलटा है और हमने वह काम कर दिखाया जो हमारे बुजुर्गों ने आज तक नहीं किया था। हम तो हमारे पुराने इतिहास को साक्षी करके आगे बढ़ने की बात करते हैं तो मुझे इतिहास के मानने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक इतिहास जो कलंकित करता है उसको मानने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हूँ। हम कह सकते हैं कि वह इतिहास नहीं वह तो मनघड़न्त कहानियां हैं। पहले कभी हमारे सामने समस्या आती थी तो हम कूपमण्डूक रह जाते थे और समझ में नहीं आता था कि क्या इलाज करें। एक बिल आया है। सिलेक्ट कमेटी को पूरा अधिकार है कि उसमें वह संशोधन करे। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि उसको सख्त बनायें। इस प्रकार के मेजर्स एडॉप्ट करें कि जिससे यह कानून कामयाब हो। बहुत से कानूनों को मनवाने में हमारी सरकार कामयाब नहीं हुई है तो इसको ऐसा बनाया जाये कि निश्चित रूप से हम कामयाब हों। लेकिन इस वजह से कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो मैं अर्ज करूंगा कि साधारण से मेजर्स के अन्दर राजस्थान सरकार भिखमंगों को जब आउस्ट करना चाहती है अगर उसके करने में ही नाकामयाब होगी तो लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रोब्लम है उसको इस तरह से राजस्थान सरकार कैसे हल कर पायेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि साधारण से जो मेजर्स हैं जो राजस्थान सरकार की ओर से लाये गये हैं, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार उसमें कामयाब होगी और किसी प्रकार की शंका करना कि इसमें नाकामयाबी मिलेगी मैं समझता हूं यह कतई गलत बात है। एक अजीब दलील दी गई है कि जो एस्ट्रोलोजर हैं जो हाथ देखते हैं यह कुछ तो काम करते हैं, किसी प्रकार से तो अपना काम चलाते हैं, लोगों की दिलचस्पी के मुताबिक काम करते हैं और इस प्रकार से आज हजारों और लाखों की तादाद में एस्ट्रोलोजर हैं उनको मना कर दिया गया तो वे अनएम्प्लायड हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या चीटिंग का नाम ही अनएम्प्लॉयमेंट है जिसका कोई बेस नहीं तो फिर मैं नहीं समझ पाया कि

( श्री छोटूसिंह )

अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लायमेंट के अन्दर क्या अन्तर रह जायेगा ? जो लोग चीटिंग करते हैं और इस प्रकार का काम करते हैं और जो पढ़े-लिखे डॉक्टर्स और बैरिस्टर्स हैं वे भी उनके चक्कर में आ जाते हैं। यह इतने बड़े पैमाने के चीटर्स हैं जो कि 'हम-तुम' को भी शिकार बना ले जाते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ तो और भी ड्रास्टिक एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी तत्व हैं जिनका कि भिक्षावृत्ति से कोई ताल्लुक नहीं है और वे सभ्य: तरीके हैं। वे समाज का शोषण करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ भी जल्दी ही कोई मेजर्स अपनाये जायें और उनको भी रखा जाये। लेकिन जो बिल हम रखने जा रहे हैं वह, "Putting the cart before the horse." के समान हैं। क्योंकि हम एक और बड़ा काम नहीं कर सकते इसलिए छोटा काम भी नहीं किया जाये, यह दलील तो समझ में नहीं आती। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड प्रोब्लम है। इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये लेकिन जल्दी ही उससे रिपोर्ट मंगाई जाकर यह जो मेजर्स हैं इनको एडॉप्ट किया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष :** मंत्री महोदय, प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं। इस बीच में श्री जगदीशप्रसाद माथुर बोलना चाहें तो बोल लें। ( श्री माथुर से ) आपने यह चिट भेज कर अपने बोलने का प्रश्न रखा है।

( विराम )

श्री लादूराम।

**श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू.-सु०):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी विधान सभा के सामने राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ जो पेश हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों के जो भाषण हुए और मेरे जो विचार हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस आजाद भारत के अन्दर जब कि हर मनुष्य को अपनी नागरिकता के, अपनी स्वतन्त्रता के अधिकार प्रदान हैं, ऐसी स्थिति में और ऐसे स्वर्ण जमाने में भिक्षावृत्ति जैसे नीच कर्म को नहीं रोका गया तो हमारी राज्य सरकार जो कार्य कर रही है और जितने विकास के लिए आज प्रयत्न कर रही है इसमें कामयाबी मिलना दुश्वार हो जायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जितने भी लोग बसते हैं उनमें करीबर तीस पैंतीस, प्रतिशत लोग भीख मांगते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका मुख्य कारण क्या है और उसको रोका जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे राजस्थान के अन्दर जितने भी लोग हैं उनको काम नहीं मिलता है। पूरे दिन बेकार ताश खेलने में बिताते हैं या अन्य इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और कितने ही लोग तो अपने कई कागजों के पीछे ऑफिसों के अन्दर लाइनें लगाए खड़े रहते हैं। इसका क्या कारण है ? उनको हमारी सरकार की ओर से ऐसा कोई रोजगार-धन्धा नहीं मिलता और महज इसी कारण भूखे मरते लोग ज्यादा से ज्यादा भीख मागते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सद्युग, द्वापर और त्रेता युग तक पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि

( श्री लादूराम सुलाणिया )

उस जमाने में भी भिक्षावृत्ति होती थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस जमाने में भिक्षावृत्ति नहीं होती थी। लोग कमा कर खाते थे और अपनी मेहनत की मजदूरी प्राप्त करते थे। हमारे देश में ब्राह्मण जाति है और उन लोगों के पास बच्चे पढ़ते थे। वे जंगलों के अन्दर अच्छे २ आश्रम खोल कर लोगों को कई प्रकार की शिक्षा देकर उनसे भिक्षा लेते थे। वे खुद भी खाते थे और अन्य लोगों को भी खिलाते थे। लेकिन आज आप लोगों के पास रोजगार-धन्धा नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में आज के जमाने में हमारी राज्य सरकार को अति-शीघ्र इस बिल को खुद जनता में प्रसारित करना चाहिए, भिक्षावृत्ति को रोकना चाहिये जिससे हमारे देश का जो यह कलंक है वह मिट सके और हमारे देश के लोग मेहनत-मजदूरी करके अपने पैरों पर खड़े होकर खरी कमाई कर अपना पेट भर सकें। किसी ने कहा भी है कि जैसा खाये अन्न वैसा आये ज्ञान। भीख मांग कर खाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट रहती है। भ्रष्ट बुद्धि वाले के अच्छे विचार कभी नहीं हो सकते। अच्छा खाना जब मिले जब वह मूर्ख न रहे और उनको सरकारी तौर पर रोजगार मिले। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना जरूरी है। क्योंकि इसके अन्दर बहुत बहुत खामियां हैं और उन खामियों को पूरा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इसमें जो कई प्रकार की खामियां हैं वह दूर की जाय और विशेष कर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भिक्षावृत्ति जो रोकी जा रही है तो उसके साथ साथ काम दिलाने की योजना भी सरकार इसमें शामिल रखे। जितने भिक्षुक हैं उनको भिक्षा-वृत्ति करने से रोकते हैं तो उनको भी मिलना चाहिये। जिस दिन से भीख मांगना बन्द करें उस दिन से उन लोगों को रोजगार, मेहनत करने का मौका मिले। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे देश के बाहर के देश हैं वहां की सरकारें इस बात का प्रयास करती हैं, इस बात का पता चलाती हैं कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने काम करते हैं, कितने लोग बेकार हैं और कितने लोग आराम से खाते हैं तथा कितने लोग मजदूरी करके, मेहनत करके खाते हैं। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार या हमारी भारत सरकार ने आज तक इस बात की कोई जांच नहीं की है। आज भी इस राजस्थान की जनसंख्या का हिसाब लगा जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जितने सेठ हैं भारत के अन्दर उनमें हमारे राजस्थान के सबसे ज्यादा पिछड़े हुये हैं रोजगार के मामले में। मैं विशेष कर निवेदन करूंगा कि जो मजदूर वर्ग के लोग है, राजस्थान के मजदूर लोग हैं, इस राजस्थान को छोड़ कर जब बाहर गए, अन्य कई शहरों में बने हुए हैं लेकिन दिल्ली शहर के अन्दर ही ७२,००० झोंपड़े हैं। १६६० के सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि अकेले राजस्थान के ७२,००० झोंपड़ियां हैं और उसमें डेढ़ लाख लोग एक स्थान के मजदूरी करने के लिए। यह कितने दुःख की बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय में कई दफा सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से निकले हुए जो लोग हैं उनको वापिस राजस्थान में बसाने की योजना की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह योजना आज तेरह बरस

( श्री लादूराम सुलाखियां )

हो गये भारत को आजाद हुए, राजस्थान राज्य की स्थापना हुए, लेकिन एक भी व्यक्ति को वापिस बुला कर यहां की भूमि पर आबाद कराने में सरकार सफल नहीं हुई है और न उसमें कामयाबी प्राप्त हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि भिक्षावृत्ति रोकने के साथ साथ ही उन लोगों को काम दिलाने की योजना की जाय, उनको काम दिलाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये सरकार को और उनको काम दिला कर उनके जो पेट भरने के जो रास्ते हैं और जिससे वह अपना निर्वाह कर सकें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भिक्षावृत्ति निवारण कानून को प्रवर समिति को सुपुर्द करते हुए, प्रवर समिति में भेजते हुए यह कहा जाय कि वापिस जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट आये, अधिवेशन में रखे और उसको पास करके जनता में प्रसारित करें।

कुछ सदस्यों ने कहा कि जन-जागरण इसके साथ नहीं है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जब कभी कानून बनाती है तो जनता तो उसके साथ होती है। आप जो कानून बनाते हैं जनता तो उससे सहमत होती है; उसका विरोध तो होता है असेम्बली में। जो लोग कानून बनाते हैं, जन-जागरण उनके साथ रहता है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जब चुने हुये लोग, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहां बैठ कर जिस कानून को बनावें जनता उसके विरूद्ध हो, यह समझ में नहीं आता और फिर जिस कानून का जनता ने विरोध किया हैं सरकार ने उसको रोकने में प्रयास भी किया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जनता के अन्दर जो कानून जाता है उसमें बहुत देरी कर दी जाती है और इसका मुख्य कारण हमारी सरकार है। हमारी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिये। वह खुद ही जल्दी लागू नहीं करना चाहती सिर्फ अपने ऑफिसों में पड़ा रखे तो यह दूसरी बात है। मुझे तो इस बात का भय है कि इस कानून को बना कर सरकार अपने ऑफिसों की अल्मारियों में भर देगी और इस कानून को भी जनता में जल्दी से प्रसारित नहीं किया जायेगा और जो लोग इस पक्ष में नहीं हैं कि भिक्षावृत्ति मिटे और जो यह चाहते हैं कि भिक्षा मांग कर गुजर करें वे सरकार के बड़े २ अधिकारियों के पास इस बात की चेष्टा करेंगे कि इसे जनता में प्रसारित न किया जाय। बड़े २ डेपूटेशन आ आकर रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर छुआछूत के कानून को ही ले लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो छुआछूत का कानून आया उसका विरोध किया गया और आज तक उसका विरोध शांत नहीं हुआ है। आजादी मिलने के बाद और कानून बन जाने के बाद भी आज भी हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारी सरकार का ध्यान कई दफा आकर्षित करने का प्रयास किया गया लेकिन उसका ध्यान आकर्षित नहीं होता। आज भी हरिजनों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। नालियों से पानी पिलाते है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विधेयक पर बोलें।

**श्री लादूराम सुलाखिया** : मैं, माननीय उपाध्यक्ष, **यह निवेदन** कर रहा था कि जो **बिल** सरकार बनाती है उनको लागू नहीं करती

( श्री लादूराम सुलाणिया )

है । वह महसूस करती है कि जो लोग साइकिल पर चढ़ कर गांव के बीच में से नहीं गुज़र सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना-पत्र भेजते हैं पुलिस के अन्दर या थाने के अन्दर रिपोर्ट करते हैं तो कह देते हैं कि क्या जुर्म बनता है ? मैं निवेदन करूंगा कि जो कानून बन गया अगर छुआछूत का उसमें एक शब्द भी छुआछूत का आ गया तो जुर्म बनता है । लेकिन उनका सदुपयोग नहीं है । यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है । इसी तरह से भिक्षावृत्ति निवारण कानून को इसी तरह से बना कर बैठ गये तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कानून बनायें और कानून बनाने में जो लोग जितनी हार्दिक इच्छा से या जितनी हिम्मत के साथ में प्रोत्साहन देते हैं उतना ही जनता में प्रसारित करने में, जनता में लागू करने में भी कोशिश करें ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां तक राजस्थान में भिक्षुओं का प्रश्न है यह बहुत ही विचारणीय है और विचारणीय ही नहीं, मैं तो यहां तक अर्ज करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उनका जीवन सुधारने के लिये जल्दी से जल्दी भिक्षावृत्ति को रोकें । मगर उनको रोजगार दिलाया जाय । मैं आप से निवेदन करूंगा और सभी माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कराने में सहमत हों, और बहुमत से पास करके और जनता में प्रसारित किया जाय और अधिकार से इसका उपयोग किया जाय तो ही हमारे राजस्थान में भाग्य का कुछ नतीजा निकल सकता है । और अगर ऐसे कानून को बना कर हम यह चाहते हैं कि इससे बहुत बड़ा स्वार्थ हो जायगा । जहां एक कानून निकला पुलिस को अधिकार दे दिया और उस कानून के तहत में पुलिस उसकी कार्यवाही करती है लेकिन हमारे लोग जाकर छुड़ा देते हैं, सिफारिश कर देते हैं तो उस कानून का सदुपयोग नहीं होता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका अधिकार पंचायत समितियों को दिया जाय, ग्राम पंचायतों को दिया जाय, जिला परिषद् को दिया जाय, न कि किसी अदालत को दिया जाय, और अदालतों को....

**श्री उपाध्यक्ष** : जब इस प्रकार खण्डशः विचार किया जायगा तो ये सब प्रश्न आ जायेंगे ।

**श्री लादूराम सुलाणिया** : मैं माननीय उपाध्यक्ष, यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मज़बूत शब्दों में करके इसे पारित किया जाय और इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर-पश्चिम ) : Mr. Deputy Speaker, Sir...

**श्री रामचन्द्र** ( डग-सु० ) : उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! जहां तक प्रवर समिति का सम्बन्ध है इस बारे में मेरे पास माननीय मन्त्री महोदय का एक पत्र आया है जिसमें वे प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में डिबेट अधिक न बढ़ाई जाय तो उचित होगा ।

**श्री अर्जुनदास** : You can give me only three minutes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : All right.

श्री अर्जनदास ( अजमेर-पश्चिम ) : Mr. Deputy Speaker, Sir, all along I have been wondering why our Government has turned a blind eye towards this problem of begging in our cities and towns. Thank God, the Government has been able to rise from its slumber and has started thinking of improving the conditions of our cities and towns.

One of the biggest problem in the cities is the problem of begging. It is so serious that it is difficult for any decent man to go about the city with his family without being encountered by these beggars. Let us stop this.

I also take this opportunity to bring to the attention of the Hon'ble Home Minister that there are other problems of the cities also which call for a solution. One of them is the loudspeaker's nuisance. In the city, wherever you go, the loudspeakers are crying so loudly that it is not possible for anybody to do his work.

श्री उपाध्यक्ष : Is it allied with this Bill ? This loudspeaker business, does it come under the Bill ?

श्री अर्जनदास : I only take this opportunity to bring home to the Hon'ble Minister a few things...

श्री रामकिशोर व्यास ( गृह मंत्री ) : That is Municipalities' business.

श्री अर्जनदास : Not necessarily.

श्री उपाध्यक्ष : Necessarily it is the Municipalities' business.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : Moreover, Sir, the voice is not audible.

श्री अर्जनदास : If you had some patience, you will be able to understand.

श्री उपाध्यक्ष : He did not say anything about not understanding. He said that your voice is not audible.

श्री अर्जनदास : Well, that is not my fault.

श्री आबिदअली : You can take another mike.

श्री अर्जनदास : The other problem is that of loudspeakers. At times, cars with loudspeakers attached to them hurry past you on the roads and make it difficult...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Arjan Das, are you taking an opportunity to make this Bill a medium to voice your feelings about other subjects also ?

श्री अर्जनदास : Not necessarily. I only wanted to bring to the attention of the Home Minister a few other things.

श्री उपाध्यक्ष : Better place for that is chamber, rather than the floor of the House.

**श्री अर्जुनदास** : I never believe in the Chamber Practice, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : But I will not allow the House for your views on other subjects. I think you have concluded.

**श्री अर्जुनदास** : Thank you, Sir.

So I was saying that the Government should attend to our other problems also so that the residents of our cities and towns can have a really decent and proper life.

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, भिक्षावृत्ति निरोधक विधेयक को मैं समाज के लिये एक बहुत उपयोगी विधेयक मानता हूं। न केवल उपयोगी ही बल्कि बहुत आवश्यक भी मानता हूं। इसके लिये इस सदन के कई सदस्यों ने भी और जनता के कई लोगों ने कई दफा इस बात का ख्याल जाहिर किया कि इस प्रकार का एक विधेयक धारा सभा में लाना चाहिए और मैंने भी मुनासिब समझा और इसी ख्याल से यह विधेयक सदन में पेश किया गया।

इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों के भाषण हुए उनको मैंने बहुत गौर के साथ सुना है। अगर मैं उनका विश्लेषण करूं तो उसमें दो प्रकार की दलीलें कही जा सकती हैं। एक प्रकार की तो वह जिन्होंने यह कहा है कि भिक्षावृत्ति समाज का आवश्यक अंग है, बहुत जरूरी है, सोशियल सिक्योरिटी का मेजर है और इसलिये वह रहना चाहिये। दूसरे वे बन्धु हैं जिन्होंने बिल का तो स्वागत किया है लेकिन उनके ख्याल से इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है इसलिये उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। ये दो तरह की विचारधाराएं सामने आई हैं। पहली विचारधारा जैसा कि मैंने कहा उसमें ऐसी विचार धारा रखने वालों की संख्या बहुत कम है। एक-दो माननीय सदस्य थे जिन्होंने भिक्षावृत्ति को जारी रखने के लिये, भिक्षावृत्ति को समाज के लिये हितकारी मानने के लिये, उसको एक आवश्यक अंग मानने के लिये जोर दिया। उन्होंने एक अजीबोगरीब फिलॉसफी, इसके लिये बहुत बड़ी फिलॉसफी बयान की। वह मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह समाज के लिये संयुक्त परिवार एक संरक्षण का कार्य है उसी तरह से भिक्षावृत्ति भी एक अनिवार्य कार्य है; जब तक कि सारे आदमियों को रोजगार न दिया जाय। मैं इस सदन से अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो मूल आधार है इस बिल का उसके विरोध में जो बातें बताई गईं उससे मैं सहमत नहीं हूं। भिक्षावृत्ति समाज का कलंक है। इसके ऊपर दो राय की बात नहीं मानता हूं। कुछ बातें मुगालते की हो सकती हैं उनके लिये मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की।

कुछ ऐतिहासिक बातें, कुछ धार्मिक बातें जो लाई गई उनके आधार पर भी कहा गया कि नहीं होना चाहिये। अगर हमारे पुराने ग्रन्थों को देखें तो उनके आधार पर मैं कह सकता हूं मनुस्मृति को देखें जो कि हमारा सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ है, हमारे ब्राह्मणों को देखें जिसमें कि भिक्षा के बारे में जिक्र आया है। मैं निवेदन करूंगा कि आप महाभारत, पुराण, ब्राह्मण और मनुःस्मृति

# Page No.83



(श्री रामकिशोर व्यास)

को देखें, वेद, स्मृति, पुराण और इतिहास चारों को देखें तो भिक्षावृत्ति जिस प्रकार से कि आज चल रही है उसका समर्थन नहीं मिलता है। भिक्षावृत्ति किस लक्ष्य के लिये बताई है और उसका जो रूप बताया है वह उनके शायद नजरअन्दाज़ हो गया है। यह

३ म. प.

केवल उन चन्द मौकों के लिये जो आध्यात्म मार्ग में जाने के लिये लोग अग्रसर होते हैं और जिनके द्वारा अहंकार तोड़ने की बात आती है, ऐसे लोग भिक्षावृत्ति कर सकते हैं। लेकिन उनको भी सीमित किया गया है, मर्यादित किया गया है। ऐसे लोग जो समाज की सेवा करते हैं, कोई दूसरा धंधा नहीं करते हैं ऐसे लोगों के लिये भिक्षावृत्ति की इजाजत मिलती है। इसके बारे में शास्त्रों में काफी लम्बा डेस्क्रिप्शन मिलता है। उसमें लिखा है कि जो आदमी भिक्षावृत्ति लेने जाय वह तीन घरों से ज्यादा घरों में नहीं जायगा या पांच घरों से ज्यादा घरों में नहीं जायगा और उतनी ही भिक्षा लायेगा जितनी कि उसको खुद को चाहिये। उससे ज्यादा नहीं लायेगा और जितना भी मिल जाय उसमें संतोष करेगा। इस मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, समाज की सेवा करने वाले जो लोग हैं, जिनके लिये और कोई साधन नहीं है उनके लिये बताया है कि वे यह काम कर सकते हैं और उसे भी सीमित किया गया है तीन या पांच घरों में जितना मिलेगा उसमें संतोष करेंगे। जो धार्मिक रूप शास्त्रों में बताया है वह इस प्रकार की चीज नहीं थी जिस प्रकार की आज चल रही है। फिर कनक्लूज़न निकाला है दान और भिक्षा का। दान एक अलग चीज़ है। दान देनेवाला समाज के हित में या अपने हित में अपनी इच्छा से कोई देता है, आगे के लिये देता है और अपनी स्वेच्छा से बिना मांगे देता है और प्रेम से दान दिया जाता है। कोई प्रेम से दान देना चाहे तो उसके लिये इसमें कोई रूकावट नहीं है। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे को उपयुक्त समझ कर देना चाहता है तो उसके लिये कोई रूकावट नहीं है, जिसे चाहे दे उसके लिये कोई रूकावट नहीं है। इसमें विशेष रूप से दर्शाया गया है कि कौन कौन सी बातें इसमें आयेंगी और भिक्षा वह है जो जिसे अपने स्वार्थ के लिये मांगने जाते हैं। दान देने वाले खुद अपनी इच्छा से देते हैं लेकिन भिक्षा मांगने वाले दूसरे के पास जाकर मांगते हैं। एक देता है दूसरा मांगता है। दान देने वाला अपनी मर्जी से किसी के बिना मांगे देता है। इस तरह का दान अगर कोई देना चाहे तो उसके लिये कोई रूकावट नहीं है। भिक्षा अपने स्वार्थ के लिये मांगी जाती है। इसकी जबर्दस्ती से शक्ल बनादी जाती है उसको मना किया है। यह कहना कि भिक्षा हमारे समाज का एक अंग है, धर्म का एक अंग है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता हूं। धर्म और समाज का रीडिंग इस प्रकार से किया है; वह गलत है। एक एक्सेप्शन में माना जा सकता है उसके अलावा नहीं माना जा सकता।

एक दलील इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी आई वह यह है कि भिक्षावृत्ति निवारण की बात ठीक है लेकिन साथ ही साथ उनका पूरा एम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता और यदि पूरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वे क्या करेंगे? भिक्षावृत्ति ही करेंगे या उनको चोरी करने

Page No.84



(श्री रामकिशोर व्यास)

या डाका डालने की इजाजत दी जाय। यह दलील सामने आई। लेकिन उनका यह लोजिक मेरी समझ में नहीं आया। यदि कोई आदमी भिक्षावृत्ति नहीं करता है तो उसको चोरी और डाके की इजाजत दी जाय। चोर को चोरी करने की इजाजत दी जाय क्या यह मुनासिब है? इस तरह से भिक्षावृत्ति के लिये कहना कि एम्प्लॉयमेंट पूरा प्रोवाइड नहीं कर सकते इसलिये जारी रखा जाय, यह दलील ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि भिक्षावृत्ति को रोकने के बाद जो आदमी काम करना चाहते हैं उनके लिये काम की कमी नहीं है। उनके लिये रोजगार बहुत है। यह हो सकता है कि कोई आदमी अपनी मेहनत का मुआवजा ज्यादा चाहता हो और उतना उसको नहीं मिले। मान लीजिये एक ग्रेजुएट है वह चाहता है कि उसको २०० रुपया माहवार मिल जाय। हो सकता है उतना न मिले लेकिन काम तो उसको मिल सकता है। यह हो सकता है कि उतना मुआवजा न मिले या जिस स्थान पर काम चाहे उस स्थान पर न मिले। यह बात जरूर है कि पंचवर्षीय योजनाओं के जमाने में काम के साधन बढ़े हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में आंकड़े दिये हैं कि उक्त योजना के अंत तक इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ायेंगे। हो सकता है उतना पूरा नहीं कर पाये हों, यह दूसरी बात है। लेकिन यह सही है कि रोजगार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। हर प्रकार के साधन मिलते हैं। यह हो सकता है कि लोग विशेष प्रकार का रोजगार चाहते हैं या विशेष स्थान पर रोजगार चाहते हैं जो संभव है नहीं मिले। लेकिन रोजगार की कमी नहीं और आज भी आप देख रहे हैं कि मजदूर वर्ग के लिए जितना रोजगार है उतने आदमी मिल नहीं रहे हैं। लाइये मैं कहता हूं राजस्थान केनाल के लिए हज़ार, दो हज़ार आदमियों को भेजिये। वहां के लिये राजस्थान के बाहर से लोग आकर काम करते हैं। आज हमको जितनी लेबर चाहिये उतनी मिल नहीं रही है और लेबर की कमी के कारण काम में देरी हो रही है। इसलिये यह कहना कि रोजगार नहीं है, बेकार बात है। यदि कोई आदमी बेकार बैठा रहे उससे तो अच्छा है कि मेहनत करे। लेकिन यदि कोई चाहे कि बाबू बन कर ही काम करेंगे तो यह संभव नहीं है। आप गंगानगर की तरफ जाइये आठ, आठ रुपये देने पर भी आदमी नहीं मिलते हैं....

**श्री आबिद अली** (सवाई माधोपुर): बी. ए. या एम. ए. करते हैं उनके लिए भी यही साधना है क्या?

**श्री रामकिशोर व्यास**: जो करना चाहें वे कर सकते हैं।

**श्री आबिद अली**: Is it practicable?

**श्री रामकिशोर व्यास**: क्या यह प्रेक्टिकेबल नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि कोई ग्रेजुएट है तो वह चाहता हो, वैसे विशेष प्रकार के साधन न मिलें लेकिन उसको बेकार रहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में ऐसे साधन हैं। बिल्कुल ही कोई बेकार रहे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां प्रोडक्ट्स इतने हैं कि आदमियों की कमी पड़ रही है। इसलिए बाहर के कान्ट्रेक्टर्स काम करने के लिए आते

# Page No.85



( श्री रामकिशोर व्यास )

हैं। दरअसल में जो लोग काम-धंधा करना चाहें उनके लिये काम की कमी नहीं है। यह बिल उस तबके के लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भीख मांगना ही उनका पेशा है। दूर जाने की जरूरत नहीं है जयपुर शहर में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका पेशा ही मांगना है। आप दूर मत जाइये यहां पर सैकड़ों फेमिलीज़ हैं जिनका भीख मांगना मूल पेशा है। सबेरे ही घर से निकल कर बच्चों को गोद में लेकर घर घर मांगने जाते हैं। फिर भी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, उनके पास काफी पैसा है, उनके ग्रहस्थ का काम अच्छा चलता है। तो यह बिल ऐसे ही लोगों के लिये है जिनकी तन्दुरूस्ती अच्छी है, काम काज नहीं करना चाहते हैं, मेहनत करके साधनों का उपयोग नहीं करना चाहते है, जिनको मजदूरी मिल सकती है लेकिन करना नहीं चाहते। उनको भीख मांगने में इतना मजा और लुत्फ आ गया है कि वे मेहनत करके कमाना नहीं चाहते...

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : भीख मांगने में भी मेहनत करते हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : वे काम-काज कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। चांदपोलियों के बारे में तो आपने सुना होगा, उनका पेशा ही मांगना है। सुबह उठते ही मांगने लग जाते हैं....

**डॉ० चन्द्रकला** : बाकायदा तैयारी करके निकलते हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप तो खुद सब कुछ जानती हैं।

जो लोग मजदूरी करना नहीं चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, हुनर या कारीगरी नहीं करना चाहते हैं उनका क्या इलाज है? समाज ऐसा है, केवल उन तक महदूद नहीं हैं, उनकी जो आने वाली औलाद है, उनके जो बाल-बच्चे हैं, उनको वे शिक्षा दे रहे हैं। नौ-दस वर्ष का बच्चा हुआ कि उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। तो फेमिली की परम्परा चलती जा रही है, जिसका एण्ड नहीं है, उसको चैक-अप करने के लिये कुछ करना जरूरी है। आपने बहुत कुछ समाज की बातें कहीं। वे सब यहां लागू नहीं होंगी। तो ऐसे कुछ लोग हैं, जो आदतन यह पेशा करना चाहते हैं भीख मांगने का, उनके लिये कानून बनाना बहुत जरूरी था। उस दृष्टि से ही यह कानून आपके सामने लाया गया है।

अब एक दलील और दी गई कि इस पर लेजिस्लेशन हो या नहीं हो क्योंकि यह एक ऐसा काम है। जिसको अपने आप समाज करे, इसके लिए किसी विधेयक की जरूरत नहीं है। यह मसला एक पेचीदा मसला है और बहुत अर्से से इस बात पर दो रायें चली आई हैं कि सामाजिक मामलों में लेजिस्लेशन हो या नहीं हो। इस तरह के प्रश्न पार्लियामेंट में भी आये और और जगह भी इस प्रकार की बातें आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट आपकी है और जो इसका क्षेत्र है, जो इसका स्कोप है, जो ऑब्जेक्ट है, सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसमें समाज के काम आपको लेने पड़ेंगे। अगर आज के हित के काम छोड़ देंगे तो इस ऑब्जेक्टिव को छोड़ना पड़ेगा। समाज को ऊंचा उठाने का सोशि-

# Page No.86



( श्री रामकिशोर व्यास )

यलिस्टिक पेटर्न का लक्ष्य है। तो समाज की बात लेनी पड़ेगी। अगर यह उसूल न माना जाय तो अनटचेबिलिटी कानून की जरूरत नहीं है और न चाइल्ड मैरिज एक्ट की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, समाज अपने आप कर ले। इसलिये जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिहाज़ से सोशियल लेजिस्लेशन बनाना मुनासिब है, बेजा नहीं है। यह जरूर है कि इसको कामयाब बनाने के लिये, इसको इफेक्टिव बनाने के लिये समाज का सहयोग बहुत जरूरी होता है। क्योंकि खाली कानून बना दिया और समाज का सहयोग न हो तो ज्यादा वक्त लगेगा, उसको कार्यान्वित करने में। अगर समाज का सहोयोग होता है तो कानून जल्दी अमल में आ जाता है और जल्दी फैलता है, वह युटीलिटी रखता है। ऐसी बात नहीं है कि कानून बनाना बेकार है क्योंकि वह पब्लिक ओपिनियन क्रियेट करता है। शारदा एक्ट के लिये जिक्र किया गया है कि वह बेकार सा पड़ा रहा, अब भी होती हैं बच्चों की शादियां, यह सही है लेकिन मेरा डेफीनिट मानना है कि शारदा एक्ट से कुछ परसेन्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है, पब्लिक ओपिनियन क्रियेट हुई है। बहुत से लोग डर की वजह से बच्चों की शादियां नहीं करते हैं, बहुत से इसे उपयोगी समझ कर नहीं करते हैं। इस प्रकार शारदा एक्ट बहुत सर्विस का है। इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, लोगों पर उसका असर पड़ा है, समाज में वातावरण बना है, वह मुफीद साबित हुआ है। अब यह बिल हो सकता है कि सेन्ट परसेन्ट इफेक्टिव नहीं हो, जब तक कि समाज सहयोग न दे लेकिन इससे समाज में वातावरण बनेगा और मार्ग प्रदर्शन में यह हैल्प-फुल होगा, यह मेरी मान्यता है। यह कहना कि यह बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यह सोशियल लेजिस्लेशन है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि यह नामुनासिब है और आज के युग में समाज सम्बन्धी बिल बनाने पड़ते हैं और बनाने चाहिए, यह मेरी मान्यता है और मैं चाहता हूं कि उनके जरिये समाज की सेवा हो और जो ऑब्जेक्टिव्ज़ हैं। उनको अचीव करने में यह हैल्प-फुल हो।

तीसरी बात आई थी, कई प्रकार की बातें आई बिल के प्रोविजन्स के बारे में, यह बात होनी चाहिए, यह नहीं होनी चाहिए। कुछ डेफीनिशन्स के बारे में कहा। मैं उनके बारे में, उनमें से हर एक के बारे में निवेदन कर सकता हूं कि किस दृष्टि से किसको रखा गया है। लेकिन मेरी खुद की फीलिंग है कि यह बिल इस प्रकार का है, जिसे प्रवर समिति में डिस्कस कर लिया जाय तो मुनासिब होगा, कोई बेजा बात नहीं होगी। प्रवर समिति में भेजने की बात मैं मानता हूं। तो फिर हर एक की डिटेल में जाकर मैं निवेदन करूं कि यह रखा जाय या न रखा जाय, इस प्रकार सदन का वक्त भी जाया होगा। मेरी खुद की इच्छा थी कि यह उपयोगी बिल है, यह जल्दी पास हो जाय तो अच्छा है। इसमें जो भी संशोधन आप देना चाहें, वह दे देते और उन सबको डिस्कस करके किसी परिणाम पर पहुँच जाते। वैसे कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर ज्यादा लोगों की राय है कि यह प्रवर समिति में जाय। प्रवर समिति में भेजने के लिए मैं सहमत हूं; इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

# Page No.87



श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

( स्वीकृत )

राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया ।

( विराम )

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. मिनिस्टर-इन-चार्ज
२. श्री जयचन्द मोहिल
३. डॉ० बहादुरसिंह
४. श्री चन्दनमल वैद
५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
६. श्री बी० एन० जोशी
७. डॉ० चन्द्रकला
८. श्री मानकचन्द कोठारी
९. श्री वली मोहम्मद
१०. श्री धर्मपाल पंवार
११. श्रीमती प्रभा मिश्रा
१२. श्री काना रेगर
१३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१४. श्री लादूराम सुलाणिया
१५. श्री किशनाराम
१६. श्री प्रभुलाल
१७. श्री नाथीसिंह
१८. श्री बालमुकुन्द
१९. श्री वीराराम
२०. श्री हरिप्रसाद यादव
२१. श्री सम्पतराज जैन

यह प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी ।

( स्वीकृत )

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

## राजस्थान बन्दी विधेयक, १९६०

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बन्दी विधेयक, १९६० विचारार्थ लिया जाय ।

डॉ० चन्द्रकला ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बन्दी विधेयक, १९६० के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में पेश करे। वैसे देखने में यह बहुत छोटा सा विधेयक है, जिसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव थोड़ा सा अटपटा लग भी सकता है कि इसको प्रवर समिति में भेजने की क्या आवश्यकता है लेकिन जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों के विवरण में बताया गया है कि इस विधेयक के द्वारा राजस्थान में चालू बन्दियों के

( डॉ० चन्द्रकला )

सम्बन्ध में जो कानून और कायदे हैं, उनका एकीकरण और समैकन किया जायगा। हम सब जानते हैं कि पुनर्गठित राजस्थान के पहले यहां पर स्वतंत्र इकाई वाली अनेक रियासतें थीं। हरएक के अपने बन्दी गृहों के, बन्दियों के सम्बन्ध में कानून और कायदे थे, उनका पालन होता था और जब पुनर्गठित राजस्थान राज्य बन गया तो मेरा ख्याल है कि अलग अलग हिस्सों में उसी तरह कानून और कायदे चले आ रहे थे। अब हमारी सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि इन सब कानून-कायदों को एक रूप दिया जाय, उनमें एक समानता लाई जाय और फिर सारे प्रान्त के बन्दी स्थानों पर एक ही कानून लागू हो, इसलिए यह कानून बनाया गया। इसके साथ ही यह बताया गया है कि केन्द्रीय विधान मंडल प्रिज़नर्स एक्ट, १९०० के अनुसार यह तैयार किया गया है। तीसरी बात यह बताई है कि इस विधेयक के द्वारा बन्दियों की विशेष कारणों से विशेष रिहाई और उनके सम्बन्ध में जितनी सामान्य बातें हैं, उनके सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। हम सब जानते हैं कि हम समाजवादी समाज की कल्पना या समाजवादी समाज के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, तो हम बन्दियों के मामले में उस दृष्टिकोण को भूल नहीं सकते हैं, उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते। हमको बन्दियों के मामलों को भी इस तरह लेकर चलना पड़ेगा। यह एक अवसर है जब हम इस कानून का एकीकरण करने जा रहे हैं, समैकन करने जा रहे हैं, उस समय हम जरा ठहर करके, विचार करके ऐसा प्रावधन करें जिससे बन्दियों को महसूस हो कि हम स्वतंत्र देश, प्रजातंत्र के नागरिक हैं। वैसे तो हमारी सरकार ने बन्दियों के मामलों में बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाये हैं और यहां जयपुर के समीप ही "हमारा गांव" की रचना की है। "हमारा गांव" की जो कार्यप्रणाली है वह एक निश्चित ही उचित कदम है। इसके पहले पिछले साल ही सरकार ने एक आयोजन बन्दियों के लिये यहां किया था। उसमें हमारे यहां के बन्दी ही नहीं बल्कि दूसरी जेलों से भी बन्दी यहां आये और वहां पर उनकी संस्कृति व विचारों का आदान-प्रदान हुआ था। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बन्दियों को भी उनकी वही पुरानी व्यवस्था नहीं रख कर हमें उनको एक नई व्यवस्था देनी होगी, नई बातें देनी होगी जिससे बन्दियों के जीवन में भी सुधार हो, क्योंकि बन्दीगृह केवल सजा के लिये ही नहीं होते हैं। बन्दीगृहों के द्वारा हम उन बन्दियों की आदतों में भी सुधार करते हैं। हम किसी भी बन्दी को एक बार बन्दीगृह में बन्द रख कर यह आशा करते हैं कि जब वह वहां से बाहर निकले तो वह एक सभ्य नागरिक बन कर निकले और आगे चल कर एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाला हो सके। इस दृष्टि से बन्दीगृह के दूसरे कायदे-कानून बनाये गये हैं। बन्दियों को इसमें रखी गई धारा के अनुसार पहले जेल गृह के अधिकारी रखेंगे, फिर वहां से हटा कर उनको कहीं पर ले जाना होगा आदि। इन सभी बातों के लिये कायदे-कानून हैं जो चल रहे होंगे उनका संशोधन किया है। लेकिन इसमें पागल बन्दियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जावे, यह बताया गया है। आज भी पागल या रोगी बन्दी होते हैं उनके उपचार के लिये

( डॉ० चन्द्रकला )

औषधियों आदि की व्यवस्था होती है। पागलों के लिये हमने प्रावधान किया है, यह तो अच्छी बात है। इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह एक बहुत अच्छा विधेयक है और जिस बन्दी जीवन के लिये हमारा कम से कम ध्यान जाता है जिनके लिये हम बहुत कम सोचते हैं, उनके लिये हमारी सरकार का पूरा ध्यान है। इसलिये यह विधेयक पारित हो, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन राज्य व्यापी अलग अलग जेलों के नियमों का एकीकरण करना है और केन्द्रीय एक्ट, १९०० का है उसको भी आपने आगे जोड़ा है। इसलिये राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम इसकी ओर देख कर अच्छा बनावें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी दृष्टिकोण से मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जिससे कोई खामी होगी वह पूरी हो जाएगी। मैं समझती हूं कि माननीय मन्त्री मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

ऑनरेबल मिनिस्टर।

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजने के बारे में है मैं यह कहूँ कि मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं, कारण कि यह बिल ही ऐसा है जिसको सोच समझ कर बनाया गया है और सेन्टर के बिल पर आधारित है। यह बिल पहले भी लागू है। उसके बाद आबू, अजमेर और सुनेल राजस्थान में मर्ज हुए। इसमें सेन्टर के और और भी हमने कुछ प्रोविज़न रखे हैं; जैसे किसी खास मौके पर और पेरोल पर छोड़ने का हमने प्रोवीजन डाला है। मैं समझता हूं कि आप इस पर आग्रह नहीं करेंगी। बिल पर हम आज भी अमल कर रहे हैं। सिर्फ आबू, अजमेर और सुनेल की वजह से हमने यह बिल आपके सामने रखा है। यह बिल जो भी है वह बन्दियों के हित में है। इसलिये इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये। इसको पास किया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विथ्ड्रॉ कर रही हैं ?

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० चन्द्रकला ने रखा है कि राजस्थान बन्दी विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

# Page No.90



डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए ?

( स्वीकृत )

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २ से ८ तक विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

क्लॉजेज़ २ से ८ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ९, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी ( फुलेरा ) : उपाध्यक्ष महोदय, In clause 9, sub-clause (1), I move the amendment that the words "may, by......mind" be replaced by the words "shall get the prisoner examined medically and on Doctor's advice".

Clause 9:-"Lunatic prisoners how to be dealt with", यानि इस क्लॉज़ में ल्युनेटिक प्रिज़नर्स ( Lunatic Prisoners ) के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जावेगा; इसके लिये इसमें लिखा है "Where it appears to the State Government that any person detaind or imprisoned under any order or sentence of any Court is of unsound mind, the State Government may, by a warrant setting forth the grounds of belief that the person is of unsound mind" उसको replace करना चाहता हूँ by the following:— "...the State Government shall get the prisoner examined medically and on Doctor's advice". एक तो यह है।

दूसरा सब क्लॉज़ (२) में है Between the words "Government" and "that" insert the words "on medical report". वहां पर मैं चाहता हूं "Where it appears to the State Government on medical report that the prisoner has become of sound mind".

श्री उपाध्यक्ष : Is the 'medical report' not implied in the clause ?

श्री पी० के० चौधरी : It is missing here. I want it to be made clear. इनके जो वर्डिंग्ज़ हैं "Where it appears to the State Government" यह सब क्लॉज़ ( १ ) में है। ( २ ) में भी है : "Where it appears to them that the person has become of sound mind...' और सेकिन्ड में यह है कि he will be withdrawn from the lunatic asylum तो वहां से विथड्रॉ कर लेंगे। मैं समझता हूं कि मैंने जो अमेन्डमेंट रखा है उसमें इतना ही रखना चाहता हूं "on medical advice"; यह नहीं है। हो सकता है कि किसी प्रिज़नर को जिसको सजा हो चुकी है आप जेल में नहीं रखना चाहते। उसको सजा तो हो गई है वह तो होगी मगर आप उसको जेल में रखना नहीं चाहते ताकि वह रिगरस इम्प्रिज़नमेंट से बच जाए। इसके लिये इसमें एग्ज़िक्युटिव के डिस्क्रीशन पर रखा है। इसमें यह नहीं है कि किन ग्राउन्ड्स पर, ओन वाट बेसिस। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कह दिया या

( श्री पी. के. चौधरी )

पुलिस के किसी अधिकारी ने कह दिया that he is of unsound mind जो पागल हो गया है उसको पागलखाने भेज दें और जब वह ठीक हो जावे, उसको इज़ीली आप वापिस बुला लेंगे । "Where it appears to the State Government on getting the prisoner medically examined, and on Doctor's advice alone, he should be sent to the lunatic asylum.' 'और दूसरी बात उसको वहां से (पागलखाने से) विथड्रॉ करने की है। जब वह वहां रहता है तो उसके लिये जब मुश्तकिल रिपोर्ट हो medical report that he is of sound mind तभी जाकर उसको वहां से विथ्ड्रॉ करना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह अमेन्डमेंट बिल्कुल सीधा है । इस क्लॉज़ की जो मंशा है वह साफ है । मैं समझता हूँ माननीय मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वे इसको स्वीकार करेंगे ।

**एक माननीय सदस्य :** कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री : मेडीकल रिपोर्ट की बात कह रहे थे। रिज़ल्ट तो ठीक है। प्रोविज़न यहां कर दिया है। ल्युनेसी एक्ट का प्रोविज़न इसमें लगा हुआ है। मेडीकल एक्ज़ामिनेशन होगा उसमें दिया जावेगा।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : कहां लागू किया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** इसमें है। 9 (4) :—"To every person who is kept in a lunatic asylum under sub-section (1) after the expiration of the term for which he was ordered or sentenced to be detained or imprisoned, the provisions of the Indian Lunacy Act, 1912......shall apply." आप कह रहे हैं वह बात इसमें आ जाती है।

**श्री उपाध्यक्ष :** That cures the defect. You are withdrawing then ?

**श्री पी० के० चौधरी :** I beg leave of the House to withdraw my amendments.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ के अन्दर जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तावित किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

( स्वीकृत )

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी० के० चौधरी :** I withdraw my amendments.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६ से १४ तक विधेयक के अंग बनें ?

( स्वीकृत )

क्लॉजेज़ ६ से १४ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

( विराम )

क्लॉज़, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि ।

( विराम )

Page No.92



( श्री उपाध्यक्ष )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें जांय।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय ?

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रिज़नर्स बिल, १९६० को पारित किया जाय ?

( स्वीकृत )

राजस्थान प्रिज़नर्स बिल, १९६० पारित किया गया।

( विराम )

## राजस्थान पेन्शन ( संशोधन ) विधेयक १९६०

( विचार–विमर्श एवं पारित )

Shri Hari Bhau Upadhyaya to move his motion regarding Rajasthan Pensions ( Amendment ) Bill, 1960.

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : It was not in the today's programme, Sir. According to the programme it was not there and we have not come prepared.

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर ) : It is. I think you have not read the programme.

**श्री उपाध्यक्ष** : So the information is that it is.

**श्री पी. के. चौधरी** : No, Sir, here is the Business Advisory Committee's Report which was approved on 23rd. and it lays down that......

**श्री उपाध्यक्ष** : I understand the objection, Mr. Chaudhary, and I allow this to be taken up.

**श्री पी. के. चौधरी** : But, Sir, even if the objection is ruled out, we have not come prepared for it. I have not even brought the copy of the Bill with me.

**श्री उपाध्यक्ष** : Is it not on the list of business ? That gives an idea to the Hon'ble Member.

**श्री पी. के. चौधरी** : I strongly object to it, Sir. If the office circulates any list of Businese, we are not bound by it. Otherwise the Business Advisory Committee should be abolished. We are not bound by the office circulars. The Secretariat may circulate anything they like.

**श्री उपाध्यक्ष** : But once it has been allowed to be taken, I think.

**श्री पी. के. चौधरी** : You can adjourn the House. Yesterday also when there was no other business, the House was adjourned. I strongly protest to it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Well, there is no other alternative before me except to allow it.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई ( उप-मंत्री, शिक्षा ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पेन्शन्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पेन्शनर्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

( स्वीकृत )

राजस्थान पेन्शन (अमेंडमेंट) बिल, १६६० विचारार्थ लिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : I move that this Bill be referred to a Select Committee, Sir, and the reason for it is that none of the Members has come prepared for this Bill.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This cannot be a reason.

श्री पी० के० चौधरी : It is one of the very valid reasons. None of the Members has come prepared and no one has got the Bill before him. We are passing a Bill without understanding it?

श्री उपाध्यक्ष : That will do. You have moved the resolution.

श्री पी. के. चौधरी : And now I will speak on it.

श्री उपाध्यक्ष : But the Chair has to see whether it can be allowed.

श्री पी० के० चौधरी : The motion for Select Committee can come at any time. It is said in the Rules. Rule 67 :—

"67. Discussion of principles of Bill- (1) On the day on which any motion referred to in rule 66 is made or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

(2) At this stage no amendments to the Bill may be moved, but :—

(a) if the member incharge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereof by a date to be specified in the motion;"

So, I have got a right to move this amendment. Of course, you being on the Chair, you have every right to rule it out, but the Members, according to our Rules of Procedure, have got a right to make a motion on the floor of the House for referring the Bill to the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : The second question before me is whether such motion can be made before the Bill is taken into consideration or after.

श्री पी. के. चौधरी : It has been very clearly laid down in the Rules of the House that it can be made at any stage after the mover of the Bill has......

श्री उपाध्यक्ष : The question is whether after the Bill has been taken into consideratian, it can be moved;

श्री पी. के. चौधरी : Motion for taking the Bill into consideration was made, and after that this motion can be moved. The motion for consideration was there.

श्री उपाध्यक्ष : You mean to say that such a motion can be made even after the Bill has been taken into consideration ?

श्री पी. के. चौधरी : The point is that motion forconsideration has been made and as soon as that motion is made I can move that it be referred to the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : Even after the motion for consideration has been adopted ?

श्री पी. के. चौधरी : It has not been adopted.

श्री उपाध्यक्ष : It has been adopted. I have put the question and the House has passed it. I think, that stage is lost. Therefore, this motion pertaining to the referring of the Bill to the Select Committee cannot be made.

श्री पी. के. चौधरी : But let the Bill be passed. The House is quite blank. I can challenge if any Member of the House has got a copy of the Bill. It will be laying a very bad precedent.

श्री उपाध्यक्ष : We cannot go back from the position that we have taken and I am supported in that position by our previous rulings also.

श्री पी. के. चौधरी : We may take a position, but if we find that really there is some difficulty, the position can be relaxed. The Chair can make it.

श्री उपाध्यक्ष : That is on a different footing whether we can relax the position or not.

I would like to know from the Hon'ble Deputy Minister whether he would like to agree to the relaxation or not ? So far as the legal and Constitutional position is concerned, it is very clear to me.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री, शिक्षा) : No, Sir.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इसके उद्देश्यों में साफ है यह छोटा सा और मामूली सा अमेंडमेंट बिल है। पेन्शनर्स एक्ट की दफा आठ और नौ में प्रोविज़न करना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा कानून नहीं था कि जिससे कि गवर्नमेंट की बकाया के लिये पेन्शनर्स की प्रोपर्टी का अटेचमेन्ट किया जा सके।

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

दफा ९ कहती है उसके अनुसार अपने पेन्शन के लिये किसी का असाइनमेन्ट नहीं कर सकते। इसका नतीजा यह हुआ कि पेन्शन प्राप्त करने के पहले यह लाजिमी होता है कि जितने भी डिपार्टमेन्ट्स में उन्होंने काम किया है उतने ही डिपार्टमेन्ट्स से इस प्रकार का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इसमें किसी प्रकार का बकाया नहीं है; जब तक वह इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता उसका नतीजा यह होता है कि पेन्शन के केसेज़ तय करने में कई साल गुजर जाते हैं, ऐसे कई केसेज़ में हुआ है। इससे जिस उद्देश्य के लिये पेन्शन दी जाती है वह उद्देश्य खुद ही फेल हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी होती है कि किसी में सरकारी रकम बकाया रह जाती है, किसी की गल्ती के कारण कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जिससे वह वसूल की जा सकती हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : Mr. Deputy Minister, we are not going into the details of the Bill. I only wanted to know whether you were prepared for the relaxation?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : No, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : Then you can move a motion for passing of the Bill.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पेन्शन ( संशोधन ) विधेयक, १९६० को पारित किया जाय।

( स्वीकृत )

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( सीकर ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में और जितना जल्दी यह संशोधन पास करवाया जा रहा है हालांकि इसका विधेयक हमारे सामने नहीं है फिर भी जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि विभाग को कई दिक्कतें आती हैं यदि विभाग का कोई एरियर उसमें रह जाता है तो उसको वसूल करने में। आज ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत उसकी पेन्शन में से वह डिडक्ट किया जा सके। राज्य सरकार इस सम्बन्धी विधेयक जल्दी में लेकर आई है। वास्तव में स्थिति इस प्रकार की है कि पेन्शनर्स के जो केसेज़ हैं उनमें राज्य सरकार किस प्रकार से ढिलाई बरतती है। उसके बारे में तो किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। इस प्रकार के भी कई मामलात हैं इस विभाग के पास जिनको छः, छः वर्ष होने पर भी पेन्शन नहीं मिल पाई है जिनको नौकरी छोड़े हुए, दरख्वास्त दिये हुए छः साल का अर्सा गुज़र गया उसके लिये कोई कानून नहीं कि उनके पेन्शन का मामला सुलट जाय। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पेन्शन को नहीं ले सके हैं और मर भी गये हैं। उनके मरने के बाद जो क्लेम किया हुआ है कि किस व्यक्ति को उसकी पेन्शन मिलेगी, यह भी कुछ तय नहीं है। जिनको छः साल हो गये दरख्वास्त दिये, जिनका पेन्शन का राइट है लेकिन आज तक उनकी पेन्शन को स्वीकार नहीं किया जाता। पेन्शन का जो कानून है वह अधूरा है, लेकिन जहां राज्य सरकार को जरूरत पड़ी अपने पैसे किस प्रकार से प्राप्त हों; उसके लिये संशोधन ले आते हैं। लेकिन जिनको आज छः-सात साल का अर्सा हो गया उनको पेन्शन नहीं मिलती

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

है। वे राज्य सरकार से किस प्रकार वसूल कर सकते हैं इसके लिये कोई गुंजाइश नहीं है। ये मामलात सीकर ठिकाने के हैं जब कि जागीरें जून,५४ में रिज्यूम हो चुकी थीं; आज १६६० है। छः वर्ष का समय हो गया लेकिन १००, १५० ऐसे पेन्शन के मामले हैं जिनको अभी तक नहीं सुलटाया गया। राज्य सरकार को लिखते हैं तो वह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को जाता है। उसके बाद ए० जी० के यहां कागजात जाते हैं। इस तरह से उनके मामले इन तीनों विभागों के बीच चल रहे हैं। राज्य सरकार के लिये यह कोई अवधि मुकर्रर नहीं है कि इतने अर्से में उनको पेन्शन दे दी जायगी। दूसरी तरफ अपने पैसे किसी में बकाया हैं तो उनको वसूल करने के लिये सरकार कहती है कि यह तो मामूली सा अमेंडमेंट है। ऐसे एक–दो केसेज़ सरकार के सामने आये होंगे बकाया के तो इस हालत में सरकार अपने हाथ में इस प्रकार का हथियार रखना चाहती है कि जिससे राज्य सरकार की बकाया न डूबे। लेकिन उन लोगों का राज्य सरकार को ख्याल नहीं जिनको अभी पेन्शन मिली नहीं और उन लोगों को जिनको वेतन १२ रुपया मिलता था जिनकी पेन्शन मुश्किल से कुछ रुपयों में बनती है।

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):** On a Point of Order, Sir. I refer you to Rule 216. "216. Notification of Allocation of Time Order-The allocation of time in respect of Bills and other business as approved by the House shall take effect as if it were an Order of the House and shall be notified in the Bulletin."

Then Rule 217 :—

"217. Disposal of outstanding matters at the appointed hour.—At the appointed hour, in accordance with the Allocation of Time Order for the completion of a particular stage of a Bill or other business, the Speaker shall forth with put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or other business."

Then Rule 218 :—

"218. Variation in the Allocation of Time Order—No variation in the allocation of Time Order shall be made except on a motion made, with the consent of the Speaker, and accepted by the House:

Provided that the Speaker may, after taking the sense of the House, increase the time, not exceeding one hour, without any motion being moved."

It shows that it is mandatory to follow the time allocation done by the Business Advisory Committee, and if at all any change is to be made in it then a motion has to be made in the House with the consent of the Speaker and if the House accepts that motion, only then and then the variation can be made. So the Rules are very clear about it and it is quite specific that even if the Speaker wants a change,

# Page No.97



( श्री पी. के. चौधरी )

he will have to move a motion an then vary the time allocation.

We are very serious abut the time allocated by the Business Advisory Committee, and in the past also we have stuck to it. We have always kept by the time table.

**श्री उपाध्यक्ष :** The question is not pertaining to allocation of time. It is allocation of business.

**श्री पी० के० चौधरी :** Allocation of business is also allocation of time. I shall refer you to Rule 214:—

"214. Report of Committee.—The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report."

Then again Rule 215:—

"215. Motion moved in the House on the Report—At any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that House agrees or agrees with amendments or disagreess with the report."

We have adopted the motion and agreed with the report of the Business Advisory Committee in the House; and once it has been adopted by the House, I don't think any individual can make any alterations to it without getting prior consent of your Honour and the House, and as it was not done, we ignored the list circulated by the Secretariat and never came prepared for it. In the past, whenever we have felt that we are not able to keep to the time table or that any changes are to be made in it, then a motion has been made in this House and only when the House has approved that motion, those alterations have been carried out. So when there was no motion in this House to amend the report of the Business Advisory Committee, I took no cognizance of the circular of the Secretariat which is quite unauthorised and unparliamentary, Sir.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** ( उप-मंत्री), शिक्षा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रूल्स २१६, २१७ और २१८ पढ़े उनकी मंशा बिल्कुल दूसरी है। इसमें यह कहा गया है कि जो बिज़नेस हाउस में बिल के लिये मुकर्रर किया गया है वह ट्रान्जेक्ट होगा। इसमें २४ तारीख के लिये बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने तय किया है कि दो बिल लिये जावेंगे। उनको छोड़ कर तीसरा लिया जाता तो उस हालत में रूल्स का वायोलशन होता है। पर जब दो बिल्स ले लिये गये तो फिर इसमें कोई रूल्स की बाधा नहीं आती। इसको फिर सर्कुलेट भी किया जा चुका है।

**श्री उपाध्यक्ष :** Yes, Mr. Bhatnagar.

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : Sir, I want to darw your attention to Rule 28. "(1) A list of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

( श्री सोहनलाल भटनागर )

(2) Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the Speaker."

It is thus quite clear that when any particular item has been included in the list of Business, it can be taken. Hence it is correct, if this Bill is taken into consideration today.

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : पर सवाल तो यह है कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस एक्सेप्ट कर लेता है तो नया बिज़नेस शामिल हो सकता है क्या ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई**: प्रश्न यह नहीं है कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी ने बिज़नेस हमारे सामने रखा उसको पूरा कर दिया। इसके बाद में आज बिज़नेस लिस्ट में दिया हुआ है। इसको पूरा करने में कोई बाधा नहीं है इन नियमों में।

**श्री पी० के० चौधरी** : This Rule 28 only says that the list of business shall be prepared and circulated by the Secretary. This list of business means that business which has been approved by the Business Advisory Committee. The Secretary cannot give us business of his own accord. I still maintain that the Secretary connot arrogate to himself the rights of Business Advisory Committee when the report has been approved by the House. We will have to snub him.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have very rightly followed the Point of Order raised by the Hon'ble Member. My observations are that the stage at which this objection ought to have been made is lost and, therefore, in the light of Rule 28 and Rule 22 there is nothing to prevent us from going on with this Bill. So I rule out the Point of order.

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** (चांदीकुई) : On a Point of Order, Sir, I move under Rule 67 that the Bill be referred to a Select Committee.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have given my observations already. I think the Hon'ble Member was absent at that time.

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** : No, Sir, I was not absent at that time.

**श्री उपाध्यक्ष** : So for as the motion about reference of the Bill to the Select Committee is concerned, I have given my observations and these observations are also supported by the previous rulings.

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** : On a Point of Order, Sir, I wish to draw your attention to the phraseology of the Rule 67, and this Rule may please be re-examined in the light of this phraseology.

**श्री उपाध्यक्ष** : What is your motion ?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : I move by way of an amendment that this Bill be referred to a Select Committee and this partciular motion can be made only after the House has moved for the consideration of the Bill. The Chair appeared to be labouring under the impression that this motion can be made after the motion for taking the Bill into consideration was made but before it was adopted. But I submit that it can be made only after the motion has been adopted by the House, because it has to come as an amendment and an amendment can only be made only after the Bill is taken into consideration.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have understood the implications of your point of order. As I have stated before, this point has been rightly and explicitly dealt with and there are clear observations of the Chair which has analysed all the pros and cons suggested by the Hon'ble Member and in view thereof I have not allowed the Point of Order raised on the same footing as that of Hon'ble Mr. Chaudhary. There fore, I am not going to take into consideration the objection raised now.

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** : On a Point of Information. Will the Chair very kindly enlighten me as to the previous rulings to which the Chair has referred ?

**श्री उपाध्यक्ष** : I will furnish to the Hon'ble Member a copy of the observations that have been given by the Chair at other times. Till then we will proceed on with the business. I am constraind to say that Hon'ble Members may go through it as this Point of Order has become something of a hinderance to me as well.

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** : On a Point of Order, Sir, I am constrained to make a submission for your kind consideration that this phraseology of Rule 67 does not at all admit of any other interpretation except the one which I am urging.

**श्री उपाध्यक्ष** : Mr. Joshi, you will excuse me, it is canvassing the observations of the Chair. I think if you go through the previous observations which have analysed all the implications raised by Hon'ble Member, you will be satisfied.

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, Hon'ble the Member.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार जिस ढंग से पेन्शन के मामलों में व्यवहार कर रही है वह ढिलाई का ढंग है। सन् ५७ में इस बारे में मैंने प्रश्न रखे थे और पूछा था कि राज्य सरकार के पास विभिन्न ठिकानों के पेन्शनों के कितने मामले बकाया पड़े हैं और ऐसे कितने हैं जो अब तक मर भी गये हैं। उस वक्त उत्तर दिया गया था कि इतनों

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को देना है और उनमें से इतने मर गये हैं। आज तीन साल बीत जाने पर भी उन केसों में कोई प्रगति नहीं हुई है। जो पोज़ीशन उस वक्त थी, वही आज है। वे मामले आज तक भी नहीं सुलटाये गये हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सरकार के पेन्शन के नियम अधूरे हैं और उनको सरकार को देखना चाहिये कि किस तरह से जल्दी से बिना अड़चन, किस प्रकार किनको पेन्शन देनी चाहिये और कितनी देनी चाहिये। इस आधार को लेकर सरकार चलती तो सरकार मामले जल्दी से निपटा सकती थी।

फिर आज सरकार पेन्शन भी बहुत कम देती है। आज जिस तरह के समाजवादी समाज की रचना का नारा हमारा सत्ताधारी दल लेकर चला है। हमारे पड़ौसी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले सरकार के सामने विचार रखा गया था कि सत्तर वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो उसको पेन्शन दी जानी चाहिये, चाहे वह फिर सरकार का नौकर हो या न हो। एक निश्चित उम्र पार करने के बाद हर नागरिक को पेन्शन मिले सरकार की तरफ से।

अभी जैसे भिक्षावृत्ति को रोकने के बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द भेजा है; इसी तरह इस बारे में भी आपको कुछ करना चाहिये। आज आवश्यक हो गया है कि सारे ऐसे नागरिकों को जो एक निश्चित उम्र पार कर गये हैं और जो अपनी जीविका अर्जन करने की स्थिति में नहीं हैं उनको पेन्शन मिले। आज सरकारी नौकरों का भविष्य सुरक्षित है लेकिन वे व्यक्ति जो नौकरी नहीं करते और रुपया, दो रुपया रोज कमाते थे पर अब उम्र की दृष्टि से उतना कमाने में भी असमर्थ हैं किस तरह अपने भविष्य को सुरक्षित समझ सकते हैं? आज आपने कानून बना बना कर सम्मिलित परिवार पद्धति को भी समाप्त कर दिया तो इसके नीचे लड़के मां-बापों से अलग हो जाते हैं तो फिर उनकी कौन रक्षा करेगा? तो उनके भरण-पोषण का भी जिम्मा सरकार को लेना चाहिये। अगर उनके भविष्य की गारन्टी नहीं होगी तो उनको भी भीख मांगनी पड़ेगी। एक तरफ आप भिक्षावृत्ति को रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसको बढ़ावा देते जा रहे हैं। उसका प्रबन्ध कर नहीं पाते। मैं मानता हूं, आप कहेंगे कि यह प्रसंग नहीं है। पर यह मेरा सुझाव है कि जिस तरह आपने भिक्षावृत्ति पर विचार किया इस तरह इस पर भी करें। आप एक उम्र निर्धारित कर दें कि ५क निश्चित उम्र के पार करने पर सबको पेन्शन मिल सके और पेन्शन इतनी हो कि उनके खाने और कपड़े के लिये पर्याप्त हो।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** (उप-मंत्री शिक्षा): माननीय सदस्य हैं वे शायद जो अमेंडमेंट प्रोपोज़ किया गया है उसको देख कर नहीं आये हैं या फिर दूसरी बात कह रहे हैं।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर**: वह तो मैं स्वयं ही कह रहा हूं।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई**: तो फिर ठीक है। पर मैं यह समझ रहा था कि आप बन्द कर देंगे। आगे चल कर आप कहते ही रहे इसलिये थोड़ा इन्तजार भी किया, पर मुझे आपको कहना ही पड़ा।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर**: प्रवर समिति में जिस तरह आपने....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : पेन्शन दी जावे या न दी जावे इस विषय पर, इस समय बहस नहीं हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो सरकारी बकाया है वह पेन्शन देने से पहले वसूल की जावे या बाद में ? इस बात के लिये अमेंडमेंट है। आप इसी विषय पर बोलें तो अच्छा है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : आपने कहा वह तो समझ में आ गया। पर सरकार के सामने एक दूसरा पक्ष भी मैं रखना चाहता हूं, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : माननीय सदस्य जिद्द कर रहे हैं। जब इस स्टेज पर आ गये हैं कि बिल को पारित किया जावे तो उस वक्त विषय से बाहर जाना ठीक नहीं है, उनको इसी विषय पर बोलना चाहिये। सुझाव इसी पर देने चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : The Hon'ble Membe should be relevant to the subject.

( ४ म. प. )

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बिल्कुल इस विषय के बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं तो माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दे रहा हूं। जहां हम कल्याणकारी समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं तो इस पर जब हम विचार करें तो आज इस पर विचार नहीं करें और इस पर केबीनेट में विचार किया जाये। आप दुर्भाग्य से तो केबीनेट के मेम्बर नहीं हैं पर हां, यह सुझाव आप केबीनेट तक भिजवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार पेन्शन आदि के लिए अच्छे कानून बनाये जिससे कि लोगों को भीख मांगने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े और गृहमन्त्रीजी उनको पकड़ कर जेल में न डाल दें। वैसे जो सरकारी ड्यूज़ आप वसूल करना चाहें उसके लिए मेरा कोई एतराज़ नहीं है। वह तो सरकारी ड्यूज़ हैं और वसूल होने ही चाहिए लेकिन अब तक जो राज्य सरकार की गल्तियां होती आई हैं और कमियां होती आई हैं तो उनको भी दूर करने के लिए राज्य सरकार को निश्चित रूप से नियम बनाने चाहिए जिससे कि जो लोग तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ दूर हो सके। ऐसा मेरा प्रस्ताव है।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आज इस प्रकार जल्दबाजी में हम इस बिल को पास कर रहे हैं। जो इसमें प्रावधान रखे हैं मैं चाहता था कि उसके ऊपर इस सदन के अन्दर काफी विचार-विमर्श होता। इस बिल को मैंने अभी देखा और उसके ऑब-जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स से मालूम होता है कि पेन्शन जो है और ग्रान्ट्स एण्ड अलाउन्सेज़ जिसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोवीडेन्ट फण्ड भी शरीक हो सकता है, ग्रेचुइटी भी शरीक हो सकती है और भी चीजें शरीक हो सकती हैं, यह सब उसमें आती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट एटेच कर सके यह प्रावधान इसमें लाया जा रहा है। आया, एक फण्डामेंटल इश्यू रेज़ होता है प्रोवीडेन्ट फण्ड का प्रावधान है, ग्रेच्युइटी का प्रावधान है। It does not replace the provident fund यह प्रोवीडेन्ट फण्ड का, पेन्शन का या ग्रेचुइटी का प्रावधान गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए रखा गया है और वह इसलिए रखा

Page No.102



( श्री प. के. चौधरी )

गया है कि रिटायरमेंट के बाद वह अपना काम चलाता रहे। इसलिए नहीं रखा कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट जब नौकरी में रहता है तो उसको उसमें से कुछ फायदा हो। लेकिन जब गवर्नमेंट सर्वेन्ट अपना पैसा उड़ा देता है, इधर उधर खर्च कर देता है; when he spends beyond his means, तो क्या देखा गया है कि after his death his family यानी उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, वे बगैर सहारे के हो जाते थे and they used to lend into lerch तो इस हालत को सुधारने के लिए यह जो प्रोवीडेन्ट फण्ड, पेन्शन, ग्रेचुइटी का प्रावधान किया गया है और उसको सब स्टेट्स के अन्दर, सभी जगह पर अटेचमेंट के कानून को इसलिए ही रखा है कि for the omissions and commissions of the Government servant during his life time his family members may not lerch इसके लिए इसमें प्रावधान रखा। अब हम उसके रिटायर होने के बाद उसका जो एक्चुअल प्रोवीडेन्ट फण्ड है, we have imposed on him compulsory, I should say, economy during his life time वह सारा पैसा खर्च नहीं कर दे जो तनख्वाह मिलती है, उसको इधर उधर खर्च नहीं कर दे कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रख सके इसके लिए पेन्शन, ग्रेचुइटी और प्रोवीडेन्ट फण्ड का प्रावधान किया गया है। इसलिए हम जो कोई भी कानून बनाते हैं, मनी लैंडिंग का कानून बनता है तो यह जो ग्रेचुइटी, प्रोवीडेन्ट

( ४. ३ म. प. )

( श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन )

फण्ड. पेन्शन आदि हैं उनको हमने अटेचमेंट से एग्ज़म्पट रखा है। इसलिए नहीं रखा कि ऑन अकाउन्ट ऑफ दी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स; उस गवर्नमेंट सर्वेन्ट को तकलीफ नहीं हो, उसका अटेचमेंट न हो इसलिए नहीं बल्कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी इन्कम को लौस हो जाती है after the retifrment the Government servant looses his income; अब उसकी इन्कम लौस होने के बाद कानून में प्रावधान बनाया है कि whatever provident it may be कितना भी खर्चीला हो, शराब पीता हो, रण्डीबाजी करता हो, सारा पैसा उड़ाता हो लेकिन उसके बाद में यह प्रावधान रखा जाये कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का प्रोवीडेन्ट फण्ड होगा जिससे कि उसके फैमिली मेम्बर्स की सिक्योरिटी रहेगी जब कि उसकी डेथ हो जायेगी। इसलिए जो मनी लेन्डिंग का कानून है सब तरह के अटेचमेंट से उसको बरी रखा गया था। लेकिन यह बिल लाकर हम गवर्नमेंट ड्यूज़ वसूल करने के लिए अटेचमेंट करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट ड्यूज़ की रिकवरी पहले क्यों नहीं करते। उसके रिटायर होने के पहले आपको रिकवरी करनी चाहिए। आपने उस समय तो रिकवरी की, नहीं पहले तो एरियर जमा होने दिया उस समय जो उनको इकोनॉमी करनी चाहिए, जो प्रिवेलेन्ट एक्सपेन्डीचर उसको करने चाहिए, वह करता है, उस समय तो आपने रिकवरी नहीं की; अब जब रिटायर हो गया तो २० साल का उसका एरियर है वह अब लेना चाहते हैं। उसके जितने पुराने ड्यूज़ रहते हैं उसको आप लेते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि जिस पर्पज़ को लेकर प्रोवीडेन्ट फण्ड, ग्रेचु-

( श्री पी. के. चौधरी )

इटी, पेन्शन आदि का प्रावधान रखा गया है, सारे कानून का जो फण्डामेन्टल है उसको यह कानून वायोलेट करता है। आप पेन्शन का और सब का इक्वीवेलेन्ट सब कुछ तय कर सकते हैं और तनख्वाह में जोड़कर why don't you pay him every month. जिसकी आज ५०० रुपये तनख्वाह है उसका प्रोवीडेन्ट फण्ड वगैरह का हिसाब लगाकर उसको ६०० रुपया क्यों नहीं पे करते ? Why we retained that Provident Fund and Gratuity ? वह इसलिए रखते हैं कि आज हम ६०० रुपया देंगे तो वह खर्च कर देगा। तो उस समय तो आपने उसको ५०० रुपया लेने दिया और उसका हाउस रेंट का एरियर जमा होने दिया। उसका मतलब यह हुआ कि he was spending that amout five hundred rupees when his income should have been 600/-. तो उसको तो आपने इस प्रकार खर्च होने दिया और उसके बाद में और उसको फैमिली पर अब हार्डशिप इस अमेंडमेंट के जरिये डालते हैं। मैं चाहता हूं, I want that the House should have thought over it. आपको इस तरह से बिल पास नहीं करना चाहिए कि जिसका असर सारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर पड़ेगा। जो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ हैं, जहां प्रोवीडेन्ट फण्ड स्कीम लागू की जा रही है, जितने कारखाने हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं उनमें प्रोवीडेन्ट फंड की स्कीम है लेकिन गवर्नमेंट इस प्रकार का कानून बना सकती है that a money lender cannot recover his money from the provident fund and the gratuity...वह क्यों नहीं कर सकते हैं। उसको भी करने की इजाजत देनी चाहिए। उसूलन, on principles the Government has no legs to oppose that argument. केवल एक मनीलेन्डर की तरफ से एजीटेशन हो, प्राइवेट इन्डस्ट्री की तरफ से एजीटेशन हो कि हम ग्रेचुइटी से, प्रोवीडेन्ट फंड से वसूल करेंगे on what face you have got to refuse that right. जो राइट आप खुद लेना चाहते हैं on the cost of the family members of the Government servant, उसके राइट को आप कैसे डिनाई करेंगे ; अगर ऐसा करते हैं तो आप ग्रेचुइटी, प्रोवीडेन्ट फंड और पेन्शन के जो फंडामेन्टल्स हैं उनको वाश आउट कर रहे हैं और यह बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी ने भी आज नहीं रखा था and the memberf of the House are not propared for this. इस तरह की जल्दबाजी में जो आप कानून पास करने जा रहे हैं उसके लिये मुझे शिकायत है और इसलिये यह इस तरह पास नहीं करना चाहिये। The Bill should again be taken into consideration and the opinion of the Select Committee should have been taken before passing it.

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : मैं राजस्थान पेंशन ( संशोधन ) विधेयक, १९६० जो विचारार्थ प्रस्तुत है उसके उद्देश्यों और कारणों के अन्तर्गत जो भावनाएं हैं....

**श्री सभापति (श्री आबिदअली) :** अब थर्ड रीडिंग के समय में।

**डॉ० चन्द्रकला :** जी हां, मैं इसका विरोध करती हूं।

Page No.104



**श्री सभापति** : परन्तु अब तो इसके पास करने के लिये कन्सीडर किया जा रहा है।

**डॉ० चन्द्रकला** : यह जो राजस्थान पेंशन ( संशोधन ) विधेयक पारित होने के लिये सदन में प्रस्तुत है उसकी भावना का मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूं। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है कि इसके द्वारा सरकार अपनी बकाया की वसूली जब तक एक प्रमाणपत्र उसको इस तरह का नहीं मिले कि इसमें कोई सरकारी रकम काबिल वसूली नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण पत्र यह प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसको पेंशन की रकम नहीं दी जायेगी। मैं नहीं समझती कि वह पेंशन पाने वाला अधिकारी, कल तक तो राज्य का बहुत आज्ञाकारी सेवक है और उसको सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की बातें सरकार देती हैं लेकिन जब उसका वह समय आता है कि वह काम से छुट्टी पर जाता है, अवकाश पर जाता है उस समय सरकार को याद आती है कि पहले इससे अपनी सारी बकाया वसूल कर लो। मैं समझती हूं कि यह इसलिये भी ठीक नहीं है कि जो अपनी सारी उम्र तक सरकार की सेवा करता है और वह आपके अधिकार में रहता है उसकी सारी आय व्यय पर आपका अधिकार रहता है उस समय तक बकाया के बारे में नहीं सोचा जाता और जब वह अवकाश पर जाता है उस समय पेंशन से वसूल करने की बात आती है।

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** ( उप-मन्त्री शिक्षा ) : यह प्रावधान तो पुराने एक्ट का है। जो अमेंडमेंट हमने अब पेश किया है वह दूसरा है।

**डॉ० चन्द्रकला** : चैयरमैन महोदय, मेरे हाथ में वह कापी है जो सदन में इस समय पारित होनी है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : माननीय सदस्या ने उसको भली प्रकार समझा नहीं है। सर्टिफिकेट तो पहले भी लेना पड़ता था उसके बगैर तो पेंशन भी नहीं मिलती।

**डॉ० चन्द्रकला** : जो दूसरे माननीय सदस्य समझ सके हैं वैसा ही मैं समझ सकी हूं। यदि दूसरी स्थिति है तो माननीय मन्त्री महोदय पढ़ कर बता दें।

**श्री सभापति** : बिल में जो संशोधन है उसको पढ़कर सुना दें। इस बिल में तो केवल एक ही क्लॉज़ है उसको पढ़कर आप बता दीजिये।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : थर्ड रीडिंग के समय इसको पढ़ना क्या ठीक होगा ? यह काफी लम्बा है, इसको पढ़ने में तो काफी समय लग जायेगा।

**डॉ० चन्द्रकला** : मुझे तो जो उद्देश्य और कारण दिये हुये हैं उनके बारे में कहना है। यह पूरा विधेयक एक क्लॉज़ का है और एक पेज का है लेकिन जो उद्देश्य तथा कारणों का विवरण है वह करीब आधे पेज में है। जो उद्देश्य और कारणों का विवरण है उसको देखकर, उसके अन्दर जो सरकार की भावना हमको मिली, उस भावना का मैं विरोध करती हूं। बिल तो पारित होने ही वाला है और यह होगा ही लेकिन मैं तो यह कहना चाहती हूं कि इसकी जो भावना है वह ठीक भावना प्रतीत नहीं होती पेंशनर्स के प्रति। जिनको पेंशन मिलेगी, तो क्या

# Page No.105



( डॉ० चन्द्रकला )

यह मतलब है कि सरकार अपनी बकाया को छोड़ देगी। अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि यह बात नहीं है। सदन में जो बिल पारित होना है उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जिस समय यह देखा जायेगा कि पेंशनर्स में इतनी रकम बकाया है तो वह रकम उसकी पेंशन में से काट ली जायेगी, सरकार की कोई रकम उसमें बकाया होगी तो वह उसमें से ले ली जायेगी । यदि इससे भिन्न कोई बात है तो माननीय मन्त्री महोदय बता दें कि इससे भिन्न क्या बात है, क्या बकाया रहने दिया जायेगा और पेंशन मंजूर कर दी जायेगी ? यदि ऐसी बात है तो फिर बिल को लाने की जरूरत ही क्या थी ? इसके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि इस विधेयक द्वारा पेंशन एक्ट में एक नये प्रावधान का सन्निवेश किये जाने का प्रस्ताव है ताकि उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उपर्युक्त उद्देश्य क्या हैं ? उपर्युक्त उद्देश्य यही है कि जो बकाया है उसको वसूल करने में पीछे उनको दिक्कत न आवे। जब सरकार को दिक्कत मालूम हुई तब ही तो यह विधेयक लाया गया है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : इस बात का उल्टा है।

**डॉ० चन्द्रकला** : उल्टा है तो वह क्या ? क्या बकाया है तो भी पेंशन हो जायेगी।

**श्री मोहरसिंह (चुरू)** : माननीय सभापति महोदय....

**डॉ० चन्द्रकला** : मैंने अभी पूरा नह किया।

**श्री सभापति** : अभी तक इनका भाषण जारी है।

**डॉ० चन्द्रकला** : स्पष्टीकरण के लिये मैं यह जानना चाहती हूं कि वह उल्टा क्या है ? उद्देश्यों और कारणों में जो बात कही गई है वह बात नहीं है तो फिर क्या है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : इसमें प्रावधान ऐसा है कि दफा ९ के अनुसार पेंशन होने के बाद अगर गवर्नमेंट की बकाया रह जाती है तो वह वसूल नहीं हो सकती; इसलिये पेंशन देने से पहले सरकार हमेशा एक सर्टिफिकेट मांगती है; नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगती है कि इनके खिलाफ किसी तरह की कोई रकम बकाया नहीं है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता पेंशन नहीं होती। नतीजा यह होता है कि पांच-सात साल लग जाते हैं यह जांच करने में ही कि कोई बकाया है या नहीं। इस बिल में यह प्रावधान करने जा रहे हैं कि बकाया हो तो भी बाद में वसूल हो सकता है और बकाया है इस बिना पर पेंशन नहीं रोक दी जाय, यही उद्देश्य है।

**श्री सभापति** : यानि इस बिल में यह व्यवस्था की जा रही है कि जो पेंशन तय करने में पांच-सात साल का समय जाता है, पेंशन केस को तय करने में, उसे डिसाइड करने के लिए ऑडिट में जाता है और ए. जी. और फाइनेंस में जाता है और इसमें जो लम्बा समय लग जाता है उसको रोकने के लिए ९ ए के द्वारा यह प्रोविजन किया जा रहा है कि अगर कोई ड्यू हो तो उसको बाद में वसूल किया जा सकता है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी हां,

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

जैसे किसी की सेलेरी ज्यादा ड्रॉ हो गई तो उसको बाद में वसूल किया जा सकता है। जब पेंशन सेंक्शन की जाती है तो उससे पहले सब जगह से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पी. डब्ल्यू. डी. का कि कोई एरियर नहीं है, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नतीजा यह होता है कि पांच चार साल लग जाते हैं। इसलिये यह उचित समझा गया कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि जिससे पेंशनर्स को कोई दिक्कत न हो, उनको घर बैठे पेंशन मिल जाय और उनमें किसी तरह की गवर्नमेंट की बकाया हो तो उसे बाद में वसूल कर लिया जाय। अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिससे एक बार पेंशन सेंक्शन होने के बाद अगर गवर्नमेंट की बकाया निकले तो उसे वसूल किया जा सके। जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं या कोई सिविल कोर्ट से अटेचमेंट करवा लें, ऐसी कोई बात नहीं है। दफा ८ में उन्हें सेफ गार्ड दिया हुआ है। यह तो सिर्फ गवर्नमेंट ड्यूज के लिये है।

डॉ० चन्द्रकला : गवर्नमेंट ड्यूज का फिर क्या होगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह तो पहले भी वसूल होता था, लेकिन पहले वसूल होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, उसके बाद में पेन्शन का केस तय होता था। अब इसका नतीजा यह होगा कि पेन्शन के पहले डिसाइड हो सकता है और रिकवरीज़ बाद में हो सकती हैं गवर्नमेंट ड्यूज़ अगर हैं तो। उस केस में एक भी बकाया अगर मालूम हो जाय तो पेन्शन में से वसूल कर सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या अब प्रमाणपत्र वगैरह की जरूरत नहीं है और पेन्शन बकाया हो जायगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए।

श्री सभापति : इसके शब्द जो हैं :-

"Notwithstanding anything contained in sections 8 and 9 the amounts of all established Government dues outstanding at the date of his retirement from Government service, if any, against a person in receipt of any pension or grant of money or allowance or entitled to receive a lump sum in lieu thereof under section 7 shall be charged upon such pension, grant, allowance or lump sum, as the case may be",...तो "Notwithstanding sections 8 & 9 का जो है उनको ध्यान में नहीं रखने हुए यह प्रावधान आये हैं। अब जो प्रिन्सिपल एक्ट है उसमें....

श्री पूनमचंद बिश्नोई : उसमें इस तरह से है :—

"8 Exemption of pension from attachment-No pension granted or continued by the State Government on political considerations or on account of past services or present infirmities or as a compassionate allowance...

And so money due or to become due on account of any such pension or allowance,

shall be liable to seizure, attachment or sequestration by process of

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

any court in the State, at the instance of a creditor, fora ny demand against the pensioner, or in satisfaction of a decree of order of any such court.

9. All assignments, agreements, orders, sales and securities of every kind made by the person entitled to any pension or allowance mentioned in section 8 in respect of any money not payable at or before the making thereof on account of such pension or allowance or for giving or assigning any future interest therein are full and void.'

**श्री सभापति :** तो यह इस तरह की बात के होते हुए भी इसके अन्दर जहां तक सर्टिफिकेट सिक्योर करने का प्रश्न है वह इसके अन्दर नहीं आया है।

**डॉ० चन्द्रकला :** सभापति महोदय,....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** इसीलिए मैंने अर्ज किया कि यह रूल्स का मामला है, यह एक्ट की धारा के अन्दर हो ऐसी बात नहीं है।

**डॉ० चन्द्रकला :** सभापति महोदय, उद्देश्यों और कारणों में जो लिखा हुआ है और माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है वह बात नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि पहले प्रमाण पत्र लेना पड़ता था उसमें देरी हो जाती थी या पेन्शनर की सद्इच्छा पर ही छोड़ा जाता था कि वह दे या नहीं। यह दोनों ही विकल्प अवांछनीय हैं और संतोषजनक तथा स्थायी उपाय के तौर पर यह उचित समझा गया है कि निश्चित सरकारी बकाया रकमों की वसूली पेन्शन से करने के लिए सरकार को सशक्त किया जाय। यानी पेन्शनर से वसूल करने वाली बात शुरू में ही लिख दी।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** पहले वाला कानून जो था उसमें सरकार पेन्शन देती ही नहीं थी जब तक कि वह बकाया का नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं लाता। इसलिए मौजूदा हालत में सब एरियर्स का पैसा पहले पे करना पड़ता है, क्लिअर करना पड़ता है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसके बाद में उसको पेन्शन मिलती है। अब जो परिवर्तन कर रहे हैं उसमें पेन्शन पहले हो सकती है, और एरियर्स बाद में वसूल किये जा सकते हैं। इसलिए लाजिमी नहीं होगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाय पेन्शन देने से पहले, क्योंकि पहले अटेचमेंट नहीं होता था इसलिए सोचते थे कि पेंशन कर दी तो बाद में वसूल होने का प्रश्न नहीं है पेन्शन में से। गवर्नमेंट सर्वेन्ट के पास में पैसा होता है और एक अच्छा व्यक्ति होता है और चाहे कि दे तो देता। इससे दोनों को नुकसान होता था।

**श्री सभापति :** जो रिक्विज़िट सर्टिफिकेट्स डिमान्ड किये जाते हैं पेन्शन एक्ट के अन्दर उनमें तो ऐसा क्लॉज़ नहीं रखा गई है कि जो रिक्विज़िट सर्टिफिकेट मांगा जाता था वह अब नहीं मांगा जायगा। सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा। आपका मतलब तो यह है कि सर्टिफिकेट फिर भी देना ही पड़ेगा। पहले से ज्यादा सेफ्टी मेजर को एडॉप्ट करके गवर्नमेंट ने अपना मनी सिक्योर कर लिया है।

# Page No.108



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** यह जो रख दिया था उससे दिक्कत होती थी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन में रख रहे हैं तो इस पोज़ीशन से पीछे थोड़े ही हट सकते हैं कि अब सर्टिफिकेट फिर भी देना लाजिमी होगा। जब वसूली की जाती है बाद में तो कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री सभापति :** The statement of objects and reasons is never published in the Act. वह एक्ट के साथ में पब्लिश नहीं होता है। वह बिल में ही रह जाता है।

**डॉ० चन्द्रकला :** सभापति महोदय, इसमें लिखा है, उससे साफ मालूम होता है कि गवर्नमेंट इस विधेयक से अधिकार चाहती है केवल। यह नहीं लिखा है कि पेन्शनर को क्या सुविधा मिलने वाली है। पहले गवर्नमेंट सारे ड्यूज़ को रिकवर करती थी और बाद में बिना बकाया का सर्टिफिकेट जारी होता था तब पेन्शन जारी होती थी। अब केवल यह है कि पेन्शन होगी और रकम वसूल करेगी। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब पेन्शनर आपके हाथ में चला जायगा। उसकी जो भावना है उसकी बात मैं कह रही थी वह यही कह रही थी कि सरकार ने अपनी बकाया रकम की वसूली का प्रबन्ध तो कर लिया लेकिन जो कर्मचारी है या जो अधिकारी पेन्शन पाने जा रहा है, उसके साथ में क्या सहानुभूति या क्या सुविधा आप दे रहे हैं। उसको कायदे की खाना पूरी तो सब कुछ करनी ही पड़ेगी। अन्तर केवल यह है कि पेन्शन की रकम जब तक सारी बकाया जो है वह वसूल नहीं हो जायगी तब तक नहीं मिलेगी और सीधे सरकार के खजाने में आकर जमा होती जायगी। इस विधेयक से यही फायदा होने वाला है। सरकारी बकाया वसूल होती रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना बकाया के भी बकाया निकल आती है, और पेन्शन पाने वाले आदमी को, यह मेरा अनुभव है, परेशानी होती है। मुझे मालूम है कि ऐसे ऐसे बिल आते हैं कि जाने कहां कहां का बिल आकर कर्मचारी के नाम पड़ेगा तो वह मुकदमा करता फिरेगा। यह आपने अपने लिए अच्छा कर लिया। मुझे इस बिल का विरोध तो नहीं करना चाहिए और न ही करूंगी, क्योंकि यह बिल तो पास ही होने वाला है, लेकिन इसके अन्तर्गत जो सरकार की भावना है....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा सुझाव देंगी तो बराबर ध्यान दिया जायगा। पास होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बिल्कुल वाजिब व कायदे की चीज़ है तो बिल को वापिस भी लिया जा सकता है, उसको एमेंड भी किया जा सकता है।

**श्री मोहरसिंह (चूरू) :** माननीय सभापति महोदय, सदन के सम्मुख इस वक्त पेन्शन एमेंडमेंट बिल....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** माननीय सदस्या ने यह फरमाया था कि सर्टिफिकेट लेने का कायदा है वह यों का यों ही रह जायगा। उसमें उसको दिक्कत होगी और सरकार अपना मनी क्लीअर कर लेगी। सर्टिफिकेट वाला मामला पहले वाले एक्ट में नहीं है। इसको एक्ट में डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूल्स में यह जरूर प्रोविज़न किया जायगा कि इसके

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

कारण एकतरफा ही सिर्फ फायदा हो, सरकार को ही और सर्टिफिकेट फिर भी हासिल करना पड़े। ऐसी व्यवस्था करेंगे रूल्स में कि जिससे सर्टिफिकेट उनको हासिल नहीं करना पड़े और जल्दी पेन्शन के केसेज़ डिसाइड हों।

श्री मोहरसिंह (चुरू): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख जो एक अमेंडमेंट बिल इस वक्त पेश किया गया है और वह करीबन पास होने की सूरत में सदन के सम्मुख है, मैं उसका विरोध करता हूं। असल में, सभापति महोदय, कुछ इस प्रकार का रिवाज सा कानून बनाते समय चल पड़ा है कि उस कानून का जिसके लिए कि अमेंडमेंट पेश किया जा रहा है अब तक फील्ड में क्या असर हुआ है, इसका करीबन कुछ रिव्यू किये बिना ही, अमेंडमेंट सदन के अन्दर पेश कर दिये जाते हैं। इस प्रकार के दो–तीन बिल, मैं लगातार देख रहा हूं, आये हैं। कल ही काश्तकारों के संबध में भी एक बिल पास हुआ था जिसका असर शेखावाटी के इलाके पर, सीकर के इलाके के ऊपर और इस प्रकार के छोटे भीलों का जो इलाका है जहां कि जमीन आबादी की करीबन नहीं रही है, वे जाकर खेत में कुटी बनाकर रहेंगे, लेकिन वहां भी उनको तंग किया जायगा और दो महीने के बाद में फिर देखेंगे कि वे लोग फिर परेशान होने जा रहे हैं। इसी तरह से आज इसके सूक्ष्म परिणामों पर विचार किये बिना ही यह बिल सदन के सम्मुख पेश कर दिया गया है। जहां तक मैं समझा हूं कि सरकार की क्या मन्शा है, वह यह है कि वह हर एक तबके पर, हर एक वर्ग को अपने सींकचों के अन्दर कसने के लिये ये सारी चीजें की जा रही हैं। जहां तक जैसा कि यह बिल आया है उसकी मन्शा यह है कि पेन्शनर्स सर्विस से आकर अपना पेशा स्वतन्त्र रूप से करना चाहें वे भी किसी न किसी तरह से सरकार के दबाव में रहें। इस प्रकार के बन्धन के लिए यह चीज़ रखी गई है। इसके अन्दर जहां तक मैं समझा हूं एक तरह से पेन्शनर को हर सतर के ऊपर बान्धने की कोशिश की है वह काबिले एतराज है।

सदन के अन्दर मैं समझ रहा हूं, सदन के महानुभाव इसको विचारेंगे। इसमें एक जिरह, तर्क और कारण दिया है कि क्योंकि पेन्शन देने में देरी हो जाती है इसलिये यह प्रोविज़न रखना चाहते हैं ताकि पेन्शन जल्दी शुरू करदी जाये। उसकी तरफ जो ड्यूज़ निकलते हैं वे मकान भाड़े के ही हों या और तरह के हों, वे बाद में उसके वेतन में से वसूल कर लिये जायेंगे। इसलिये कि देरी न हो, उस वक्त तक प्रमाण–पत्र न ले ले, उसमें शायद देरी लग जाय जो संभव है इसलिये यह दिक्कत मिटाने के लिये यह कर रहे हैं ताकि पेन्शन जल्दी मिल जाय। ड्यूज उससे बाद में ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की गड़बड़ या गलती के कारण ड्यूज़ का पहले पता नहीं लगा उसका खमियाजा उठायेंगे पेन्शनर्स। क्या आपका विभाग यह नहीं जान सकता कि उस आदमी में मकान किराये के कितने रुपये बाकी हैं या दूसरे ड्यूज़ कितने बाकी हैं। यह बहाना बनाकर उस पेन्शनर के सिर पर कच्चे धागे में लटकती हुई तलवार रखना चाहते हैं ताकि पहले सेवा करते समय जिस तरह से झुक कर रहता था उसी तरह से झुक कर रहने के लिये उसके ऊपर लटकती हुई तलवार के नीचे रखना चाहते हैं। वोट के समय, इले-

( श्री मोहरसिंह )

कशन के समय, अगर उनकी तरफ नहीं होगा तो उसके खिलाफ ड्यूज निकाले जायेंगे इस तरह की संभावना उसको हर समय बनी रहेगी, इसलिये गवर्नमेंट इसको रखना चाहती है। जब इतना खर्चा सरकार की मशीनरी पर लगता है तो क्या किसी व्यक्ति के रिटायर होने से चार-छः महीने पहले उसका हिसाब निकाल कर उसे साफ नहीं कर सकते ? क्या इस बात का पहले पता नहीं लगा सकते कि उसमें कोई पैसा बकाया है या नहीं? क्या आपके पास उसका रेकॉर्ड नहीं है ? तो फिर कौनसी मुसीबत की चीज़ है कि करोड़ों रुपये सरकारी मशीनरी पर खर्च होता है फिर भी यह बहाना बनाया जाये कि उसके ड्यूज के कारण उसकी पेन्शन न रुक जाये। क्या आपके यहां ऐसे ऑफिसर नहीं हैं जो दो महीने पहले ड्यूज के बारे में रेकॉर्ड तैयार कर लें नहीं तो पेन्शन में गड़बड़ पड़ सकती है। यह चीज पहले करने की है न कि बाद में करने की। मैं समझता हूँ उसको बाद में भी गुलामी में रखने के लिये किया जा रहा है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काम पहले करने का है उसके बारे में मंशा सही न रखते हुए, उस आदमी को हमेशा दबाये रखने के लिये ऐसा किया जा रहा है ताकि उसके दिमाग में हमेशा अशान्ति बनी रहे और उसका ध्यान दूसरी तरफ न जा सके। उसको हर तरह से जकड़ने के लिये इस तरह की चीज़ की जा रही है।

यह मेरा सीधा सादा इल्जाम है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह पेन्शनर के हक में अच्छा नहीं रहेगा। उसकी तरफ जो भी ड्यूज निकालेंगे उसकी वसूली उसकी पेन्शन में से कर लेंगे हालांकि बाद में अदालत में जाने की छूट होगी। लेकिन १० रुपयों का पेन्शनर रोजाना कहां अदालतों में फिरता रहेगा और कहता फिरेगा कि मुझमें जो ड्यूज़ निकाले हैं वे वाजिब नहीं हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी वास्तव में अच्छे ढंग से सरकार की सेवा करता रहा है उसका बाद का जीवन शान्ति से बीते और उसके सर पर ड्यूज की तलवार न लटकती रहे, गवर्नमेंट को इस नुक्ते नजर से देखना चाहिये। इस नुक्ते निगाह से मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों से मांग करता हूं कि वे इस चीज़ को समझें और पहचानें। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं बहुमत के आधार पर पास होना है तो कम से कम मन्त्रीजी ने कहा था कि वाजिब सुझाव मान लेंगे। जब यह बिल पास होने जा रहा है तो कम से कम यह तो कर दें कि पेन्शन जल्दी हो जाये और रिटायर होने के ६ महीने बाद तक ही ड्यूज़ वसूल किये जा सकते हैं, इतना तो जरूर कर दें। इतना कह कर मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : सभापति महोदय, जो यह विधेयक अभी पारित होने की स्टेज पर सदन के सम्मुख है, मैं उसका विरोध तो नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं भी कुछ उचित और आवश्यक समझता हूं इसके अन्दर उस प्रकार के संशोधन अवश्य किये जायं जिससे जो परिणाम इसे पारित करने के उपरान्त हों वे कहीं आगे चल कर विशेष कष्टदायक सिद्ध न हों। खास कारण यह है कि यह जो विधेयक में संशोधन लाया गया है उसका असर पड़ता है उस वर्ग या तबके पर जिसने अपने जीवन

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

का सर्वोच्च भाग राज्य की सेवा में व्यतीत किया है। २०, २५ साल की अवस्था में वह राज्य सेवा में प्रविष्ट होता है और ५५ साल की आयु के उपरान्त जो कुछ उसको वेतन मिलता है उसका आधा या उसका कुछ प्रतिशत होता है, उसे प्राप्त करके अवकाश लेकर वह शान्ति से जीवन व्यतीत करना चाहता है। ऐसे जीवन के दौरान में जैसी कि हम इस बात की कल्पना करते हैं कि हमारी सरकार क्या जनता, क्या किसान, क्या मजदूर हर वर्ग जो भी इस राज्य में या इस देश में बसता है, हरएक के साथ पूर्ण न्याय करेगी। मैं समझता हूं पेंशनर भी इसी न्याय को प्राप्त करने का पूरी तरह से अधिकारी है तो थोड़ा सोचने की आवश्यकता होती है कि उसको पूरी तनख्वाह मिलती रहे। मान लीजिये उसकी २०० रु. तनख्वाह है और ३०० रु० उस वक्त तक ड्यूज़ में एक्युम्युलेट होते रहें, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं रहा और वह पूरी तनख्वाह पाता रहा। लेकिन जब वह अवकाश ग्रहण करता है तब उसकी तनख्वाह आधी से कम रह जाती है और जिम्मेदारी या दायित्व बढ़ जाता है। तब उससे ड्यूज़ वसूल किया जाता है। जिस दिन वह सेवा में प्रविष्ट हुआ था उस समय शायद वह अविवाहित था, या विवाहित भी हो सकता है। उसके बाद में बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। दो हो सकते हैं, फिर चार पैदा हो सकते हैं, फिर ६ हो सकते हैं। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है त्यों त्यों उसका दायित्व भी बढ़ता है।

सरकार का नियम होता है कि तनख्वाह आरम्भ में कम मिलती है, बाद में ज्यादा मिलती है, पदोन्नति होती है। उसका कारण यह होता है कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बल्कि आई. सी. एस. लोगों के लिए तो बताया जाता है कि अविवाहित अवस्था में तनख्वाह एक होती थी, विवाह होने पर उससे इजाफा होता था और बच्चा होने के बाद और अधिक इजाफा होता था और ज्यादा बच्चे होने पर और भी इजाफा होता था। यह बात कहां तक ठीक है, मन्त्रीजी इसकी जांच करेंगे। न्याय संगत सिद्धान्त रखें तो ज्यों २ आदमी की उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसके साथ में उसके दायित्व या लाएबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती है। तो जो कुछ कानून बनते हैं, न्याय संगत जिस सिद्धांत को माना है यदि इसी रूप में पास करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हम उसके विरोध में जायेंगे। अब तक किसी भी राज्य सरकार की परम्पराएं रही हैं। मन्त्रीजी से मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या जो संशोधन हम लाना चाहते हैं क्या इससे पहले किसी दूसरे राज्य में बन चुका है क्या ? क्योंकि यहां पेंशनर्स की मीटिंग हुई थी उसमें वे गवर्नमेंट से ज्यादा डिमान्ड कर रहे थे। आज महंगाई बढ़ गई है। एक्टिव सर्विस में जो लोग हैं उनके बच्चों की फीस माफ होती है। २५० से नीचे पाने वालों को और भी सुविधा है। मिलिटरी के पेंशनर्स के लिये गवर्नमेंट आॅफ इण्डिया ने काफी ध्यान रखा है। उनको पेंशन के अलावा जमीन भी दी जाती है और उनके हौसला अफजाई के और भी कई काम किये जाते हैं। लेकिन हमारे सिविल सर्विस वालों को फिक्र लगा रहता है कि उनका पेट नहीं चलेगा। महीने की महीने जब तक तनख्वाह मिलती रहती है तब तक वे अपनी हैसियत

# Page No.112



( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

और स्वभाव के मुताबिक खर्चा करेंगे, लेकिन जब अवकाश प्राप्त करने के बाद भजन करने का समय आयगा उस समय राज्य की तरफ से ड्यूज़ की मांग आयेगी; तो आज मोटर गैरेज का बिल आ रहा है, आज उसके पास इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है, आज वाटर वर्क्स का बिल आ रहा है। मैं समझता हूं कुछ भुक्तभोगी होने से भी यह चीज अखरती है पीछे जाकर। तो सरकार के पास अकॉउन्टस ऑफिस रहता है, फाइनेन्स का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अकॉउन्ट्स ऑफिसर उनके पास अलग होता है, फिर क्यों न सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि रिटायर होने से पहले पहले सब चीजों की जांच कर सर्टिफिकेट दे दिया जाय ? इसमें देरी लगने की बात है, वह कभी नहीं होनी चाहिये। पेंशन रिटायर होने के दो महीने बाद, तीन महीने बाद जरूर मिल जानी चाहिये ...

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** ( उप-मन्त्री, शिक्षा ) : मान लीजिये, एरियर बता दें, गवर्नमेंट सर्वेन्ट को और वह पे नहीं करे। रिटायरमेंट हो रहा है, उस वक्त बता दिया। उसमें दो हज़ार, चार हज़ार बकाया है और वह उस वक्त पे नहीं करता, उस हालत में क्या सजेस्ट करते हैं कि उसकी पेंशन कर दी जाय और गवर्नमेंट रिकवरी नहीं करे ?

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : मैं कह रहा हूँ, अब भी कुछ ऐसा हो रहा है। जहां तक मुझे पता पड़ा है, पहले पेंशन दी जाती थी, उसमें देरी लगती थी, डिपार्टमेंटल क्वेरीज़ के बिना कभी पेंशन दे सकते, ऐसे मामले हैं कि रिटायर होने के बाद पांच साल तक, सात साल तक पेंशन के मामले पड़े रहे, यहां तक कि १० साल के कई केसेज़ पड़े हैं, बहुत से तो रिटायर होने के बाद मर गये और उनको पेंशन नहीं मिली, ऐसा राजस्थान में हो चुका है। उसके बाद सुविधायें मिलने लगी हैं। जो रिटायर हो रहा है वह कभी नहीं चाहेगा कि पेंशन देर से मिले। इसके अलावा डिपार्टमेंट में पेंशन के कभी कागज पूरे नहीं होते हैं, इसलिये इसमें देरी होती चली जाती है। मुझे बतलाया है पेंशनर्स ने कि शायद राजस्थान ने नियम बनाया है कि छः महीने में, साल भर में पेपर्स मुकम्मिल करना आवश्यक है। यह कहां तक सही है, यह तो मन्त्री महोदय बतायेंगे। उन्होंने सुविधायें दी हैं, जैसे कोई व्यक्ति रिटायर हो दिसम्बर, १६६० में तो जुलाई, मई, १६६० में, डिपार्टमेंट का काम है कि वह सारी चीजों को देख ले और पेपर पूरे हो जायं। जैसे ही एक व्यक्ति रिटायर हो, तो दूसरे या तीसरे महीने से उसे पेंशन मिलने लग जाय। इस प्रकार की सुविधा आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि साल, दो साल पहले रिटायर होने के तीन महीने पहले कोई चार हज़ार का बकाया अपने ऊपर कर लेता है, तो मैं समझता हूँ, वह मूर्ख हो सकता है, समझदार नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अगर एक्युम्युमुलेट होते चले आ रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट ड्यूज़ डिपार्टमेंट कन्सर्न्ड के पास भेज दे कि अमुक आदमी रिटायर होने जा रहा है, उसमें इतना ड्यू है। मैं समझता हूं कि कोई मन्त्री महोदय भी रिटायर होते हैं यानि अपने पद से अलग होते हैं तो उनके पास पहले ही ड्यूज़ की चिट आ जाती है इलेक्ट्रिक का इतना है, मोटर गैरेज का इतना है....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : पीछे तक आती रहती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पीछे तक आती रहती है, यह अलग बात है। लेकिन पहले चिट आ जाती है कि इतनी कुर्सियें थी, इतनी मेजें थी, आप गिनाइये, इतनी कुर्सियें हैं या नहीं, इतना सामान था; यह है या नहीं। हर एक को पूरा कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह पारित तो होगा, इसमें विरोध नहीं होगा, गवर्नमेंट ड्यूज़ जरूर आनी चाहिये। इस तरह जो पेंशनर गड़बड़ी करते हैं, वे अपराधी हैं। लेकिन इसको थोड़ा आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें बिल्कुल व्यवहारिक बन कर, पर्सनली अपने ऊपर घटा कर, तो इसमें जरूर ऐसा लगता है कि इसमें कोई न कोई संशोधन कर लें। क्योंकि पेंशन पर जाने के बाद, सारे ड्यूज़ की रिकवरी उससे की जाय और अटेचमेंट किया जाय, आज कुर्की आ रही है, आज वह हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो अवकाश प्राप्त व्यक्ति की भावना है, वह चाहता है कि मैंने ३० साल, ३५ साल, जो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा था, सरकारी सेवा में व्यतीत किया और उसके बाद अपने अपने सिद्धान्त के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, कोई वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहता है, कोई सन्यासी हो जाना चाहता है, कोई भगवान् का भजन करता है, ऐसे लोगों को दिक्कत आयेगी, वे रोज अटेचमेंट के सिलसिले में इधर उधर जायें, कभी कोर्ट में जायं, कभी इसमें जायं, कभी उसमें जायं। तो यदि मन्त्री महोदय, उचित समझें और वे समझते हैं कि वह स्टेज अभी मौजूद है और उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं तो जरूर करें। वैसे इसको पास वे कर देंगे, इसमें कोई बात नहीं है, हम लोग जो बैठ कर कर देते हैं; उसका असर दूसरों पर पड़ता है। कल ही कोई पेंशनर मेरे पास आकर कहेगा, आपके होते हुए यह कैसे हुआ, कम से कम यह दलील तो देनी चाहिये थी। तो जो कुछ मुझे सूझा, वह मैं व्यवहारिक दृष्टि से पेश कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित है कि यह सेवाएं उन राज्य के कर्मचारियों के लिए, जिन पर असर पड़ने वाला है, उनके लिये कोई संशोधन कर लें कि जो ड्यूज़ हों, उनकी छः महीने पहले, साल भर पहले जांच पड़ताल हो जाय और उनकी पे में से कुछ इन्स्टालमेंट बांध कर काट लें, जैसे किसी को १०० मिलते हैं तो २५, २५ की किश्तों में उसको पूरा कर लें। और जब वह पेंशन पर जाय तो उसको पूरी पेंशन मिलती रहे और उसे ग्रेचुइटी मिले जिससे वह शांति से रह सके और उसके आश्रित रहनेवाले हैं वे यह न कहें, पोते और बेटे कि बाप—दादे की कमाई खाने की बात दूसरी है, लेकिन घर का अटेचमेंट कर लिया। इसलिए थोड़ा व्यवहारिक होकर मंत्री महोदय इसको देखें क्योंकि यह उचित और आवश्यक मालूम पड़ता है कि इसमें इस प्रकार का संशोधन किया जाय। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय बहुत सहानुभूति और सहृदयता के साथ इस रूप में इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : Yes, Hon'ble Minister incharge.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मंत्री, वित्त) : चेअरमैन महोदय, माननीय सदस्यों

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

ने इस अमेंडमेंट के सिलसिले में कुछ सुझाव दिये, कुछ बातें कहीं। एक माननीय सदस्य ने तो यह फर्माया कि सरकार का उद्देश्य इस संशोधन के द्वारा, जो सरकारी अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, उसके ऊपर हमेशा अपनी तलवार और अपना दबाव रखने के लिए ऐसा कर रही है। मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है और न ऐसा करना किसी के हित में होगा और न यह इन्साफ की दृष्टि से ठीक होगा। हमारा राज्य इस प्रकार का अकेला हो कि हमारे यहां इस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने, जहां पेन्शन की यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने पहले पहल की थी ; उसके बाद, राजस्थान तो खैर नया राज्य है, कई राज्यों में थी और कईयों में नहीं थी। केन्द्रीय सरकार ने लम्बे समय तक इस व्यवस्था को अपनाया और उसके तजुर्बे पर उन्होंने स्टेट्स को लिखा कि आज का जो पेन्शन एक्ट है उसके अन्दर कुछ खामियां हैं, और खामी यह है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट के खिलाफ जब रिटायर होने को होता है, उसके अगेन्स्ट जो बकाया होती हैं, और अगर उसको पेन्शन दे देते हैं तो उसमें से वसूल नहीं हो सकती। नतीजा यह होता है कि सर्टिफिकेट लेने के बाद भी, अगर कुछ रुपया सरकार का बकाया रहता है तो उसका मामला, किसी सर्टिफिकेट के बाद भी तय नहीं होता है, उसमें देरी लगती है। नतीजा यह होता है कि पेन्शनका जो उद्देश्य है जिससे रिटायर होने के बाद में एक अधिकारी शांति से, अपना जीवन बिता सके वह उद्देश्य असफल हो जाता है क्योंकि जब तक वह पैसा अदा नहीं कर देता तब तक राज्य सरकार उसको पेन्शन नहीं देती और दूसरी तरफ यह है कि अगर राज्य सरकार पेन्शन दे देती है तो सरकारी बकाया है वह वसूल नहीं हो सकती है पेन्शन में से। नतीजा यह होता है कि सरकारी रकम के डूबने का खतरा रहता है और कई केसेज़ में देरी हो जाती है पेन्शन देने के लिए। इसके लिए बहुत कुछ सोचने के बाद में उन्होंने हमें यह सुझाव दिया कि इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि केवल सरकारी बकाया रकम जो है और जैसा कि अमेंडमेंट में लिखा है, तीन, चार तरीके के एरियर बताये हैं, वेतन का बकाया, टी. ए. का बकाया, हाउस रेन्ट का बकाया और लीव सेलेरी का बकाया; इनकी जो रकम है, उसको सरकार वसूल कर सकती है। उससे फायदा एक तरफ सरकार को होगा कि वह रकम वसूल हो जायगी तो दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी को भी फायदा होगा कि उसके पास, जिस दिन रिटायर होता है उस दिन सब बकाया रकम उसे मालूम हो जाती है। अब अगर रुपया देने के लिए इतने साधन उसके पास नहीं हैं तो राज्य सरकार उसकी वसूली को इन्स्टालमेंट के रूप में, उसमें कुछ खंदियां करके बाद में वसूल कर सकती है, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं है कि राज्य सरकार जब वह रिटायर हो जावेगा उसके बाद में उसमें कभी ५० रुपये, कभी ५०० रुपये कभी हजार रुपयों की बकाया की वसूली के लिये भेजेगी। आज भी यह व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके साल भर पहले जितने भी कागजात होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। अगर कहीं गड़बड़

Page No.115

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

होती है तो वह बकाया रकम जब तक नहीं देता तब तक पेन्शन का केस तय नहीं होता। या सरकार यह तय कर दे कि जो रकम उसमें बकाया है उसको राइट ऑफ कर दी जावे। इन सब बातों को देखते हुए अमेंडमेंट पेश किया गया है। हमारे पूरे देश में यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार भी इस तरह का एक्ट पास करेगी। अब यह कहा जाता है कि इससे किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता मारी जावेगी, उसको बुढ़ापे में तकलीफ होगी। मैं समझता हूं कि ये आपकी शंकाएं बिल्कुल निर्मूल हैं। सरकार का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता है। सरकार तो यह एक अच्छी व्यवस्था कर रही है जिससे सरकार की रकम भी बकाया न रहे और व्यक्ति को भी दिक्कत न हो। अतः मैं आपके सुझावों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्तावों को वापिस लें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पेन्शन ( संशोधन ) विधेयक, १६६० को पारित किया जावे ?

( स्वीकृत )

राजस्थान पेन्शन ( संशोधन ) विधेयक, १६६० पारित किया गया।

( विराम )

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

( तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म. प. ४.५२ मिनट पर दिनांक २५ अगस्त, १६६० के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई )

---

## संक्षिप्त–विवरण

( बुधवार, २४ अगस्त, १६६० )

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

गत तीन वर्षों में शराब के ठेकों से हुई आय।

कस्बा उनियारा में नगरपालिका द्वारा सड़क का निर्माण।

अस्पताल, रतनगढ़।

ग्राम सागड़ा, तहसील भादरा में पीने के पानी का अभाव।

पंचायत क्षेत्रों के हड्डी के ठेके।

ग्राम हरिपुरा, तहसील लाडपुरा (कोटा) के पशुओं को दरा जंगल में चराने की स्वीकृति।

पंचायत कांजण, जिला चुरू द्वारा श्री भगमालराम के विरुद्ध मान-हानि के दावे की सुनवाई।

बूंदी जिले में वर्धा बन्ध की मछलियों का ठेका।

अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा प्लॉट्स का अलॉटमेन्ट।

बीलागड़ी बहुद्देशीय सोसाइटी, बीलागाड़ी को सरकार द्वारा प्रदत्त धन राशि।

४६६

हनुमानगढ़ टाउन के पासवाली नई आबादी को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित करना।

राजस्थान बैंक एम्प्लॉईज़ यूनियन के सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की मांगों से सम्बन्धित प्रस्ताव।

ग्राम हलेना (भरतपुर) के कन्या विद्यालय की अध्यापिका के साथ सरपंच तथा उप-सरपंच द्वारा किया गया अभद्र व्यवहार।

कैटल ब्रीडिंग फार्म्स।

नगर विकास मंडल, जयपुर द्वारा भूमि का अलॉटमेंट।

सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों को सर्दी की ऋतु में गर्म कपड़ों की वर्दी की व्यवस्था।

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र।

दुकान निरीक्षकों के पद पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों की नियुक्ति।

सहकारी समितियां।

स्कम्भ

# Page No.117



स्कम्भ

ग्राम डाबर तथा सारोला, तहसील दीगोद के पास पुलिये का निर्माण।

वन श्रमिक समिति को बांस का ठेका।

संचालक, पशुपालन विभाग की नियुक्ति।

प्राकृतिक चिकित्सा।

पंचेटिया बांध की स्वीकृति।

बांसवाड़ा जिले में सरकारी अस्पताल।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, बसवा का भवन।

पंचवर्षीय योजनाओं में खोले गये प्रसूतिगृह।

सिरोही जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेन्सरियें।

## अनुपस्थिति के लिए अनुमति

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:-

१. श्रीमती कमला भोत्रित —

दिनांक २२ अगस्त, १९६० से दिनांक १० सितम्बर, १९६०।

स्कम्भ

२. श्री आनन्दसिंह कछवाहा —

दिनांक २२ अगस्त, १९६० से दिनांक ३१ अगस्त, १९६०।

## सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री ने राजस्थान स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा।

## प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपःस्थापन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, सभापति, प्रवर समिति ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एण्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी ( संशोधन ) विधेयक, १९५९ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपःस्थापन किया।

## विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ ५५२

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय,

24 August 1960

# Page No.118



स्तम्भ

डॉ० चन्द्रकला ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर की गई बस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

१. डॉ० बहादुरसिंह
२. श्री चन्दनमल वैद
३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
४. श्री पी० के० चौधरी
५. श्री सोहनलाल भटनागर
६. श्री जनार्दनराय नागर
७. श्री श्रीभानसिंह
८. श्री छोटूसिंह
९. श्री लादूराम सुलाणिया
१०. श्री अर्जुनदास

गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:-

१. प्रभारी मंत्री
२. श्री जयचन्द मोहिल
३. डॉ० बहादुरसिंह
४. श्री चन्दनमल वैद

स्तम्भ

५. श्री भैरवलाल 'काला बादल'
६. श्री बी० एन० जोशी
७. डॉ० चन्द्रकला
८. श्री मानकचन्द कोठारी
९. श्री वली मोहम्मद
१०. श्री धर्मपाल पंवार
११. श्रीमती प्रभा मिश्रा
१२. श्री काना रेगर
१३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१४. श्री लादूराम सुलाणिया
१५. श्री किशनाराम
१६. श्री प्रभुलाल पुरोहित
१७. श्री नाथीसिंह
१८. श्री बालमुकन्द
१९. श्री सूरजमल
२०. श्री वीराराम
२१. श्री हरिप्रसाद यादव
२२. श्री सम्पतराज जैन

**(२) राजस्थान बन्दी विधेयक, १९६०** ६३६

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ।

स्कम्भ

खण्डश: विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १९६० ६४८

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप-मंत्री, वित्त विभाग ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

सदन की बैठक ४ बज कर ५२ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २५ अगस्त, १९६० को प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

### गुरुवार, दिनांक २५ अगस्त, १९६० की कार्य-सूची

आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिवेदन, १९५७-५८-व १९५८-५९ पर विचार।

———

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर देखिये )

STATEMENT SHOWING THE FIGURES OF LICENCE FEE (DISTRICT WISE) OF THE COUNTRY LIQUOR SHOPS FOR THE YEAR 1957-58-58-59-59-60.

| S. No. Name of Division. | Name of District. | YEAR 1957-58 | 1958-59 | 1959-60. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bikaner. | Bikaner | Rs. 81,400/- | Rs. 98,050/- | 1,24,425/- |
| 2. „ | Ganganagar | Rs. 5,68,000/- | Rs.1,266,125/- | 12,17,905/- |
| 3. „ | Churu | Rs. 42,225/- | Rs. 59,400/- | 99,600/- |
| 4. Jaipur | Alwar- | Rs. 60,412/- | Rs. 74,503/- | 1,28,650/- |
| 5. „ | (Bharatpur-Dholpur) | Rs. 64,059/- | Rs. 95,611/- | 1,13,807/- |
| 6. „ | Sikar | Rs. 49,062/- | Rs. 48,274/- | 87,851/- |
| 7. „ | Jhunjhunu | Rs. 62,932/- | Rs. 77,652/- | 99,616/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | ,, | (Jaipur- | Rs. 3,28,404/- | Rs.9,38,348/- | 9,78,786/- |
| | | Ajmer) | Rs. 4,74,686/- | 4,00,563/- | 5,15,135/- |
| 9. | Udaipur | Dungarpur | Rs. 34,592/- | Rs. 36,120/- | 32,416/- |
| 10. | ,, | Chittor | Rs.1,24,679/- | Rs. 1,34,538/- | 1,49,606/- |
| 11. | ,, | Banswara | Rs. 85,714/- | Rs. 92,840/- | 1,09,602/- |
| 12. | ,, | Bhilwara | Rs.1,33,728/- | Rs.1,61,389/- | 1,96,414/- |
| 13. | ,, | Udaipur | Rs. 2, 27,395/- | Rs.2,61,085/- | 2,89,414/- |
| 14 | Jodhpur | Jodhpur | Rs. 2,20,145/- | Rs. 2,17,490/- | 2,90,626/- |
| 15. | ,, | Pali | Rs. 1,61,929/- | Rs.1,97,866/- | 2,30,489/- |
| 16, | ,, | Nagaur | Rs. 51,662/- | Rs. 74,872/- | 92,712/- |
| 17/ | ,, | Barmer | Rs. 68,662/- | Rs. 68,460/- | 69,900/- |
| 18. | ,, | Sirohi | Rs 67,686/- | Rs.1,19,822/- | 1,00,472/- |
| 19. | ,, | Jalore | Rs. 69,286/- | Rs. 80,305/- | 88,130/- |
| 20. | ,, | Jaisalmer | Rs. 10,675/- | Rs. 7,877/- | 18,630/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Kotah | Tonk | Rs. 1, 30, 371/- | Rs.1,63,930/- | 2,32,343/- |
| 22. | „ | Kotah | Rs. 2,12,666/- | Rs.3,47,277/- | 4,48,149/- |
| 23. | „ | Sawai-Madhopur | Rs. 35,959/- | Rs.1,14,613/- | 1,12,315/- |
| 24. | „ | Jhalawar | Rs 1,23,506/- | Rs. 1,38,9 65/- | 1,56,842/- |

The Rajasthan Government have in order to implement the recommndations of the Prohibition Enquiry Committee have ad-pted the following measure:—

1. That from lst April, 1956 drinks in hotels, bars, restaurants, messes, clubs, cinem as and in social parties and functions have been stopped. A few specified hotels serving foreign visitors and tourists have been allowed to serve foreign liquors to such persons in a special room,

2. That the number of liquor shops is to be progressively reduced. Accordingly about 500 liquor shops have been closed.

3. That the liquor shops are totally closed on the following days:—

(i) Mahaveer Jayanti.

(li) 26th. January, (Republic Day).

(iii) Guru Nanak Birth Day.

(iv) 15th. August (Independence Day)

(v) 9th. November, (Harijan Day)

(vi) Krishana Janmastami.

(vii) Budh Purnima.

(viii) Birthday of Prophet Mohammad.

(ix) 2nd. October (Mahatma Gandhi Birthday),

4. That gradually shops are removed to places away from living quarters in villages and towns. Shops in big cities will not be located in the main streets where drinking is visible to public, and

5. That all public servants in Government employ have been asked to set an exmple by practising total abstanance and a provision to that effect has been made in the Classification and Control Rules of Government Servants.

# परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर देखिए )

LIST SHOWING NUMBER OF PERSONS WHO WORKED AT THE RATANGARH HOSPITAL DURING THE YEAR 1959-60.

| Months. | C.A.S. I. | C.A.S. II. | Staff Nurse | Midwives | Comp. II. | Comp. III. | Technisi-an. | ClassIV servants. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| April | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 |
| May | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 |
| June | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 |
| July | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| August | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 |
| Sept. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 |
| Oct. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| Dec. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| Jan. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| Feb. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| March. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 |

--------

## परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७ का उत्तर देखिए )

### प्रतिलिपि रिपोर्ट इत्तला अव्वल ( प्रथम सूचना )

जो काबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा १५४ जा. फौजदारी थाने वाक होता है। थाना बैर जिला, भरतपुर, राजस्थान ।

जुर्म नं० ( सुरखी में ) १० तारीख और वक्त वकुआ ६-३-६० वक्त १२ पी. एम.

| तारीख और वक्त जब इत्तला उर्फ मय रिपोर्ट नम्बर रोज. आम. | जाव वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई पुगरा हो | तारीख खाना नं० कहां से |
|---|---|---|
| ता० ६-३-६० ३० पी. एम. रपट नं० १३३ | मौजा हलेनाव जानिब उत्तर-पश्चिम व फासला ८ मील | ७-३-६० हल्का डाक |

| नाम और सकूनत इत्तला कुनिन्दा और उस्तगीर अथवा देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान । | नाम और सकूनत मुलजिमान निवास स्थान अपराधी। | मुख्तासर दालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया है । | कार्यवाही तफतीश जो अमल में लाई गई और व मद पेशी जो इत्तला करने में हुई हो। |
|---|---|---|---|
| मुस. रामवती देवी अध्यापिका गर्ल्स स्कूल, हलेना जरिये किशनलाल शर्मा पुत्र भोंदूराम, सा० भूसावर । | — | जेर दफा ३५४ / ३४२ आई. पी. सी. / ४५१ | वाय कायमी जुर्म में एच. सी. कोई मशरूफ तफतीश हुआ। |

दसख्त ओहदा-एच. सी.

श्री तहरीर लिख दीनी थाना पुलिस को आगे रामवती गर्ल्स स्कूल हलेना वाली ने जो कि ता० ४-३-६० की बात है कि रामखिलाड़ी सरपंच व शांवलसिंह उपसरपंच, पंचायत ग्राम हलेना मेरे स्कूल में आये और जाते ही मुझ से उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने को कहा और पढ़ने वाली लड़कियों से कहा कि तुम्हारी छुट्टी है अपने अपने घर को जाओ। मैंने उनको निरीक्षण का रजिस्टर निकाल कर मेज़ पर रख दिया उन्होंने पढ़ने वाली लड़कियों के जाते ही स्कूल के तमाम दरवाजे बंद कर दिये और मेरी इज्जत पर हमला करने को तैयार हो गये। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो खाय मां जो बाहर थी एक दम मेरी मदद को आ गई और इस तरह से मैंने मेरी इन लोगों से इज्जत बचाई। उसी रात को मेरे सोने के मकान पर दोनों मुलाज़िमान आये और मकान मालिक को आवाज देकर बुलाया और कहा कि किसी तरह से इस मास्टरनी को मकान से बाहर कर दो तो मकान मालिक ने उन लोगों से मने कर दी। मैं जब अपने गांव भूसावर को ता० ६-३-६० को जानेवाली थी तो रास्ते में भी इन लोगों ने मुझसे छेड़छाड़ की लेकिन मेरे साथ २, ४ आदमी गांववाले थे इसलिये इस समय मेरी इज्जत बची। अब मुझे इम्तिहान देने अजमेर जाना है लेकिन रास्ते में इन दोनों से मुझे खतरा है। तहरीर पेश है इन्तजाम सुरक्षा इन्क्वायरी फरमाई जावे। ता ६-३-६०

रामवतीदेवी शर्मा, अध्यापिका हलेना

ग. केदारनाथ वल्द नन्दराम वैश्य भूसावर।

## कार्यवाही पुलिस

रिपोर्ट सदर तहरीर पेश कराया श्री किशनलाल पुत्र भोंदूराम शर्मा, सा० भुसावर की नकल शब्द व शब्द की गई। इत्तला से जुर्म सरे दस्त ३५४ / ३४२ आई. पी. सी. / ४५१ का वकये में आना पाया जाता है। लिहाज़ा मु० नं० १० दफा मजकूर वाला कायम किया जाकर मैं एच. सी. देवीसिंह नं० १०२ मशरूफ तफतीश हुआ। इत्तला पेश की मुताल्लीक पूछा गया तो बताया कि मुलजिमान ने रामावती को हलेना से भुसावर अपने घर आने को रुकावट कर रखी थी। आज वह मौका पाकर आई है और मुझे रिपोर्ट देकर भेजा है। इन लोगों ने रामवती के साथ पकड़ा धकड़ी भी की है।

इ० देवीसिंह एच. सी.

नोट

नकल मुतालिक असल है।

# परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिये )

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT.

No. F. 7 (167) LSG/B/58. Dated. Jaipur, the 17th. February, 1959.

ORDER.

Governor has been pleased to order that the powers of sale and allotment of land in Urban areas enjoyed by all the Municipal Boards, Urban Improvement Board and all other Local Bodies, are hereby stayed with immediate effect.

This supersedes all the Government orders issued from time to time in this respect.

By Order,
Sd/- Balwant Singh
Secretary to Government.

-----

सूची उन व्यक्तियों की जिन्हें सरकार द्वारा प्लॉट दिये गये दिनांक १७।२।५६ से

| क्रम संख्या | नाम | प्लॉट नं० | दिनांक |
|---|---|---|---|
| १. | श्री धर्मसिंह | २१ ( गूंगे-बहरों के स्कूल के पीछे ) | १४।५।५६ |
| २. | श्री विजयसिंह | १२ ( गूंगे-बहरों के स्कूल के पीछे ) | १४।५।५६ |
| ३. | श्री कैलाशचन्द्र | २६ ( गूंगे-बहरों के स्कूल के पीछे ) | १४।५।५६ |
| ४. | श्री कंवरसेन | एस० बी० १५७ सी स्कीम | १६।११।५६ |
| ५. | श्री दीनमोहम्मद | एच० ६२ | २६।६।६० |
| ६. | श्री मुन्शीलाल | एफ. १० ए०-सी स्कीम | २।७।६० |
| ७. | श्री बालासहाय | सी. १०१-बजाजनगर | ७।७।६० |
| ८. | जालूपुरा निवासियों को | ३२६-प्लॉट जालुपुरा स्कीम | |
| ९. | हरिज़नों को | ५०-प्लॉट अमृतपुरी स्कीम | |

१०. स्टेशन रोड स्थिति सिटी कैम्प निवासियों को १३० प्लॉट-कच्चा बन्धा रोड़ पर।

## परिशिष्ट ५

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०० का उत्तर देखिये )

LIST OF MEDICAL INSTITUTIONS IN BANSWARA DISTT.

| S. N. | Name of Institution. | Tehsil. | Class. |
|---|---|---|---|
| 1. | City Dispensary, Banswara. | Banswara | II |
| 2. | Khandu Dispensary. | -do- | III |
| 3. | Paratapur | Gadhi | III |
| 4. | Sarva Dispensary Aid Post. | Kushalgarh | III |
| 5. | Poloda Dispensary | Gadhi | III |
| 6. | Jalona Dispensary | -do- | III |
| 7. | Bagidora | Bagidora | III |
| 8. | Barodia | -do- | III |
| 9. | Ghantol | Ghantol | III |
| 10. | Ganoda | -do- | |
| 11. | Ghinoh P. H. C. | | |
| 12. | Garhi | Garhi | |
| 13. | Kushalgarh | Kushalgarh. | |

# परिशिष्ट ६

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर देखिए )

THE GOVERNMENT HAVE CONVEYED THE SANCTION TO THE OPENING OF 15 (FIFTEEN) MATERNITY AND CHILD WELFARE CENTRES EVERY YEAR COMMENCING FROM THE YEAR 1960-61 SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

1. The maternity and Child Welfare Centres may be established in towns having a minimum population of 5,000 souls and where Primary Health Centres are not in existence.

2. The Maternity and Child Welfare Centre may be established as soon as the building according to the need of the Centre and Quarter is ready to be taken over by Government.

3. The amount of donation in cash, if offered, may be accepted to the extent of Rs. 60,000/-. ( Rupees Sixty thousand ).

4. The amount of donation so received may be deposited in a Bank in the name of a Committee of which Collector of the District may be Chairman and Distt. Medical and Health Officer and representatives of the Donors or local Institutions may be members.

# EXTRACT COPY OF LETTER No. D. 131 (19) PHC/CO-ORD/DD, FROM THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN, DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND MEDICAL AND HEALTH, JAIPUR TO THE ALL BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS.

With respect to the selection of the place for location of the Primary Health Centre, the selection may be made by the Block Development Committee. The place must have a population of 3,000. In case there is no village with a population of 3,000 the Primary Health Centre may be opened by the Blook Development Committee in one of the villages which has the highest slab of population. There should be no alopathic dispensary within five miles radius of the place so selected. The Block Development Committee may take into consideration the claim of such Tehsil and Block Headquarters which have no dispensaries or Primary Health Centre at present. In case, it is proposed to open the Primary Health Centre at a place which has already got a dispensary working there, the Block Development Committee may also propose the place where the existing dispensary may be shifted. If proposals of the Block Development Committee may regarding the location of the Primary Health Centre and shifting the dispensary, if necessary are agreed to by the District Medical Officer of Health and the District Development Officer no reference need be made to the State Headquarters and action may be taken by the Distt. Development Officer to locate the Dispensary accordingly and ask for funds from the Medical Directorate.

परिशिष्ट

LIST OF PRIMARY HEALTH CENTRES, DISTRICT-WISE AND BLOCK-WISE IN RAJASTHAN.

| S. No. | District. | Blocks. | Type of Block. | Location of P. H. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Chittorgarh. | Partabgarh. | Ist. Stage. | Barwarda. |
| | | Kapasin. | —do— | Kapasin. |
| | | Chittorgarh. | —do— | Chittorgarh. (sawai) |
| | | Rashmi. | —do— | Gangasar. |
| | | Nimbehara. | —do— | Kanora. |
| | | Begum. | —C. D.— | Parsoli. |
| 2. | Udaipur. | Kotara. | Ist. Stage. | Kotra. |
| | | Khemnore. | —do— | Khemnore. |
| | | Dhariyawad. | —do— | Dhariyawad. |
| | | Badagu. | —do— | Delwara. |
| | | Rajsamand. | 2nd. Stage. | Rajsamad. |
| | | Amate. | —do— | Amote. |
| | | Kumbalgarh. | —do— | Kumbalgarh. |
| | | Girwas. | —do— | Girwa. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Dungarpur. | Mavli. | Ist. Stage. | Soriwa. |
| | | Pailmarga. | —do— | Pailmarga. |
| | | Aspur. | —do— | Punjpur. |
| | | Dungarpur. | 2nd. Stage. | Dadi. |
| | | Similwara. | —do— | Similwara. |
| | | Sagwara. | —do— | Sagwara. |
| | | Bichhiwara. | —do— | Bichhiwara. |
| 4. | Banswara. | Bogidora. | Ist. Stage. | Chinch. |
| | | Ghatol. | —do— | Ganoda. |
| | | Garhi. | 2nd State. | Garhi. |
| | | Kushalgarh. | —CD— | Kushalgarh. |
| 5. | Nagaur. | Ladnu. | Ist. Stage. | Jaswantgarh. |
| | | Kuchaman. | —do— | Kunkunwali. |
| | | Makarana. | —do— | Gachipura. |
| | | Deegana. | —do— | Location not decided. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Nagaur. | Deedwana. | 2nd. Stage. | Molasar. |
| | | — | — | Basni. |
| 6. | Bhilwara. | Mandal. | Ist. Stage. | Bagore. |
| | | Shahpura. | —do— | Phulia. |
| | | Jhajpur. | —do— | Jhajpur. |
| | | Kotri. | —do— | Kotri. |
| | | Mandalgarh. | —CD— | Kachola. |
| | | — | — | Hurda. |
| 7. | Jalore. | Sanchore. | Ist Stage. | Chittalwana. |
| | | Bhinmal. | —do— | Location not decided. |
| | | Ahore. | —CD— | Ahore. |
| | | — | — | Siwona. |
| 8. | Jodhpur. | Osian. | Ist. Stage. | Mathania. |
| | | Bhopalgarh. | —do— | Bhopalgarh. |
| | | Jodhpur. | —do— | Banar. |
| | | Bilara. | 2nd. Stage. | Piper. City. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Barmer. | Shiv. | Ist. Stage. | Gunga. |
| | | Pachpadra. | —do— | Mandli. |
| | | Sewana. | 2nd. Stage. | Sewana. |
| 10. | Pali. | Kharchi. | Ist. Stage. | Kharchi. |
| | | Sojat. | —do— | Ghandawal. |
| | | Raipur. | —do— | Peepliya. |
| | | Sumerpur. | 2nd. Stage. | Bankli. |
| | | Bali. | —do— | Bera. |
| | | Rani. | —do— | Boosi. |
| | | Desuri. | —do— | Nadole. |
| 11. | Sirohi. | Abu. | Ist. Stage. | Abu. |
| | | Sirohi. | —do— | Jawal. |
| | | Pindwara. | —CD— | Swaroopganj. |
| 12. | Jaisalmer. | Sankra. | 2nd. Stage. | Sankra. |
| 13. | Bundi. | Bundi. | Ist. Stage. | Telera. |
| | | Hindoli. | —do— | Hindoli. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Jhalawar. | Khanpur. | Ist, Stage. | Khanpur. |
| | | Manohar Thana. | —do— | Manoharthana. |
| | | Jhalarapatan. | —CD— | Asnawar. |
| 15. | Kotah. | Itawa | Ist Stage. | Peeplada. |
| | | Baran. | 2nd. Stage. | Bamla. |
| | | Atru. | —do— | Atru. |
| | | Antah. | 2nd Stage. | Seeswali. |
| | | Kaithoon. | end Stage. | Kaithoon. |
| | | Shahbad. | —do— | Kelwara. |
| 16. | Churu. | Sardarshahar. | Ist. Stage. | Sardarshahar. |
| | | Rajgarh. | —do— | Sankho. |
| | | Dungargarh. | —do— | Biggu. |
| | | — | — | Parihara. |
| 17. | Ganganagar. | Hanumangarh. | Ist. Stage. | Sangaria. |
| | | Suratgarh. | —do— | Sankho. |
| | | Raisinghnagar. | 2nd. Stage. | Rai Singhnagar. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Ganganagar. | Karanpur. | —C. D.— | Karanpur. |
| | | Padampur. | Ist. Stage. | Padampur. |
| 18. | Bikaner. | Kolayat. | Ist. Stage. | Kolayat. |
| | | Nokha. | —C. D.— | Nokha. |
| 19. | Jhunjhunu. | Udaipurwati. | Ist. Stage. | Udaipurwati. |
| | | Nawalgarh. | —do— | Khirod. |
| | | Surajgarh. | —do— | Surajgarh. |
| | | Chirawa. (Sultana) | —C. D.— | Chirawa. |
| | | — | — | Mehansar. |
| 20. | Sikar. | Lachmangarh. | Ist- Stage. | Lachmangarh. |
| | | Danta Ramgarh. | —do— | Shyamji Khatu |
| | | Sri Madhopur. | —do— | Moondru |
| | | Neem-Ka-Thana. | —C. D.— | Neem-ka-Thana. |
| | | — | — | Gudala. |
| 21. | Tonk. | Tonk. | Ist. Stage. | Peeplu |
| | | Toda Raisingh. | —do— | Mandali. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Tonk. | Malpura. | 2nd. Stage. | Malpura. |
| 22. | Sawai Madhopur. | Gangapur. | Ist. Stage. | Gangapur. |
| | | Nadoti. | —do— | Gudha Gourjee. |
| | | Hindaun. | 2nd. Stage. | Hindaun. |
| | | Toda-Bhim. | —do— | Balghat. |
| | | Sawai Madhopur. | —do— | Bhagwatgarh. |
| | | Mahawa. | —do— | Mundawar. |
| | | Karauli. | —do— | Masalpur. |
| 23. | Bharatpur. | — | — | Wassi Nawab. |
| | | Rajakhera. | Ist. Stage. | Pattiran. |
| | | Nadbai. | —do— | Nadbai. |
| | | Roopbas. | —do— | Rocpbas. |
| | | Kumher. | —do— | Kumher. |
| | | Nagar Pahari. | 2nd. Stage. | Nagar Pahari. |
| | | Bassori. | —do— | Bassori (Dholpur.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | Alwar. | Tijara. | Ist. Stage. | Tijara. |
| | | Mandawar. | —do— | Mandawar. |
| | | Kotkasim. | —do— | Kotkasim. |
| | | Thanagazi. | —do— | Narainpur. |
| | | Bansur. | —do— | Bampur. |
| | | Kishangarh Bas. | 2nd. Stage. | Bas Kripalnagar. |
| | | Govind Garh. | —C. D.— | Govind Garh. |
| 25. | Jaipur. | Bandikui. | Ist. Stage. | Baswa. |
| | | Phagi. | —do— | Phagi. |
| | | Bairath. | —do— | Saiwar. |
| | | Sikrai. | —do— | Location not decided. |
| | | Bassi. | 2nd. Stage. | Bassi. |
| | | Jober. | —do— | Kishangarh Renwal. |
| | | Sanganer. | —do— | Watka. |
| | | — | — | Amarsar. |
| | | — | — | Naila |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Jaipur. | Jaipur. | —C. D.— | Kalwar. |
| 26. | Ajmer. | Srinagar. | 1st. Stage. | Srniagar. |
| | | Kishangarh. | —do— | Roopangarh. |
| | | Bhinal. | —do— | Bhinal. |
| | | Pisangan. | 2nd. Stage. | Pisangan. |
| | | —do— | — | Jethana. |
| | | Masuda. | 2nd. State. | Kherwa. |
| | | Kekri. | —C. D.— | Khadera. |
| | | —do— | | Bagera. |
| | | Jawaja. | —do— | Jawaji. |

## परिशिष्ट ७

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर देखिये )

SCHEME 'C' & OTHER

| S. No. | Name of allottee. | Plot No. | Date of issuing allotment letter | Date of issuing Patta. | Date of taking over possession | Date of depositing the amount. | Amount deposited. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Shri Vijai Singh U. D. C. Local Self Govt. Department. | P. 25 behind Deaf & Dumb School. | 18.9.59 | 15.2.60 | 5.12.59 | 8.7.59 )<br>12.10.59)<br>26.11.59) | Rs. 500.00)<br>Rs. 500.00)<br>Rs. 166.100) | Fully paid |
| 2. | Shri Chandra Shekhar, Registrar Revenue Board, Ajmer. | P. 13 behind Deaf & Dumb School. | 11.5.59 | Not issued. | 17.3 60 | 11.6.59 )<br>14.10.59) | Rs. 1563.14)<br>Rs. 359.67) | „ |
| 3. | Shri Jagannath Singh Mehta, Dire- | Plot. 14 behind Deaf & Dumb | 4.6.59 | „ | 14.8.59 | 2.7.59 | Rs. 1931.78 | „ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ctor of Education, Rajasthan, Bikaner. | School. | | | | | | |
| 4. | Dr. Shyam Nath Kakker, 12-Vivekanand Marg, Jaipur. | Plot. 15 behind Deaf & Dumb School. | 10.6.59 | not issued | 19.8.58 | 22.6.59 | Rs. 1242.81 | Fully paid |
| 5. | Shri Kripa Shanker, Asstt. Engineer, Water Works Jaipur. | Plot. 17 behind Deaf & Dumb School. | 4.6.59 | „ | 3.8.59 | 20.7.59 | Rs. 1243.44 | „ |
| 6. | Shri Dalpat Singh Sarin, C/o Dr. L. R. Sarin, Hospital Road, Jaipur. | Plot. 11 behind Deaf & Dumb School. | 4.6.59 | „ | No. | 4.12.59 | Rs. 1936.78 | „ |
| 7. | Shri Dharam Singh, P. A. to Dy. Minister, Local Self Government Department, Jaipur. | Plot. 21 behind Deaf & Dumb School. | 18.5.59 | 22.3.60 | 14.8.59 | 23.5.59 | Rs. 1755.95 | „ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Shri Heera Chand Dhandhiya, Advocate, Johari Bazar, Jaipur. | Plot. 22 behind Deaf & Dumb School. | 4.6.59 | 7.3.60 | 4.3.58 | 19.2.58)<br>21.9.59)<br>7.3.60) | Rs. 1169.44)<br>Rs. 468.83)<br>Rs. 3.40) | FullyPaid |
| 9. | Shri Ratan Lal Jain, Ajmeri Gate, Chowkari Modikhana, Jaipur. | Plot-24 behind Deaf & Dumb School. | 4.6.59 | 30.12.59 | 13.6.59 | 13.6.59 | Rs.1260.68 | ,, |
| 10 | Shri Santosh Chandra Jain, Advocate, Haldion -Ka-Rasta, Jaipur. | Plot-12 behind Uniyara Garden. | 14.11.58 | 9.3.60 | 4.3.60 | 8.11.58)<br>9. 9. 59)<br>12.9.59)<br>4.3.60) | Rs. 500.00)<br>Rs. 1207.50)<br>Rs.1431. 82)<br>Rs. 5. 00) | The Sale deed has been issued in the name of his son Shri Vijai. Kumar |
| 11. | Shri Kailash Chandra, Local Self Govt. Department, Jaipur. | Plot-26 behind Deaf & Dumb School. | 18.5.59 | 13.10.59 | 12.9.59 | 25.5.59)<br>11.9.59) | Rs. 1058.72)<br>Rs. 107. 22) | FullyPaid |
| 12. | Shri Tej Bahadur Mathur | Plot-34 near | 25.2.59 | Not issued. | No | 5.12.59) | Rs. 500.00) | Rs 585 is |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Advocate, Jaipur. | Gita Bajaj Happy School. | | | | 11.2.60) | Rs. 500.00) | still to be deposited |
| 13. | Shri Kishan Swaroop Soni Assistant Teacher, Darbar Middle School, Jaipur. | Plot-J. 5 in Scheme 'C' | 23.2.59 | 22.2.60 | 4.7.50 | 27.11.58)<br>7.8.59)<br>5.6.59)<br>22.6.60) | Rs. 551.94)<br>Rs. 200.00)<br>Rs. 228.62)<br>Rs. 17.73) | Fully paid |
| 14. | Shri Yogesh Chand Harit, Public Analyst, Jaipur. | Plot.H-19 Scheme'C' | 4.11.58 | Not issued. | 6.12.58 | 26.8.58)<br>21.11.58) | Rs.1225.00)<br>Rs. 55.34) | " |
| 15. | Secretary, Kerala Samaj F. 144 Gautam Marg, Jaipur. | Plot.J-9 Scheme'C' | 23.2.59 | 18.11.59 | 23.4.59 | 31.3.59)<br>22.8.59) | Rs. 980.56)<br>Rs. 23.25) | " |

परिशिष्ट

## BANI PARK SCHEME

| Sl. No. | Name of allottees | Plot No. | Date of issuing allot-ment letter | Date of issue of patta | Date of taking over possession | Date of depositing instatments | Amount deposited | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Kashi Prashad G. S. | F-51 | 25-8-59 | — | — | — | | Amunt not depesited |
| 2. | Shri RamPrashad Hawa I.C S. | R-52 | 21-5-59 | 20-1-60 | 12-5-59 | 12-7-58<br>11-6-59<br>425.00 n. p. | 750.00 | Pre allr C 14 |
| 3. | Smt. Sarla Sinha G. S. | R-35 | 27-1-59 | 20-10-59 | 6-8-59 | 15-7-59 | 1170.78 n. p. | x |
| 4. | Shri Sultan Singh G. S. | C-7 | 2-2-59 | — | — | 31-3-59 | 1000.00 | due amnut 7785.90 |

परिशिष्ट

GOVERNMENT SERVANT.

| S. N. Name of allottee. | Plot No. | Date of issuing allotment letter. | Date of issuing patta | Date of Taking over possession. | Date of depositing. amount. | Amount deposited. | Remark. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shri Dila Ram. Dhobi. | J.130 | 18-2-59 | 24-10-59 | 1-10-59 | 19-3-59 | 878.10 | |
| 2. Shri Laxmi-Narain. | J.132 | 21-2-59 | patta not issued. | 18-11-59 | 12-3-59 | 878.10 | |
| 3. SMt. Surendra Jeet Kanwar. | J.186 | 24-2-59 | do | 24-9-59 | 24-4-59 | 878.10 | |
| 4. Shri Rikhab Raj Bhandari | J.93 | 12-5-59 | do | 18-11-59 | 22-6-59 | 878.10 | |
| 5. Shri J. D. Sighal. | J.124 | 6-3-59 | do | 18-7-59 | 8-5-59 | 878.10 | |
| 6. Shri Tek Chand | J.180 | 12-5-59 | do | 26-11-59 | 5-6-59 | 873.10 | |

परिशिष्ट

N. G. S.

| S. N. | Name of the allottee. | Plot No. | Date of issuing. allotment letters | Date of issuing of patta. | Date of taking over possession. | Date of deposit-ing. | Amount deposited. | Ramark. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Laxmi Narain. | J. 127 | 14-3-59 | Not issued. | Not issued. | 15-5-59 | 878.10 | |
| 2. | „ Prakash Chand. | J. 184. | 12-5-59 | -do- | -do- | 15-6-59 | 878.10 | |
| 3. | „ Bhagat Sing. Narula & Himmat Singh-Chatarpal Singh Naruia. | J. I13. | 24-2-59 | 21-11-59 | 1- 9-59 | 18-8-59 | 878.10 | |
| 4. | „ Girdhari Lal. | J. 123. | 18-2-59 | 7-11-59 | 3-11-59 | 28-9-59 | 878.10 | |
| 5. | Shrimati Rukma Gour. | J. 88. | 26-2-59 | Not issued | Not issued. | 31-3-59 | 200.00 | do amount 678.10 |
| 6. | Shri Dharam Pal M. L. A. | J. 108 | 23-3-59 | Not issued. | 29- 1-60 | 29-8-59 | 878.10 | |
| 7. | „ Gulab mohd. | 11 (Small) | 12-3-59 | 12-6-59 | 19- 5-59 | 16-4-59 | 418.00 | |

परिशिष्ट

MOTI DOONGRI SCHEME

| S. N. | Name of the allottee. | Plot No. | Date of issuing allotment letter. | Date of issuing patta. | Date of taking over possession. | Date of depositing instalment | Amount deposited. | Remaks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Smt. Sheelwati Goyal. | A-15 | 10-3-59 | 27-6-59 | 13-4-59 | 27-3-59<br>31-3-59 | 30,000/-<br>1,378.60 | |
| 2. | Shri Naj M. S. Jarg. | A-22 | 3-2-59 | 22-9-59 | 8-8-59 | 12-3-59<br>27-3-59<br>24-8-59 | 3,378.00<br>362.18<br>5.60 | |
| 3. | ,, ManghaRai Tuluar | A-26 | 6-2-59 | 24-6-59 | 16-6-59 | 24-6-59<br>27-3-59<br>8-6-59 | 3,972.10<br>1,083.25<br>3.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Shri DurgaPd. Sharma. | B-1 | 12-1-59 | 17-7-59 | 12-2-59 | 28-1-59<br>15-6-59 | 2, 456.62<br>214.00 |
| 5. | ,, ChainNarain Shivpuri | B-13 | 13-2-59 | 11-9-59 | 5-9-59 | 20-2-59<br>8-9-59 | 2,898.00 |
| 6. | Smt. Roop Kumari Mehta. | B-33 | 5-2-59 | 9-2-60 | 16-12-59 | 27-3-59<br>7-5-59 | 2,500.50 |
| 7. | Shri Rajpati Kaul. | B-94 | 18-2-59 | 15-2-60 | 29-12-59 | 1-2-60<br>26-6-59 | 3,407.00 |
| 8. | ,, Bharat Lal Gupta. | C-24 | 17-2-59 | 20-4-59 | 20- 3-59 | 12-3-59<br>31-3-59 | 1,500.00 |
| 9. | ,, Badri Prasad | C-61 | 24-2-59 | 30-6-59 | 13- 5-59 | 22-4-59<br>5-6-59<br>5-3-59 | 1,523.34 |
| 10. | ,, P. D. Gaur. | C-63 | 18-3-59 | 3-9-59 | 27-4-59 | 24-4-59 | 1,500.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Shri D. P. Sharma. | C-35 | 12-2-59 | 29-8-59 | 12-8-59 | 27-3-59<br>26-5-59 | 1,305.00 |
| 12. | „ Roop Chand Hingorai | C-90 | 17-2-59 | 21-5-59 | 1-4-59 | 24-4-59<br>21-6-59 | 1,843.42 |
| 13. | Smt. Ram Kishori Saxena. | C-222 | 17-2-59 | 25-9-59 | 1-10-59 | 20-2-59<br>25-9-59 | 1,515.00 |
| 14 | Shri J. P. Dhawan. | C-226 A | 18-2-59 | 24-2-60 | 4-2-60 | 31-3-59 | |

परिशिष्ट

## APPENDEX B

List of persons, who were issued allotment letters after 17-2-59 in Adarshanagar Scheme, but who did not deposited the cost of the plot

| S. N. | Name of the allottee. | Plot No. | Amount to be deposited. | Date on which amount falls. | Reason for remaining out-standing. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Kanhaya Lal | J. 149 | 878.10 | 4-4-59 | Nil | — |
| 2. | ,, Gordhan Dass. | J. 119 | 878.10 | 12-6-59 | — | — |
| 3. | ,, Mohan Singh. | J. 129 | 878.10 | 12-6-59 | — | — |
| 4. | ,, Allsah Din. | J. 185 | 878.10 | 12-6-59 | — | — |
| 5. | ,, Gopal Lal Sharma. | J. 39 | 878.10 | 25-3-59 | — | — |
| 6. | ,, Mati. Rukma Gour | J. 85 | 878.10 | 24-3-59 | — | Deposited only Rs. 200– Rs. 678. 10. remaining |

## APPENNEX

| S.N. | | Name of the Persons. | Plot No. |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri | Lalit Kumar Kothari | A. 48. |
| 2. | ,, | Ratan Chand Mathur | A. 56. |
| 3. | ,, | Lt. Col. Hukum Singh | A. 66. |
| 4. | ,, | Durga Shankar. | B. 62. |
| 5. | ,, | S. P. Kaushik | B. 114. |
| 6. | ,, | Govind Kant Sharma | C. 26. |
| 7. | ,, | Radhey Kant Sharma | C. 27. |
| 8. | ,, | Rama Shankar | C. 104.(Cheque received |
| 9. | ,, | Kashi Ram Bhatt | C. 115. |
| 10. | ,, | Sobhag Mal Chordia | C. 122. |
| 11. | ,, | Hari Chand Mathur | C. 137. |
| 12. | ,, | B. L. Sarraf | C. 129. |
| 13. | ,, | L. P. Shrivastava | C. 144. |
| 14. | ,, | Ramesh Behari Lal Mathur | C. 156. |
| 15. | ,, | Chandra Sekhar Sharma | C. 158. |
| 16. | ,, | Ishwari Parshad Sharma | C. 166. |
| 17. | ,, | Shiv Charan Sharma | C. 183. (Extension granted |
| 18. | ,, | Muril Dhar Chowhan | C. 177. |
| 19. | ,, | Ramesh Shankar Mathur | C. 219. |
| 20. | ,, | P. C. Patani | C. 231. |
| 21. | ,, | Banwari Lal Mathur | C. 223-A. |
| 22. | ,, | D. P. Saxena | C. 227. |
| 23. | ,, | B. P. Gupta | C. 221. |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 24. | Shri | Sohan Lal Harijan | C. 233. |
| 25. | ,, | Nemat Roy. | C. 241. |
| 26. | ,, | G. C. Shivhara | C. 244. |
| 27. | ,, | Shankar Swaroop Bhatnagar. | C. 245. |
| 28. | ,, | Jagdish Prasad | C. 248. |
| 29. | ,, | Shankar Lal Paliwal | C. 242. |
| 30. | ,, | Govind Singh Hada | C. 238. |

## परिशिष्ट ८

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर देखिये )

### सूची परिशिष्ट (क)

### निरीक्षण पत्र

**नाम समिति :—**

बीलवाड़ी बहुधंधी सहकारी समिति लि०, बीलवाड़ी।

**पंजीयन क्रमांक एवं तिथि :—**

११३२ एल. दिनांक १८ मई, १९५६।

**अधिकृत ऋण सीमा :—**

समिति की अधिकृत ऋण सीमा ५,३००) रुपया स्वीकृत की गई है।

**सहायता रजिस्टर :—**

समिति में कुल सदस्य संख्या ३० है। सदस्य रजिस्टर अपूर्ण था। इस रजिस्टर को पूर्ण भरवाया गया तथा मंत्री से आवश्यक स्थानों पर हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करने को कहा गया।

**किश्तबन्दी रजिस्टर :—**

अभी समिति में एक ही किश्त जमा कराई है क्योंकि ऋण देरी से मिला था अतः अभी बिल्कुल खाली है।

**प्रतिभूति रजिस्टर :—**

सब सदस्यों को ऋण दिया गया है उनके बोण्ड फार्म भरवा लिये गये हैं। केवल चार सदस्यों के बोण्ड फार्म अपूर्ण थे उनको भरवाया गया।

**पास बुक :—**

अभी तक पास बुक समिति में जारी नहीं की गई थी। आज सभी सदस्यों की पास बुक बनाई गई और आवश्यक खाना पूर्ति की। मंत्रीजी को उन्हें सभी सदस्यों को देने के लिये कहा गया।

**अधिकतम ऋण सीमा फार्म :—**

समिति में अधिकतम ऋण सीमा फार्म जो कि सहायक पंजीयक, सहकारी

समितियां, जयपुर के कार्यालय द्वारा आया है मौजूद है उसीके अनुसार सभी सदस्यों को ऋण दिया गया है ।

**खाता रजिस्टर :—**

अभी तक खाता बही समिति में चालू नहीं की गई थी । आज श्री मंत्री द्वारा सभी सदस्यों के खाते बनाये गये । उनमें अनेक हिस्सा राशि, प्रवेश शुल्क जो ऋण बकाया दिया गया है सभी लिखे गये ।

**रोकड़ बही :—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| हिस्सा राशि | ६६०) | हिस्सा बैंक में | ५५०) |
| प्रवेश शुल्क | २८) | प्रवेश शुल्क | १) |
| ऋण बैंक से प्राप्त | ५२८०) | स्टेशनरी | १५) १६ नये पैसे |
| योग :- | ५,६६८) रु० | मनीआर्डर खर्च | ६० ,, |
| | | किराया खर्च | ५) |
| | | सदस्यों को दिया | ५,२८०) |
| | | रोकड़ हाथ में | ११५) ६१ नये पैसे |
| | | | ५,६६८) रु० |

**हानि-लाभ**

| | | |
|---|---|---|
| २८) प्रवेश शुल्क | १५) १६ न० पै० | स्टेशनरी |
| | ०) ६० ,, | मनीआर्डर खर्च |
| | ५) | किराया |
| | १) | प्रवेश शुल्क |
| | ५) ६१ ,, | लाभ |
| २८) रु० | २८) रु० | |

रोकड़ बही ठीक पाई गई । समिति की पूंजी श्री मंत्रीजी के पास पाई । मंत्रीजी को चाहिये कि रकम ऋण के रूप में सदस्यों को देवें । ज्यादा रकम समिति में बेकार नहीं रखनी चाहिये ।

प्रस्ताव बुक :—

प्रबन्धकारिणी का चुनाव प्रथम साधारण सभा के द्वारा ही चुना गया था जो निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| श्री सुन्दरलाल | अध्यक्ष |
| श्री गोरधनसिंह | कोषाध्यक्ष |
| श्री जीवालाल | मंत्री |
| श्री शिवसहाय | सदस्य |
| श्री रामनाथ | सदस्य । |

————

## सूची परिशिष्ट (ख)

| क्रम संख्या | नाम सदस्य | पिता का नाम | |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | श्री जयनारायण | श्री गणपतराय | बीलवाड़ी |
| २ | ,, गोरधनसिंह | ,, भंवरसिंह | ,, |
| ३ | ,, लक्ष्मीनारायण | ,, चिरंजीलाल | ,, |
| ४ | ,, रुघनाथ | ,, लादू | नैकी ढ़ाणी |
| ५ | ,, राधाकिशन | ,, भगवाना | बीलवाड़ी |
| ६ | ,, प्रभुदयाल | ,, पन्नालाल | ,, |
| ७ | ,, नाथूलाल | ,, रुघनाथ | ,, |
| ८ | ,, सुन्दरलाल | ,, गणपतराय | ,, |
| ९ | ,, देवीसहाय | ,, रामनाथ | ,, |
| १० | ,, परभात | ,, रूडा | ,, |
| ११ | ,, मूलसिंह | ,, पनेसिंह | ,, |
| १२ | ,, जीवालाल | ,, सांगा | ,, |
| १३ | ,, रुडा हरिजन | ,, जीवन | ,, |
| १४ | ,, गंगासहाय | ,, कजोड़ | ,, |
| १५ | ,, भरथागूजर | ,, लादू | नैकी ढाणी |
| १६ | ,, शिवसहाय | ,, गुल्ला | ,, |
| १७ | ,, रामराय | ,, धनराज | बीलवाड़ी |
| १८ | ,, रामपाल | ,, जीवन | नैकी ढाणी |
| १९ | ,, मामराज | ,, छोटू | ,, |
| २० | ,, मौरा | ,, रामनाथ | ,, |
| २१ | ,, ओंकार हरिजन | ,, गंगू हरिजन | व्यास |
| २२ | ,, किशनसिंह | ,, भूरासिंह | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २३ | श्री ओंकार | श्री नानगा | नैकी ढ़ाणी |
| २४ | ,, रामनाथ | ,, भजन | बास |
| २५ | ,, नरसिंह | ,, काना | बयारा |
| २६ | ,, बलराम | ,, गुल्लाराम | नैकी ढ़ाणी |
| २७ | ,, रघुनाथ | ,, जवाना | ,, |
| २८ | ,, जीवालाल | ,, सनेहीलाल | बीलिवाड़ी |
| २९ | ,, रामदयाल] कार्य क्षेत्र छोड़ कर चले गए अतः हिस्सा राशि लौटा दी | | |
| ३० | ,, उमराव ] गई। जमीन न होने के कारण सदस्यता से हटा दिया गया। | | |

———

# परिशिष्ट ६

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिए )

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT.

From

The Secretary to the Government.

To

The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

No. D. 868/SCA/59/F.31 (215) Agr./56 Dated the 13th Aug., '59.

Sub :— Provisional payment of salary to Dr. B. N. Handa, Director of Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur.

In continuation of this Department Order No. F. 31(215) Agr./56, dated 6.7.59. I am directed to convey sanction of the Governor to the provisional payment of salary to Dr. B. N. Handa, Director of Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur upto the end of Sept., 1959.

The proposal to grant him extension is under consideration of the Government.

Sd/—
( Daljit Singh )
Assistant Secretary to the Government.

Copy to :—

1. Finance Department ( Rules ) with reference to their U. O. Note No. D. 4474/FD/A/59 dated 8.8.59 with two spare copies.
2. Director of Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur.
3. Shri B. N. Handa, Director Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur.

Sd/—
( Daljit Singh )
Asstt. Secretary to the Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT.

From

The Secretary to the Government.

To

The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

No. D. 6947/SCA/59/F.31 (215) Agr./57D ated the 12th May, 60.

Sub :— Provisional payment of salary to Dr. B. N. Handa, Director of Animal Husbandry.

Ref :— This Deptt. letter of even no. dated 11.3.60.

Sir,

In continuation of this Office order No. D. 6947/SCA/59/F. 31 (215) Agr./56 dated 11.3.60, I am directed to convey sanction of the Governor to the provisional payment of salary to Dr. B. N. Handa, Director of Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur upto the end of June, 1960.

This bears the concurrence of Finance Department vide their U. O. Note No. D.2762/ID/F/D/60 dated 7.5.60.

Yours' faithfully
Sd/—
( M. L. BAHETI )
for Asstt. Secretary to the Govt.

Copy forwarded to :—

1. Director of Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur with reference to his D. O. No. 2207 dated 25.4.60.
2. Finance Department ( iii ) with two spare copies.

Sd/—
( M. L. BAHETI )
Asstt. Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT.

No. D-5947/SCA/59/F. 31 (215) Agr./56 Dated the 11th March '60.

From

The Secretary to the Government.

To

The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

Sub :— Provisional payment of salary to Shri B. N. Handa, Director of Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur.

Ref :— This Department's letter of even No. dated 27th. November, 1959.

Sir,

In continuation of this Department's letter No. D. 6947/SCA/59/F. 31 (215) Agr./56 dated 27th Dovember, 1959. I am directed to convey sanction of the Governor to the provisional payment of salary to Shri B. N. Handa, Director of Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur upto 29th February, 1960 as the question of granting further re-employment to Dr. B. N. Handa, is still under consideration.

This issues with the concurrence of F. D. (DEV) vide their U. O. No. D. 1149/FD (D)/60 dated 7th. March, '60.

Yours' faithfully
Sd/—
( M. L. BAHETI )
Asstt. Secretary to Government.

Copy forwarded to :—

1. The Director of Animal Husbandry with reference to his D. O. No. F.VI (1) Estt/59/Pt. I/183 dated 7th. January, 1960.
2. The Finance Deptt. ( Dev ) with two spare copies.
3. Guard file.

Sd/—
(M. L. BAHETI)
Asstt. Secretary to Govt.

## शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २४ अगस्त, १९६०)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ४७० | १ व ६ | चतुरवेंदी | चतुर्वेदी |
| ४७१ | ६-७ | जंगल रखी | जंगल में रखी |
| ४७५ | अन्तिम | को निचित | को निश्चित |
| ४७७ | १ | उपाध्य | उपाध्याय |
| ४८३ | १४ | को दूकान | की दूकान |
| ४९० | ८ | कीं जमीन | की जमीन |
| ४९८ | १९-२० | की करेंगे | की कृपा करेंगे |
| ५०० | ४ | वन अधिकारी | विषय वन अधिकारी |
| ५०२ | १८ | अध्यश महोदय | अध्यक्ष महोदय । |
| ५०३ | ११-१२ | उसे सरकार | उसे भी सरकार |
| ५०५ | ३ | पाचेटिया | पांचेटिया |
| ५१३ | ९ | श्री बद्रीसप्राद | श्री बद्रीप्रसाद |
| ५३३ | १८ | किस को नहीं, | किस को; नहीं, |
| ,, | अन्तिम से ३ | मेन्बरों की सख्या | मेम्बरों की संख्या |
| ५३५ | शीर्षक | प्रतिवेदन की प्रस्तुति | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ५३९ | १९ | एक्सजेज़ से | एक्सचेन्जेज़ से |
| ५४० | ११ | सुलाणिय | सुलाणिया |
| ,, | २१ | श्री बद्रीग्रसाद | श्री बद्रीप्रसाद |
| ५५१ | शीर्षक | से अनुस्थिपति | से अनुपस्थिति |
| ,, | अन्तिम से २ | श्री हरिभाऊ उपाध्याय):वित्त मंत्री | श्री हरिभाऊ उपाध्याय(वित्त मंत्री) : |
| ५५२ | ,, ,, ४ | सत्र के | सत्र के । |
| ५६० | ,, ,, ,, | ज्योतिषी शास्त्र | ज्योतिष शास्त्र |
| ५६१ | ४ | और अपने | अपने |
| ५६३ | अन्तिमसे २ | ज्योतिषी को | ज्योतिषियों के |
| ५६४ | ,, ४ | जिउमें उनका | जिसमें उनका |
| ५६५ | १४ | नउमें हमें | उनमें हमें |
| ५६७ | ३ | उस, समय | उस समय |
| ५६८ | ५ | ५००, रुपये | ५००) रुपये |
| ५७३ | अन्तिम से ४ | राजस्थान प्रवेन्शन | राजस्थान प्रिवेन्शन |
| ५७४ | ८ | क्या रिपरनशन्स | क्या रिपरकशन्स |
| ५७८ | अन्तिम से ५ | कन्ट्रब्यूटरी | कन्ट्रीब्यूटरी |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ५७६ | अन्तिम | वेल्युएशन | रिवोल्युशन |
| ५८७ | १२ | हर्टेड से तरीके | हार्टेड तरीके से |
| ५९६ | १७ | और सयुक्त | और संयुक्त |
| ५९६ | अन्तिम से ३ | विश्रृंखलित | विश्रंखलित |
| ६०० | अन्तिम से ५ | बदला हैं। | बदला है। |
| ,, | ,, ,, ४ | तैयार है। | तैयार हैं। |
| ६०१ | २६ | खना-पीना | खाना-पीना |
| ,, | अन्तिम से २ | पर बैठकर | बैठ कर |
| ६०८ | ११ | thai some | that some |
| ६०९ | अन्तिम से ६ | stillout worn | still outworn |
| ६१५ व ६१७ | शीर्षक | निर्माण विधेयक | निवारण विधेयक |
| ६१७ | अन्तिम से २ | जिसका को | जिसका कोई |
| ६२४-२५ | शीर्ष | १८ अगस्त | २४ अगस्त |
| ६२६=२७ | ,, | २३ अगस्त | २४ अगस्त |
| ६३३ | २० | साधना है | साधन है |
| ६३५ | २० | काम है । जिसको | काम है जिसको |
| ६५० | ४ | (उप-यंत्री, | (उप-मंत्री, |
| ६५९ | १७-१८ | (उप-मंत्री) शिक्षा: | (उप-मंत्री, शिक्षा) : |
| ,, | २६ | बायोलशन | वायोलेशन |
| ,, | अन्तिम से ६ | to darw- | to draw. |
| ६६० | शीर्ष | — | ६६० |
| ,, | १९ | आज बिज़नेस | आज की बिज़नेस |
| ,, | अन्तिम से ३ | Connot arrogate | Cannot arrogate |
| ६६५ | २२ | (उप-मंत्री, शिक्ष) | (उप-मंत्री, शिक्षा) |
| ६६६ | २० | membe should | member should |
| ६६८ | शीर्षक | (श्री प. के. चौधरी) | (श्री पी. के. चौधरी) |
| ६६९ | २ | एग्ज़म्पट रखा | एग्ज़ेम्प्ट रखा |
| ,, | ८ | retifrment | retirement |
| ६७१ | १५ | memberf of | members of |
| ,, | १६ | propared for | prepared for |
| ६७८ | २ | fora ny | for any |
| ६८९ | २७ | एक्युम्युमुलेट | एक्युम्युलेट |
| ६९० | २७ | वानप्राश्थ ग्रहण | वानप्रस्थ ग्रहण |
| ६९८ | अन्तिमसे ३ | कमला श्रोतित | कमला श्रोत्रिय |

(३)

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७०७ | ५ | clubs, Cinem as | clubs. Cinemas |
| ७१५ | ३ | HAVE CONVEYID | HAVE CONVEYED |
| ७१६ | ११ | the Blook | the Block |
| ७३६ | ४ | deposited the | deposit the |
| ७४६ | १२ | 27th Dove mber | 27 th November |